



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.4	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	10
लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया	1.6	16
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	20
राज्य के संसाधन	2.3	21
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	31
संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	33
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	33
राजस्व व्यय	2.4.1	35
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	37
पूँजीगत व्यय	2.4.3	40
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	42
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	2.4.6	44
लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय	2.4.7	46
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता	2.4.8	47
व्यय की प्राथमिकता	2.4.9	47
वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय	2.4.10	48
लोक लेखा	2.5	48
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	49

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	50
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	52
ऋण प्रबंधन	2.5.4	53
ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास और पुनर्भुगतान	2.6	57
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	60
निष्कर्ष	2.8	63
अनुशंसाएँ	2.9	64
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजटीय प्रक्रिया	3.1	65
विनियोग लेखे	3.2	68
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	74
व्यय का वेग	3.4	77
अनुदान संख्या 03 - भवन निर्माण विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	78
अनुदान संख्या 46 - पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग (पर्यटन प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया	3.6	92
निष्कर्ष	3.7	100
अनुशंसाएँ	3.8	101
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखा निधि के बाहरी निधि	4.1	103
गैर-बजट उधार	4.2	104
राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि	4.3	105
स्थानीय निधि जमा	4.4	106
उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.5	107
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	108
व्यक्तिगत बही खाता	4.7	110
व्यक्तिगत जमा खाता	4.8	112
लघु शीर्ष 800 का निरंतर उपयोग	4.9	112
प्रमुख उचंत, कर्ज, जमा और प्रेषण शीर्षों के अधीन बकाया शेष	4.10	113
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	4.11	114
नकद शेष का समाशोधन	4.12	116
लेखा मानकों का अनुपालन	4.13	116
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.14	117

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.15	119
दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि	4.16	119
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.17	120
निष्कर्ष	4.18	120
अनुशंसाएँ	4.19	121
अध्याय 5: सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग		
परिचय	5.1	123
शासनादेश	5.2	123
इस अध्याय में क्या है	5.3	124
एसपीएसई की संख्या	5.4	124
जीएसडीपी में एसपीएसई के कारोबार का योगदान	5.5	125
सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश	5.6	126
एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग	5.7	127
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश	5.8	128
राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण	5.9	128
ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.10	129
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.11	130
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.12	130
सरकारी कंपनियों से प्रतिफल	5.13	131
ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन	5.14	131
सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता	5.15	133
घाटे में चल रहे एसपीएसई	5.16	136
उज्ज्वल डिस्कॉम एंशोरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन	5.17	137
सीएजी की निगरानी भूमिका	5.18	139
लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.19	141
सीएजी की पर्यवेक्षक भूमिका का परिणाम	5.20	143
निष्कर्ष	5.21	144

परिशिष्ट		
परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	147
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	148
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	148
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	149
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	153
परिशिष्ट 2.3	31 मार्च 2021 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	156
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	157
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग	159
परिशिष्ट 3.3	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	161
परिशिष्ट 3.4	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)	163
परिशिष्ट 3.5	मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि	164
परिशिष्ट 3.6	2020-21 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण	166
परिशिष्ट 3.7	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	168
परिशिष्ट 3.8	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	169
परिशिष्ट 3.9	व्यय का वेग	175
परिशिष्ट 3.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में अभ्यर्पण	176
परिशिष्ट 3.11	व्यय का वेग (भ.नि.वि.)	177
परिशिष्ट 3.12	विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा	178
परिशिष्ट 3.13	व्यक्तिगत बही/जमा/बैंक खातों में अवरुद्ध निधि	179
परिशिष्ट 3.14	कार्य का पूर्ण न होना	182
परिशिष्ट 4.1	बकाया डी. सी. विपत्र	184
परिशिष्ट 4.2	नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	185

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 5.1	2020-21 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची	187
परिशिष्ट 5.2	तीन वर्ष से अधिक के लेखों/पहले लेखा के अप्राप्त/अदेय के बकाया के साथ कार्यात्मक सा.क्षे.उ.	188
परिशिष्ट 5.3	राज्य सरकार निवेश के निवल वर्तमान मूल्य	189
शब्दावलियों की सूची और गणनाओं का आधार		190

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

अध्याय - 1 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/ घाटा, राजकोषीय आधिक्य/ घाटा इत्यादि राजकोषीय सुधार पथ को समाहित करता है।

अध्याय - 2 एवं 3 क्रमशः राज्य सरकार के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्त एवं विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के उपरांत प्राप्त लेखापरीक्षा परिणाम को समाहित करता है। आवश्यकतानुसार झारखण्ड सरकार से भी जानकारियाँ प्राप्त की गयी हैं।

अध्याय - 4 लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार का अवलोकन प्रस्तुत करता है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों के संकलन, कार्यप्रणाली और निर्देशों की स्थिति को दर्शाता है।

अध्याय - 5 सरकारी कंपनियों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन का सार प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबन्धित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है। प्रतिवेदन को पांच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय 1 - अवलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आंकड़े, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 - राज्य के वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र रूझान, राज्य की ऋण रूपरेखा और राज्य के वित्त खाते पर आधारित प्रमुख सार्वजनिक लेखा लेनदेन का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 - बजटीय प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों और राज्य सरकार के विनियोग और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विचलन के रिपोर्ट पर आधारित है।

अध्याय 4 - लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार: यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन के विषयों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 - सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग: यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्दमों में वे सरकारी कंपनियाँ शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

राजकोषीय स्थिति

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड हैं।

राज्य को 2020-21 में ₹ 3,114 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था। मार्च 2021 के अंत में राज्य का राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 4.70 प्रतिशत था।

वास्तविक आंकड़ों पर पहुंचने के क्रम में, अनियमितता जैसे स्पष्ट देनदारियों के आस्थगन के प्रभाव, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करने, नई पेंशन योजना में कम योगदान, हास तथा मोचन निधि आदि को बदलने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा के उपरान्त, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ₹ 188.18 करोड़ से कम बताया गया था। इसी प्रकार वित्त लेखों में राजस्व और राजकोषीय घाटा ₹ 3113.86 करोड़ और ₹ 14,910.74 करोड़ बताया गया जो वास्तव में ₹ 3,302.04 करोड़ ₹ 15,098.92 करोड़ था।

अध्याय-1

राज्य के वित्त

2020-21 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.30 प्रतिशत था, जिसका 42.98 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय किया गया था। वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर किया गया व्यय 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों का 45.32 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं पर 38 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत कम व्यय के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 1,413 करोड़ की कमी आई।

31 मार्च 2021 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 1,111.65 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2020-21 के दौरान 'नगण्य' था, जबकि सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान उधार पर 6.13 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि (₹ 24,177 करोड़) मार्च, 2021 के अंत तक बकाया था।

कुल मिलाकर राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण) 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,09,185 करोड़ हो गई। राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 32.60 प्रतिशत के विरुद्ध 33.90 प्रतिशत था। बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा उठाया। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से इसे कोई ब्याज नहीं दिया, जो ₹ 797.98 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और राजकोषीय दायित्व पर प्रभाव पड़ा हालाँकि सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 303.87 करोड़ का अन्तरण किया।

अध्याय-2

बजटीय प्रबंधन

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदानों के अधीन कुल बचत ₹ 21,819.49 करोड़ (कुल बजट का 22.66 प्रतिशत) अनियमित बजट अनुमान का द्योतक है। आगे, इन अनुदानों में अंतिम चार वर्षों के दौरान कम से कम ₹ 6,500.64 करोड़ की सतत बचत हुई।

वर्ष के दौरान 34 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 5,400.83 करोड़ (54.51 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

वर्ष 2001-02 से 2019-20 तक अनुदान/विनियोग पर ₹ 3,328.68 करोड़ की राशि का अत्यधिक संवितरण का राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज अदायगी) में ₹ 144.95 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

अध्याय-3

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

मार्च 2021 तक एकत्रित ₹ 609.33 करोड़ राशि का श्रम उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड (अक्टूबर 2021) में स्थानान्तरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान (2008-21) राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में कमी हुई।

राज्य में 31 मार्च 2021 तक, ₹ 88,047.48 करोड़ राशि के 34,017 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) 2020-21 तक विभिन्न विभागों के पास बकाया थे।

ए.सी. विपत्र पर धनराशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्र को जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और गलत प्रथाओं का जोखिम भी रहता है। 31 मार्च 2021 को, 2020-21 तक आहरित ए.सी. विपत्र के विरुद्ध भारी मात्रा में ₹ 6,018.98 करोड़ के डी.सी. विपत्र (18,272) जमा नहीं किए गए।

अध्याय-4

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से, केवल 16 एसपीएसई (एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी सहित) के 2020-21 (पिछले तीन वर्षों) तक वित्तीय प्रदर्शन अद्यतन खातों के आधार पर थे, केवल एक ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, 08 एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और 07 एसपीएसई ने वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2021 तक अपने खातों को अंतिम रूप दिया।

एसपीएसई का कारोबार 2018-19 में ₹ 4,433.80 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,605.82 करोड़ था, जो 2020-21 में घटकर ₹ 5603.41 करोड़ हो गया।

31 मार्च 2021 को 16 एसपीएसई में से 10 एसपीएसई को ₹ 1,383.36 करोड़ का घाटा हुआ। इसके अलावा, 10 एसपीएसई में ₹ 8,153.02 करोड़ का संचित नुकसान हुआ था जिसमें से 31 मार्च 2021 को ₹ 4,133.04 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले छह एसपीएसई का शुद्ध मूल्य नकारात्मक ₹ 4,252.60 करोड़ तथा चार एसपीएसई में शुद्ध मूल्य सकारात्मक ₹ 232.62 करोड़ था।

विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा ₹ 969.80 करोड़ (2018-19) से ₹ 1,357.80 करोड़ (2020-21) घाटे के कारण 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आरओसीई (-) 4.66 प्रतिशत से घटकर 2019-20 तथा 2020-21 में (-) 6.42 प्रतिशत हो गया। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओसीई 1.71 प्रतिशत से घटकर 1.14 प्रतिशत हो गया।

अध्याय-5

अध्याय-1

अवलोकन

अध्याय 1

अवलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र में, यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है, जिसका 29.62 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। राज्य में 24 जिले हैं, जिनमें से नौ जिले अपने भौगोलिक क्षेत्र के 30 से 56 प्रतिशत तक वनक्षेत्र से आच्छादित हैं।

झारखण्ड की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। खनिज संसाधन जैसे कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम प्रमुख हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक है। 31 मार्च 2021 तक राज्य में प्रमुख खनिजों के 373 खदानें, लघु खनिजों के 3,572 खदानें तथा वृहत एवं लघु दोनों खनिजों के 7 खदानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या अंतिम 10 वर्षों में 15.62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011 के 3.33 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2021 में 3.85 करोड़ हो गई। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,17,079 करोड़ था। वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के दौरान राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ₹ 82,899 थी।

1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समयसीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। चूँकि इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम स.रा.घ.उ. श्रृंखला का उपयोग किया गया है, अतः, पिछले वर्षों 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रासंगिक तालिका के प्रतिशत/अनुपात में परिवर्तन आया है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप है। देश की तुलना में झारखण्ड के स.रा.घ.उ. के वार्षिक वृद्धि में रुझान **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: स.रा.घ.उ. में राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राष्ट्रीय स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	-2.97
राज्य का स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	2,36,250	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.34	14.21	13.30	5.06	-1.27

स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

*(अग्रिम आकलन)


जैसा कि तालिका 1.1 में देखा जा सकता है, झारखण्ड का स.रा.घ.उ. वृद्धि दर 2019-20 को छोड़कर वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक राष्ट्रीय वृद्धि दर से उच्च था।

आगे, राज्य का स.रा.घ.उ. वृद्धि दर 2017-18 (14.21 प्रतिशत) से आगे कमी की रुझान को दर्शाता है, जो 2019-20 (5.06 प्रतिशत) में उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। आगे, 2020-21 में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (-)1.27 प्रतिशत मुख्यतः खनन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के वृद्धि में गिरावट के कारण घटा।

1.1.2 स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान


चार्ट 1.1 से पता चलता है कि वर्ष 2016-17 और 2020-21 में राज्य का स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान लगभग समान रहा। स.रा.घ.उ. में प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र के बाद उद्योग क्षेत्र का था। इसके अलावा, खानों और खनिजों में समृद्ध होने के बावजूद राज्य ने खनन क्षेत्र के योगदान में कमी दर्ज की।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)



स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: साँख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है, कृषि और वानिकी क्षेत्र को छोड़कर स.रा.घ.उ. गणना के लिए सभी क्षेत्रों के योगदान जो 2020-21 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया गया है, में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई थी।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रा.वि.ले.प्र.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रेषित अभिश्रव (वाउचर), चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, जो ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- पूर्वानुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;

- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े,
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

14^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया था। राज्य वित्त विभाग के साथ दिनांक 19 मई, 2021 को बैठक हुई, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया और दिनांक 14 जुलाई 2021 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को भेजा गया था; हालाँकि दिसम्बर 2021 तक जवाब प्रतिक्षित था।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	अवलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 2	राज्य सरकार के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेन-देन का राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 4	लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गये लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग यह अध्याय सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा.सा.क्षे.उ.) शब्द में वे

सरकारी कम्पनियाँ शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

इस प्रतिवेदन के अध्याय- 2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे- संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को विकलित कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित हैं एवं दोनों अस्थायी शीर्ष हैं) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” मूल बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखों पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ: बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

गैर-ऋण प्राप्तियाँ: विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में विनिवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

तालिका: 1.2: सरकारी लेखों की वर्गीकरण प्रणाली


	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि	अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंकीय)
एल.एम.एम.एच* में मानकीकृत	उप-कार्य	उप प्रमुख शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप	वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य, इत्यादि, (2-अंकीय)

*मुख्य और लघु शीर्षों की सूची

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय हेतु,

इत्यादि हैं। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु (ऑब्जेक्ट) शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। वित्त लेखे के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.1 भाग ख** में दिये गए हैं।

चार्ट 1.3 : सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/ विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की

लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में विस्तृत है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

निम्न तालिका वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.3: बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट आकलन)	2020-21 (वास्तविक)	ब.आ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2020-21)	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2020-21)
1	कर राजस्व	16,771	21,519	16,880	78.44	5.32
2	गैर-कर राजस्व	8,750	18,820	7,564	40.19	2.39
3	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	20,593	26,130	19,712	75.44	6.22
4	सहायता अनुदान तथा अंशदान	12,303	15,839	11,994	75.72	3.78
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	58,417	82,308	56,150	68.22	17.71
6	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49	61	49	80.33	0.02
7	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0.00	0.00
8	लोक ऋण	9,593	11,000	13,547	123.15	4.27
9	पूँजी प्राप्तियाँ (6+7+8)	9,642	11,061	13,596	122.92	4.29
10	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	68,059	93,369	69,746	74.70	22.00
11	राजस्व व्यय	56,457	73,316	59,264	80.83	18.69
12	ब्याज भुगतान	5,308	5,646	5,790	102.55	1.83
13	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान	7,079	10,020	6,370	63.57	2.01
14	पूँजी व्यय	10,044	10,297	11,846	115.04	3.74
15	पूँजी परिव्यय	9,879	8,653	8,466	97.84	2.67
16	ऋण एवं अग्रिम	165	1,644	3,380	205.60	1.07
17	कुल व्यय (11+14)	66,501	83,613	71,110	85.05	22.43
18	राजस्व आधिक्य(+)/घाटा (-) (5-11)	1,960	8,992	-3,114	-34.63	-0.98
19	राजकोषीय घाटा {17-(5+6+7)}	- 8,035	1,244	- 14,911	1,198.63	4.70
20	प्राथमिक घाटा (19-12)	- 2,727	-4,402	- 9,121	-207.20	2.88

2020-21 के दौरान, राज्य के अपने संसाधनों के रूप में या केंद्र सरकार से प्राप्तियों के रूप में सभी स्रोतों से प्राप्तियों में कमी के कारण राजस्व प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी देखी गई। हालाँकि, स्वयं के कर राजस्व में ₹ 109 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन इसकी वृद्धि 2020-21 में घटकर 0.70 प्रतिशत हो गई, जो 2019-20 में 13.70 प्रतिशत थी। 2020-21 के दौरान, गैर-कर राजस्व, केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से क्रमशः ₹ 1,186 करोड़, ₹ 881 करोड़ तथा ₹ 310 करोड़ की कमी आई।

जी.एस.टी. मुआवजा जी.एस.टी (राज्य को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,958 करोड़ का जी.एस.टी. मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान जी.एस.टी. मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, झारखण्ड को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य के लिए बिना कोई पुनर्भुगतान दायित्व के ₹ 1,689 करोड़ का एक के बाद एक ऋण प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 3,114 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 14,911 करोड़ का राजकोषीय घाटा को जी.एस.टी मुआवजे के बदले ₹ 1,689 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय की वृद्धि 2019-20 में 11.50 प्रतिशत के मुकाबले पाँच प्रतिशत थी। राज्य को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष (2019-20 में 12.68 प्रतिशत के विरुद्ध 2020-21 में 15.65 प्रतिशत) की तुलना में अधिक धन उधार लेना पड़ा। तालिका 1.4 व्यय की बढ़ती प्रवृत्तियों को इंगित करता है।

तालिका 1.4: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्त के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्त के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2016-17	47,054	45,089	95.82	7,120	10,861	152.54
2017-18	52,756	50,952	96.58	8,204	11,953	145.70
2018-19	56,152	50,631	90.17	7,850	10,712	136.46
2019-20	58,147	56,457	97.09	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27

- राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के लिए 2020-21 के दौरान अपने राजस्व व्यय को प्रतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त ₹ 5.55 उधार लेना पड़ा।
- जबकि 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, पूँजीगत व्यय बहुत तेज दर से कम हो रहा है।
- 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय की तुलना में, 2020-21 में पूँजीगत व्यय में 22 प्रतिशत की कमी आई, जो राज्य द्वारा अवधि के दौरान बुनियादी ढाँचे और संपत्ति निर्माण पर कम प्राथमिकता का संकेत था।

1.4.2 सरकार की सम्पत्तियों और दायित्वों का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार

द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम तथा नकद शेष भी शामिल हैं। परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ				परिसम्पत्तियाँ					
	2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत		2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	63,545.46	71,956.90	13.24	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	87,552.02	96,017.68	9.67
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,591.52	4,981.85	92.24	ब	ऋण एवं अग्रिम	20,846.24	24,177.23	15.98
आकस्मिकता निधि		500	500	0					
लोक लेखा									
क	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,216.86	1,194.40	-1.85	क	अग्रिम	7.14	19.66	175.35
ख	जमाएँ	21,104.74	24,331.45	15.29	ख	प्रेषण	0.00	0.00	-
ग	आरक्षित निधियाँ	5,948.02	7,024.26	18.09	ग	उचत एवं विविध	0.00	0.00	-
घ	प्रेषण	82.30	126.45	53.65		नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)	3,463.48	3,720.32	7.42
ङ	उचत एवं विविध	91.29	144.75	58.56					
	व्यय से प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	16,788.69	13,674.83	-18.55		राजस्व लेखा में घाटा	-	-	-
कुल		1,11,868.88	1,23,934.89	10.79	कुल		1,11,868.88	1,23,934.89	10.79

स्रोत: वित्त लेखें

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व के रूप में एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय-राजस्व प्राप्तियाँ)	राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है। <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा करती है, तो इसका अर्थ है कि सरकार अधिव्यय कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग करके इसके उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा करने में पर्याप्त नहीं थीं।
---	---

	<p>इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उस सीमा तक पूंजी संसाधनों की उपलब्धता को कम किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • इस स्थिति का अर्थ है कि सरकार को न केवल अपने निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना होगा, बल्कि इसके उपभोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और सरकार को आखिरकार खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। • यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियां, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
<p>राजकोषीय घाटा/अधिशेष {कुल व्यय- (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ जो पूंजीगत प्राप्तियाँ बनती हैं)}</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के योग (NDCR) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं के लिए विचारात्मक है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • राजकोषीय घाटा, उधारियों को छोड़कर, सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। • ऋणोत्तर सृजन पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं और इसलिए, ऋण को उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ कर्ज की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से आय है। • राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे से चलती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्ति एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना विचारणीय है।</p>
<p>प्राथमिक घाटा/ अधिशेष (सकल राजकोषीय घाटा- निवल ब्याज दायित्व)</p>	<p><i>राजकोषीय घाटे को घटाकर ब्याज भुगतान को दर्शाता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • निवल ब्याज देन-दारियों में निवल घरेलू उधार पर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान घटाकर ब्याज प्राप्तियाँ शामिल हैं। • सरकार की उधार आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक चालू व्यय के कारण उधार का अनुमान प्राप्त करने के लिए, हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता है।

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जिससे सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को ऋण के स्टॉक में जोड़ने के रूप में माना जा सकता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं को ऋण में डाल देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बाँड जारी करके उधार लेता है, लेकिन कुछ बीस साल बाद करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके बाण्ड का भुगतान करने का फैसला कर सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधारी निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, भावी पीढ़ियों पर “बोझ” ऋण के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। ऐसे में, सरकार ओर उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलु उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, प्रमुख जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

राज्य सरकार ने मध्यम अवधि ढाँचे के रूप में राजकोषीय घाटे को कम करने और समग्र स्तर पर/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुँचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007 को राजकोषीय घाटे को घटाते हुए राजकोषीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया है। इस सन्दर्भ में, अधिनियम घाटा उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है। 2016-17 से 2020-21 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियाँ तालिका 1.6 में दी गई हैं।

तालिका 1.6: राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा	शून्य	1,965 ✓	1,804 ✓	5,521 ✓	1,960 ✓	-3,114 ✗
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत (2020-21 के लिए 5 प्रतिशत)*	10,193 (4.31) ✗	11,933 (4.42) ✗	6,629 (2.17) ✓	8,035 (2.50) ✓	14,911 (4.70) ✓
स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	27.0 से 28.3 प्रतिशत के बीच	28.30	27.90	27.20	27.10	27.00
	वास्तविक	28.29 ✓	28.57 ✗	27.41 ✗	29.40 ✗	33.90 [#] ✗

यह ऋण ₹1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य को 2020-21 के लिए 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

वित्त लेखे के अनुसार कुल बकाया विभाग का स.रा.घ.उ. से अनुपात 34.43 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्ति के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,689 करोड़ के जी.एस.टी. मुआवजे को छोड़कर स.रा.घ.उ. अनुपात (33.90 प्रतिशत) के लिए प्रभावी ऋण का निर्धारण किया गया है क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है की इसे राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो किसी भी मापदंड के लिए वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 को छोड़कर राज्य में 2016-17 से पीछे के वर्षों तक राजस्व अधिशेष था। राजकोषीय घाटा भी 2018-19 से निर्धारित लक्ष्य से कम था। स.रा.घ.उ. के लिए बकाया ऋण का अनुपात चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि यह पिछले चार वर्षों से झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी.एस. में निर्धारित मानदंडों को पार कर गया है।

1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय वित्तीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) को निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी.एस. में 2020-21 के लिए किए गए अनुमानों के साथ 2020-21 के बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वर्ष 2020-21 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के संबंध में वास्तविकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2020-21)	प्रवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	21,670	16,880	(-) 22.10
2	गैर-कर राजस्व	11,820	7,564	(-) 36.00
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	25,980	19,712	(-) 24.12
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	15,839	11,994	(-) 24.27
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	75,309	56,150	(-) 25.44
6	राजस्व व्यय	73,316	59,264	(-) 19.16
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) (5-6)	(+) 1,993	(-) 3,114	(-) 256.24
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	(-) 8,243	(-) 14,911	(-)80.89
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	32.60	33.90 [#]	(-)5.61
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)3.20	(-)1.27	60.31


[#] यह ऋण ₹ 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, राज्य एस.टी.एफ.पी.एस. में 2020-21 के लिए निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा अनुपात 2020-21 में 4.70 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष 2.50 प्रतिशत था।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ


जैसा कि चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है, राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और जैसाकि इसके प्रमुख वित्तीय मानकों के संबंध में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित किया गया था। 2019-20 में ₹ 1,960 करोड़ के राजस्व अधिशेष को 2020-21 में ₹ 3,114 करोड़ के घाटे में बदल दिया गया। इसी तरह, राजकोषीय घाटा 2019-20 में ₹ 8,035 करोड़ के मुकाबले 2020-21 में बढ़कर ₹ 14,911 करोड़ हो गई, जो चालू वर्ष के दौरान उधार ली गई धनराशि पर राज्य की अधिक निर्भरता का संकेत था। प्राथमिक घाटा 2020-21 में ₹ 2,722 करोड़ से बढ़कर ₹ 9,121 करोड़ हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य के पास अपने वर्तमान निर्णय और वर्ष के दौरान आधारभूत संरचना के निर्माण पर खर्च करने के लिए कम धन था।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड का रुझान




चार्ट 1.5 पिछले पाँच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे का रुझान दिखाता है।

चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे में रुझान



चार्ट 1.6: राजकोषीय देन-दारियों और स.रा.घ.उ. में रुझान



जैसा कि चार्ट 1.6 में देखा जा सकता है, राज्य की कुल बकाया देन-दारियों में आंतरिक ऋण का प्रमुख योगदान था, जिसके बाद लोक लेखा प्राप्तियाँ थीं। इन वर्षों में देयता में भारत सरकार के ऋणों मामूली योगदान था, हालांकि, यह 2019-20 में 2.75 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.56 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण जी.एस.टी. के बदले एक के बाद एक (बैंक टू बैंक) दिया गया ऋण था।

1.6 लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया

1.6.1 लेखापरीक्षा के पश्चात - घाटा

पूँजी और गैर बजटीय राजकोषीय संचालन के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण राज्य के वित्त का गलत चित्रण दर्शाता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, सिंकिंग एवं मोचन निधि इत्यादि में कमतर अंशदान भी देनदारियों, राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वास्तविक आंकड़ों पर पहुँचने हेतु, ऐसे अनियमितताओं के प्रभाव को प्रतिकूल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति+)/अत्योक्ति (-)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
(₹ करोड़ में)			
2020-21 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के न्यून/कम अंतरण	60.10	60.10	4.1
2020-21 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	128.08	128.08	2.5.2
कुल	188.18	188.18	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

यह देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में ₹ 188.18 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। अतः राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा वित्त लेखे में दर्शाए गए ₹ 3,113.86 करोड़ और ₹ 14,910.74 करोड़ के स्थान पर वास्तव में क्रमशः ₹ 3,302.04 करोड़ तथा ₹ 15,098.92 करोड़ रहा। सभी अवलोकन एवं खोज राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। हालाँकि, उपर्युक्त उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2021)।

तालिका 1.9: वर्ष 2020-21 के लिए पूर्व और बाद के लेखापरीक्षा प्रमुख राजकोषीय परिवर्तन

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2020-21				लेखापरीक्षा के पश्चात वास्तविक
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	बजट अनुमानों के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	(-) 0.50	(-) 0.63	(-) 0.63	(-) 0.98	(-) 1.04
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	2.10	2.59	2.60	4.70	4.76
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	27.00	32.60	-	33.90 [#]	33.96

यह ऋण ₹ 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

2020-21 के दौरान, राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा के बाद घाटे की स्थिति और स.रा.घ.उ. के लिए राजकोषीय दायित्व ने और गिरावट को दर्शाया। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. अनुपात में छः प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।

अध्याय-2

राज्य का वित्त

अध्याय 2

राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र रूझानों, राज्य की ऋण स्थिरता और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर मुख्य लोक लेखा लेन-देनों पर चर्चा करता है। जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई।

2.1 वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है इन प्रत्येक संकेतकों को उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषित किया गया है।

तालिका 2.1: 2019-20 की तुलना में 2020-21 में राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 3.88 प्रतिशत की कमी हुई।✓ राज्य की स्वयं के कर प्राप्तियों में 0.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 13.55 प्रतिशत की कमी हुई।✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 4.28 प्रतिशत की कमी हुई।✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2.52 प्रतिशत की कमी हुई।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 5.00 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.85 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.72 प्रतिशत तक कमी हुई।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 14.30 प्रतिशत की कमी हुई।✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 37.78 प्रतिशत की कमी हुई।✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 4.24 प्रतिशत की वृद्धि आई है।✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 13.96 प्रतिशत की कमी आई है।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 1,943.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 0.83 प्रतिशत की कमी हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 41.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।✓ लोक ऋण की पुर्नभुगतान में 35.13 प्रतिशत की कमी हुई।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 14.23 प्रतिशत की कमी हुई।✓ लोक लेखा के संवितरण में 13.46 प्रतिशत की कमी हुई।
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान नकद शेष राशि में ₹ 256.84 करोड़ (7.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है। अधिक विवरण परिशिष्ट 2.1 में दी गई हैं।


तालिका 2.2: 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	व्यौरा	2019-20	2020-21	वृद्धि (+) / कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	188.30	-54.14	-242.44
	राजस्व प्राप्तियाँ	58,417.14	56,149.73	-2,267.41
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49.19	48.78	-0.41
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	5,361.72	10,801.75	5,440.03
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	2,430.28	4,323.44	1,893.16
	कुल	66,446.63	71,269.56	4,822.93
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	56,456.63	59,263.58	2,806.95
	पूँजीगत व्यय	9,878.71	8,465.66	-1,413.05
	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	165.43	3,379.77	3,214.34
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	-54.14	160.55	214.69
	कुल	66,446.63	71,269.56	4,822.93

चार्ट 2.1 वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.1: 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूंजी एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को वित्त प्रदान करने हेतु इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दी गई है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है


3. निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ : कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान होते हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं रखा जाता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूंजी एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को वित्त प्रदान करने हेतु इस्तेमाल किया गया। 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ के घटक **चार्ट 2.2** में दिये गए हैं।

चार्ट 2.2: 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में रुझान देता है। इसके बाद, प्राप्तियों में रुझान को केंद्र सरकार से प्राप्ति और राज्य की अपनी प्राप्तियों में विभाजित किया गया है। जहाँ आवश्यक हो, उप-कंडिका शामिल किए गए हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	47,054	52,756	56,152	58,417	56,150
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.79	12.12	6.44	4.03	-3.88
स्वयं का कर राजस्व	13,299	12,353	14,752	16,771	16,880
कर-भिन्न राजस्व	5,351	7,847	8,258	8,750	7,564
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	7.60	8.30	13.90	10.90	-4.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 क्रम में)	2,36,250	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.34	14.21	13.30	5.06	-1.27
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	19.92	19.55	18.37	18.19	17.71


मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	1.10	0.85	0.48	0.80	*
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	0.53	0.58	1.05	2.15	*

स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पी.ई.- अन्तिम अनुमान क्यू.ई.- त्वरित अनुमान
* चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि 2016-17 में 15.79 प्रतिशत से लगातार घटकर 2020-21 में (-) 3.88 प्रतिशत हो गई। 2020-21 के दौरान, राज्य के अपने संसाधनों या केंद्र सरकार से प्राप्तियों के रूप में सभी स्रोतों से प्राप्तियों में कमी के कारण राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) में उल्लेखनीय कमी देखी गई। इसके अलावा, रा.प्रा. की वृद्धि में कमी के बावजूद, राजस्व का संग्रह हमेशा पिछले वर्ष की तुलना में निरपेक्ष रूप से अधिक था, सिवाय 2020-21 के दौरान जब वास्तविक संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कम था।


2016-20 अवधि के दौरान जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता में 0.48 और 1.10 बीच प्रमुखता से दोलित रहा। इसी प्रकार, 2016-20 के दौरान स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता के मामले में 0.53 और 2.15 के बीच दोलित रहा। हालाँकि, 2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ, स्वयं कर राजस्व और राज्य की जी.एस.डी.पी. का वृद्धि दर ऋणात्मक था। अतः उत्प्लावकता की गणना नहीं की गई।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ



आगे, जैसा कि तालिका 2.3 और चार्ट 2.3 एवं 2.4 में दर्शाया गया है, 2020-21 के दौरान राज्य के अपने राजस्व में पिछले वर्ष (10.90 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में 4.20 प्रतिशत की कमी आई है। स्वयं कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. ₹ 487 करोड़ और राज्य उत्पाद शुल्क ₹ 188 करोड़ कम संग्रह के कारण थी जबकि गैर-कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से अलौह खनन (₹ 449 करोड़), शहरी विकास (₹ 449 करोड़), ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 228 करोड़) और वृहत् सिंचाई (₹ 392 करोड़) से कमी के कारण थी।

भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. और जी.आई.ए.) में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान 3.62 प्रतिशत की कमी आई। चालू वर्ष के दौरान सी.टी.टी. और जी.आई.ए. दोनों में उल्लेखनीय रूप से (क्रमशः ₹ 881 करोड़ और ₹ 310 करोड़ से) कमी आई, जिसका मुख्य कारण निगम कर (₹ 1,077 करोड़) का कम हस्तांतरण, केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए जी.आई.ए. का ₹ 500 करोड़ और वित्त आयोग का अनुदान ₹ 164 करोड़ का कम हस्तांतरण था।


2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, अल्कोहल एवं पेट्रोलियम पर वाणिज्य कर, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। चार्ट 2.5 वर्ष 2016-21 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है

चार्ट 2.5: वर्ष 2016-21 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि



तालिका 2.4: राज्य के स्वयं के राजस्व का घटक

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
बिक्री कर	10,549	5,715	3,475	3,996	4,301	
एस.जी.एस.टी.	0	4,124	8,201	8,418	7,931	
राज्य उत्पाद	962	841	1,083	2,009	1,821	
वाहनों पर कर	682	779	864	1,129	976	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	607	469	451	560	708	
भू राजस्व	240	156	389	338	873	
अन्य	259	270	289	321	270	
कुल	13,299	12,354	14,752	16,771	16,880	

स्रोत: वित्त लेखे

2016-21 के दौरान स्वयं-कर राजस्व के वृद्धि दर ने (-) 7.10 से 19.40 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव को दिखाया। जी.एस.टी की शुरुआत के कारण 2017-18 में स्वयं कर की वृद्धि (-) 7.10 प्रतिशत घट गई। इसके अलावा, यह मुद्रांक और निबंधन शुल्क तथा भू-राजस्व को छोड़कर सभी करों के कम संग्रह के कारण उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में 13.7 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 0.7 प्रतिशत हो गया। 2020-21 के दौरान भू-राजस्व संग्रह वर्ष 2019-20 के दौरान इसके संग्रहण का लगभग दो गुना था। 2020-21 के दौरान मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के संग्रह में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी पाँच वर्ष की अवधि तक मुआवजा दिया जाना है। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी) वसूलती है तथा उस राज्य को

कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

राज्य के देय मुआवजे की गणना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद, अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अधिरोपित कर के राजस्व आँकड़े हेतु आधार वर्ष (2015-16) को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। एक राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत) के आधार पर की जाती है।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 12,342.89 करोड़ था। 2020-21 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत लगाए गए करों के संबंध में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 7,931 करोड़ थी। भारत सरकार ने राज्य के राजस्व संग्रहण को सुरक्षित करने हेतु वर्ष के लिए मुआवजा के रूप में ₹ 1,099.14 करोड़ दिया। हालांकि, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 (₹ 859.18 करोड़) के अवधि से संबंधित मुआवजा राशि वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त हुई। इसी प्रकार, जून 2021 (₹ 337.04 करोड़) और सितम्बर 2021 (₹ 341.87 करोड़) में 2020-21 से संबंधित ₹ 678.91 करोड़ राशि प्राप्त हुई।

अतः वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 12,342.89 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,633.84 करोड़ की कम प्राप्ति के साथ एस.जी.एस.टी. संग्रहण एवं मुआवजा की राशि ₹ 9,709.05 करोड़ की प्राप्ति हुई।

आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन एवं जी.एस.टी. मुआवजा के विरुद्ध इसका समायोजन

भारत सरकार को आई.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 17 के अंतर्गत आई.जी.एस.टी. राज्य सरकार में विभाजित करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 608.26 करोड़ की राशि की अनंतिम/अग्रिम निपटान इस शर्त पर स्वीकृत किया कि इस राशि का समायोजन आई.जी.एस.टी. का भविष्य में भुगतान से कर ली जाएगी। 2020-21 के दौरान आई.जी.एस.टी. की अग्रिम विभाजन में पिछले वर्ष के मुकाबले (₹ 69.12 करोड़) उल्लेखनीय रूप से 1,214 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जी.एस.टी. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जी.एस.टी.एन. परिसर पर सम्पूर्ण भारत के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान करने हेतु 22 जून 2020 में भारत सरकार का निर्णय संप्रेषित की गई। आँकड़ों तक अपेक्षित पहुँच जनवरी 2021 में प्रदान की गई। इसलिए वर्ष 2020-21 के लेखों

को जी.एस.टी.एन प्रणाली के बैकड्रॉ के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की पहुँच के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण

बकाया राजस्व सरकार को राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध होती है। दोनों संभावित राजस्व प्राप्तियों से राज्य को वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2021 तक, राजस्व संग्रहण में बकाया ₹ 662.09 करोड़ था (उत्पाद और मद्यनिषेध विभाग तथा मोटर वाहन कर विभाग) जिनमें से ₹ 30.56 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से, ₹ 7.65 करोड़ की राशि उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग से संबंधित थी, जो न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा अवरुद्ध की गयी थी। अन्य विभागों की विवरणियाँ अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध नहीं थीं।

ब कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा मुनाफा, खनन प्राप्तियाँ, विभाग की प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 7,564 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण इस वर्ष हेतु ₹ 11,820 करोड़ के बजट आकलन से उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2016-21 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2016-21 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पाकलाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	121	169	47	310	81	
लाभांश एवं लाभ	0	0	0	0	15	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	5,230	7,678	8,211	8,440	7,468	
(क) अलौह खनन तथा धातु कर्म	4,094	5,941	5,935	5,461	5,012	
(ख) शिक्षा	21	20	590	469	166	
(ग) शहरी विकास	144	122	265	529	80	
(घ) वृहत् सिंचाई	20	131	321	424	32	
(ङ) जन आपूर्ति	4	5	6	420	137	
(च) अन्य	947	1,459	1,094	1,137	2,041	
कुल	5,351	7,847	8,258	8,750	7,564	

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा 11.37 प्रतिशत और 14.98 प्रतिशत के बीच था। हालाँकि, यह 2019-20 में 14.98 प्रतिशत से 2020-21 में 13.47 प्रतिशत तक की कमी हुई। कर-भिन्न

राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियाँ थी। हालांकि, खनिज रियायत शुल्क किराया और रॉयल्टी के कम संग्रहण के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अधीन संग्रहण में ₹ 449 करोड़ की कमी आई। इसी प्रकार, 2020-21 के दौरान शहरी विकास (₹ 449 करोड़), वृहत् सिंचाई (₹ 392 करोड़), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 303 करोड़), जन आपूर्ति (₹ 283 करोड़) और ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 229 करोड़) के तहत संग्रहण में 2020-21 के दौरान उल्लेखनीय कमी भी देखा गया था। इसकी भरपाई फसल कृषि कर्म (₹ 396 करोड़), वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 310 करोड़) और चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (₹ 262 करोड़) के तहत अधिक संग्रह द्वारा की गई थी। 2020-21 के दौरान नकद शेष निवेश पर कम ब्याज के कारण ब्याज प्राप्तियों में काफी कमी आई है। ब्याज की औसत दर जिस पर सरकार ने उधार लिया था, वह 6.13 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जबकि इसके नकद शेष पर प्राप्त ब्याज दर लगभग पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष थी।


लघु शीर्ष-913 के अंतर्गत अनियमित जमा राशि

वर्ष 2020-21 के दौरान, लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान की बिना खर्च की गई शेष राशि की वसूली' से राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,207.02 करोड़ की राशि (सहायता अनुदान की अप्रयुक्त राशि एवं योजना निधि की अप्रयुक्त राशि) जमा की गई। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं से संबंधित जमा की गई राशि का विभाजन उपलब्ध नहीं था। जमा राशि वास्तविक राजस्व नहीं होने के कारण राजस्व प्राप्तियों में शामिल की जाती है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों का अत्योक्ति और राज्य सरकार के राजस्व व्यय को उस सीमा तक न्यूनोक्ति दिखाया जाता है।

स केन्द्र से अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में राज्य को केन्द्रीय अंतरण, वर्ष 2013-14 को छोड़कर, जब यह इस निशान से ठीक नीचे था, वर्ष 2011-21 के दौरान राज्य की कुल गैर-ऋण राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक था। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्वयं के राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राजस्व मुआवजे की प्राप्ति के फलस्वरूप गैर-ऋण प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय हस्तांतरण का अनुपात 2017-18 के दौरान उच्चतम (62 प्रतिशत) था। 2020-21 के दौरान यह अनुपात 56 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: राज्य को केन्द्र से अंतरण



राज्य को केन्द्र द्वारा करों का हस्तांतरण वर्ष 2011-12 के ₹ 7,170 करोड़ से निरंतर रूप से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 23,906 करोड़ हो गई। हालांकि पूर्व वर्ष के सापेक्ष यह वर्ष 2019-20 में घटकर ₹ 20,593 करोड़ (₹ 3,313 करोड़ की कमी) और 2020-21 में ₹ 19,712 करोड़ हो गई।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकवार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	299	5,900	5,844	5,863
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	2,134	471	0	0
निगम कर	6,135	6,475	8,313	7,021	5,944
निगम कर के अलावा आय पर कर	4,264	5,467	6,122	5,502	6,093
कस्टम	2,639	2,134	1,695	1,305	1,050
संघ उत्पाद शुल्क	3,013	2,230	1,126	908	663
सेवा कर	3,077	2,404	220	0	85
अन्य कर ²	14	0	59	13	14
केन्द्रीय कर अंतरण	19,142	21,144	23,906	20,593	19,712
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	20	10	13	-14	-4
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशतता	41	40	43	35	35

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में सी.टी.टी. में ₹ 881 करोड़ की कमी हुई थी, जो उपरोक्त तालिका में दिखाए गए अनुसार जी.एस.टी और निगम कर के अलावा अन्य आय पर करों को छोड़कर लगभग सभी करों के कम अंतरण के कारण था। केंद्रीय कर अंतरण 2019-20 और 2020-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 35 प्रतिशत था।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2016-21 अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर में (-)19.07 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच वृहत रूप से दोलित था। वर्ष 2018-19 के दौरान, मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ₹ 528 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) में ₹ 249 करोड़ तथा स्थानीय निकायों को आधारभूत अनुदान में ₹ 538 करोड़ तक कम अनुदान की प्राप्ति के कारण यह सबसे कम थी।

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 में 33.21 प्रतिशत से घटकर यह फिर से 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति का (-) 2.51 प्रतिशत हो गया। जी.आई.ए. में कमी मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ₹ 604 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए ₹ 749 करोड़ से कम कुल मूलभूत अनुदान के कारण थी।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गैर-योजना अनुदान*	1,875.29	-	-	-	-
राज्य योजना हेतु अनुदान*	6,792.89	-	-	-	-
केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान*	78.01	-	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान*	515.16	-	-	-	-
विशिष्ट योजना हेतु अनुदान	-	-	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	-	7,985.24	6,996.85	7,339.05	6,838.85
वित्त आयोग अनुदान	-	1,583.03	1,059.89	3,154.60	2,990.50
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	1,844.02	1,178.78	1,809.01	2,164.06
कुल	9,261.35	11,412.29	9,235.52	12,302.66	11,993.41
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	26.21	23.23	-19.07	33.21	-2.51
राजस्व प्राप्तियों से जी.आई.ए. की प्रतिशतता	19.68	21.63	16.45	21.06	21.36

स्रोत: वित्त लेखे

* कोई आँकड़े नहीं: चूँकि 2017-18 से योजना एवं गैर-योजना अनुदान का नामकरण हटा दिया गया तथा इसे सी.एस.एस.हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदान में प्रतिस्थापित किया गया।

2016-21 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राज्य को सहायता अनुदान में ₹ 9,235.52 करोड़ से ₹ 12,302.66 करोड़ के बीच दोलित हुआ और इस अवधि

के दौरान राजस्व प्राप्तियों में इसका प्रतिशत 16.45 प्रतिशत से 21.63 प्रतिशत के बीच रहा। के. प्रा. यो. अनुदान और वित्त आयोग अनुदान में कम प्राप्ति के कारण सहायता अनुदान की वृद्धि 2019-20 में 33.21 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में नकारात्मक 2.51 प्रतिशत हो गयी।

चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान

एफ.एफ.सी की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन, सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	14 ^{वें} एफ.सी. की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तविक निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन [#]		
	2015-20	2015-20	2020-21	कुल	2015-20	2020-21	कुल
स्थानीय निकाय							
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,046.74	5,730.25	1,689.00	7,419.25	12,646.77	1,771.19	14,417.96
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	5,442.07	5,234.22	1,689.00	6,923.22	12,646.77	1,771.19	14,417.96
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	604.67	496.03	0.00	496.03			
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	1,914.55	1,256.50	733.50	1,990.00	9,199.97	1,930.03	11,130.00
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	1,531.64	1,188.53	530.25	1,718.78	9,199.97	1,930.03	11,130.00
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	382.91	67.97	203.25	271.22			
स्थानीय निकायों के लिए कुल	7,961.29	6,986.75	2,422.50	9,409.25	21,846.74	3,701.22	25,547.96
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष*	2,010.00	1,507.50	568.00	2,075.50	2,010.00	757.00	2,767.00
कुल योग	9,971.29	8,494.25	2,990.50	11,484.75	23,856.74	4,458.22	28,314.96

* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित, # भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

स्रोत: चौदहवें एवं पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

वर्ष 2015-21 की अवधि के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए ₹ 9,971.29 करोड़ के 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के विरुद्ध इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹ 8,494.25 करोड़ जारी किये गए जिससे राज्य को ₹ 1,477.04 करोड़ कम जारी की गयी।

2020-21 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ₹ 2,990.50 करोड़ जारी किये गए। आगे, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 4,458.22 करोड़ में से ₹ 2,990.50 करोड़ आधारभूत और निष्पादन अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से प्राप्त हुए थे।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको

से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2016-21 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,119.42	8,203.85	7,850.43	9,642.31	13,595.36
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	38.46	42.41	47.57	49.19	48.78
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,003.51	5,187.81	4,743.34	5,361.72	10,801.76
आंतरिक ऋण	4,927.00	5,117.24	4,637.10	5,109.14	8,411.43
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)55.21	3.86	(-)9.37	10.17	64.63
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	76.51	70.57	106.22	252.44	2,390.33*
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5,166.89	(-)7.76	50.52	137.66	846.89
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)46.54	14.90	(-)4.10	22.93	41.21
पूँजीगत गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.58	76.32	(-)29.85	4.66	(-)0.83
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.34	14.21	13.30	5.06	(-)1.27
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)46.37	15.23	(-)4.31	22.83	41.00

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

* बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,689 करोड़ शामिल

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, 2016-21 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों की दर में व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। हालाँकि 2020-21 के दौरान राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बाजार ऋण (₹ 1,900 करोड़) के अधीन उधार और भारत सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (₹ 2,162 करोड़) की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गई।

वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की वृद्धि दर और कुल प्राप्ति में व्यापक भिन्नता दिखाई गई, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा बाजार ऋणों में उतार-चढ़ाव था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में बदलाव आया। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 2017-18 में विनिवेश से ₹ 25 करोड़ की विविध पूँजीगत प्राप्तियों के कारण उल्लेखनीय रूप से बढ़ी।

2020-21 के दौरान, भारत सरकार के ऋणों में 847 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से जी.एस.टी. मुआवजे अनुदानों के स्थान पर ₹ 1,689 करोड़ का ऋण प्राप्त होना है।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन राजकोषीय वातावरण में पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता और वर्ष के दौरान जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में राज्यों को दिए गए ऋण के कारण भारत सरकार के ऋण और अग्रिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 के दौरान, जी.एस.टी. मुआवजा

कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, झारखण्ड को जी.एस.टी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए जी.एस.टी. मुआवजा अनुदान के विरुद्ध ₹ 1,689 करोड़ का एक के बाद एक (बैंक टू बैंक) ऋण प्राप्त हुआ। हालाँकि, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है, उन ऋणों के लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है।

तालिका 2.10: 2020-21 हेतु कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	वास्तविक	वास्तविक भिन्नता का प्रतिशत
स्वयं के कर राजस्व	21,670	16,880	(-)22.10
कर-भिन्न राजस्व	11,820	7,564	(-)36.01

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का वास्तविक संग्रहण वर्ष के लिए अनुमानित एम.टी.एफ.पी. से बहुत कम था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित की जाती है कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की लागत पर ना हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2016-21) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	57,285	64,756	62,827	66,501	71,110
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	45,089	50,952	50,631	56,457	59,264
पूँजीगत परिव्यय (पूँ.व्य.)	10,861	11,953	10,712	9,879	8,466
ऋण एवं अग्रिम	1,335	1,852	1,485	165	3,380
स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	24.20	24.00	20.60	20.70	22.40
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	19.10	18.90	16.56	17.58	18.59
पूँजीगत परिव्यय/ स.रा.घ.उ.	4.60	4.43	3.50	3.08	2.65
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.57	0.69	0.49	0.05	1.07


जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है कि स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, राजस्व व्यय, ऋण और अग्रिम इत्यादि के अनुपात में वर्ष 2019-20 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में 2020-21 के दौरान बढ़ा, जबकि स.रा.घ.उ. से पूँजीगत परिव्यय अनुपात 2016-17 से 2020-21 तक लगातार घट गया। तालिका में व्यय की प्रवृत्ति सरकारी खर्च में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। तथापि, इस अवधि के दौरान पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं थी।

तालिका 2.12: विभिन्न क्षेत्रों में व्यय से संबंधित हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)


ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवा	23.80	26.90	29.40	30.00	29.00
सामाजिक सेवा	35.20	32.60	32.50	34.50	35.00
आर्थिक सेवा	41.00	40.50	38.10	35.50	36.00

चार्ट 2.7: कुल व्यय - इसकी संरचना के हिस्से की प्रवृत्तियाँ



तालिका 2.12 एवं चार्ट 2.7 से यह स्पष्ट है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2016-20 के दौरान लगातार बढ़ रहा था, जबकि 2020-21 के दौरान इसमें मामूली कमी आई। सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर खर्च का हिस्सा 2019-20 और 2020-21 के दौरान लगभग समान रहा। उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह भी देखा जा सकता है कि आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2016-17 में 41 प्रतिशत से लगातार घटकर 2020-21 में 36 प्रतिशत हो गया, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

चार्ट 2.8: कुल व्यय - गतिविधियों अनुसार खर्च



जैसा कि चार्ट 2.8 से स्पष्ट है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2016-17 में 78.71 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2020-21 में 83.34 प्रतिशत हो गया, जबकि इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक ऋण (वर्ष दर वर्ष) बढ़ने के बावजूद, 2018-19 को छोड़कर पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2016-17 में 18.96 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 11.91 प्रतिशत हो गया।

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय विगत उत्तरदायित्व हेतु व्यय तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करती है।

यह देखा गया है कि कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) वर्ष 2016-17 के 80.6 प्रतिशत से प्रमुखता से बढ़कर 2020-21 में 87.5 प्रतिशत हो गई। आगे, स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 2020-21 में एक प्रतिशत बिन्दु से भी बढ़ोतरी हुई।

2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय ₹ 59,263.59 करोड़ में से ₹ 30,893.46 करोड़ स्थापना पर तथा ₹ 28,370.13 करोड़ राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय किया गया। आगे, ₹ 59,263.59 करोड़ में से, मुख्य हिस्सा (36 प्रतिशत) आर्थिक सेवा पर खर्च किया गया, इसके बाद सामाजिक सेवा पर (35 प्रतिशत) खर्च किया गया। कुल राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियाँ के सापेक्ष उत्प्लावकता तथा कुल व्यय से इसका अनुपात तालिका 2.13 में दर्शाया गया है एवं 2020-21 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.13: राजस्व व्यय-आधारभूत प्राचल


(₹ करोड़ में)

प्राचल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	57,285	64,756	62,827	66,501	71,110
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	45,089	50,952	50,631	56,457	59,264
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	23.40	13.00	-0.60	11.50	5.00
कुल व्य. के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	78.70	78.70	80.60	84.90	83.30
रा.व्य/ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	19.10	18.90	16.56	17.58	18.69
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	95.80	96.60	90.20	96.60	105.50
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	1.63	0.91	-0.05	2.27	-3.94
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.48	1.07	-0.09	2.85	-1.29

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



वर्ष 2019-20 में 11.5 प्रतिशत के तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर पाँच प्रतिशत कम रही तथा वर्ष के दौरान कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता 1.6 प्रतिशत घटी। यद्यपि, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 1.11 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। आगे, 2020-21 के दौरान बजट आकलन (₹ 73,316 करोड़) के सापेक्ष राजस्व व्यय ₹ 14,052 करोड़ से कम था।

राजस्व व्यय में मुख्य परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन महत्वपूर्ण अंतर तालिका 2.14 में वर्णित है।

तालिका 2.14: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2040- बिक्री कर, व्यापार इत्यादि	80.26	83.24	2.98
2075- विविध सामान्य सेवाएँ	2.02	0.00	-2.02
2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	655.47	857.29	201.82
2216- आवास	12.79	16.34	3.55
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण	1,205.41	911.79	-293.62
2236 - पोषण	436.15	272.19	-163.96
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	607.69	1,093.81	486.12
2505- ग्रामीण विकास	3,495.94	4,123.14	627.20
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,769.15	3,021.35	-747.80

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, (1) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (2) आदिवासी क्षेत्र उप-योजना (3) अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और (4) पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर मुख्य रूप से क्रमशः 32 प्रतिशत, 58 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 11 प्रतिशत कम खर्च के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा/वर्ग के कल्याण पर राजस्व व्यय में काफी कमी आई है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर राजस्व व्यय मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों और आदिवासी क्षेत्र उप-योजना का क्रमशः 43 प्रतिशत और 38 प्रतिशत कम सहायता के कारण कम हुआ।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों पर राजस्व व्यय में वृद्धि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर 41 प्रतिशत अधिक व्यय, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना पर 88 प्रतिशत और आदिवासी क्षेत्र उपयोजना पर 48 प्रतिशत अधिक व्यय का परिणाम था। इसी प्रकार, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना प्रत्येक पर लगभग 206 प्रतिशत के अधिक व्यय का परिणाम था।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकासशील क्षेत्र के लिए सरकार को कम लचीलापन प्रदान करती है।

तालिका 2.15 वर्ष 2016-21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्तियाँ और वर्ष 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 2.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन व मजदूरी	8,927	11,221	12,138	12,832	12,885
पेंशन पर व्यय	4,135	5,913	5,991	6,005	6,797
ब्याज भुगतान	4,172	4,662	4,852	5,308	5,790
कुल	17,234	21,796	22,981	24,145	25,472
राजस्व प्राप्तियों (रा. प्रा.) (₹ 56,150 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन व मजदूरी	19.00	21.30	21.60	22.00	22.90
पेंशन पर व्यय	8.79	11.21	10.67	10.28	12.11
ब्याज भुगतान	8.87	8.84	8.64	9.09	10.31
कुल	36.65	41.34	40.91	41.37	45.32
राजस्व व्यय (रा. व्य.) (₹ 59,264 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन व मजदूरी	19.80	22.02	23.97	22.73	21.74
पेंशन पर व्यय	9.17	11.61	11.83	10.64	11.47
ब्याज भुगतान	9.25	9.15	9.58	9.40	9.77
कुल	38.22	42.75	45.42	42.74	42.98

2020-21 के दौरान, वेतन व मजदूरी, ब्याज अदायगी एवं पेंशन पर कुल व्यय वर्ष 2019-20 में 42.74 प्रतिशत के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत 42.98 रहा जबकि इसमें 2019-20 में 41.37 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों का 45.32 प्रतिशत खपत की गई।

ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के 9.40 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में 9.10 प्रतिशत थी। मुख्यतः बाजार ऋण पर अधिक ब्याज और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष के शेष पर ब्याज के भुगतान के कारण, राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2019-20 में 9.09 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 10.31 प्रतिशत हो गई।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) के तहत रखा गया है जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके बराबर राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

2020-21 के दौरान ₹ 582.16 करोड़ के नियोक्ता के योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को नियोक्ता के योगदान के रूप में ₹ 566.86 करोड़ के मुकाबले ₹ 581.08 करोड़ हस्तांतरित किए। वर्ष 2020-21 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ₹ 25.33 करोड़ शेष रह गयी।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.16 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में कमी हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में 7.32 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 5.71 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में 7.57 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 5.41 प्रतिशत हो गई।

2020-21 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2401- फसल कृषि-कर्म (₹ 876 करोड़), 2801- ऊर्जा (₹ 1,000 करोड़) तथा 3456- जन आपूर्ति (₹ 1,243 करोड़) की सब्सिडी दी। सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान, सब्सिडी में ₹ 1,073 करोड़ की कमी मुख्य रूप से फसल कृषि कर्म के तहत कृषि फार्मों के लिए ₹ 600 करोड़, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में ₹ 700 करोड़, उपभोक्ताओं के लिए जे.बी.वी.एन.एल. के माध्यम से टैरिफ सब्सिडी में ₹ 350 करोड़ और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ₹ 116 करोड़ की कमी के कारण थी।

तालिका 2.16: वर्ष 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,859	1,440	2,092	4,275	3,202
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	3.95	2.73	3.73	7.32	5.71
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	4.12	2.83	4.13	7.57	5.41

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

तालिका 2.17: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)


संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(अ) स्थानीय निकायें					
नगर निगम एवं नगरपालिका	2,961.14	1,155.11	1,748.50	1,505.45	1,930.03
पंचायती राज संस्थान	2,533.77	1,270.13	2,937.69	2,497.70	1,771.20
कुल (अ)	5,494.91	2,425.24	4,686.19	4,003.15	3,701.23
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	1,133.03	671.67	621.08	1,265.29	1,771.17
विकास प्राधिकरण	3,915.39	7,447.41	3,952.30	10,771.73	8,283.26
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	0.00	0.00	0.00	1,753.28	2,119.77
अन्य संस्थान	9,788.69	10,169.67	8,716.24	1,398.01	4,202.24
कुल (ब)	14,837.11	18,288.75	13,289.62	15,188.31	16,376.44
कुल (अ+ब)	20,332.02	20,713.99	17,975.81	19,191.46	20,077.67
राजस्व व्यय	45,089	50,952	50,631	56,457	59,264
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	45.09	40.65	35.50	33.99	33.88

2020-21 के दौरान शहरी स्थानीय निकाय को दिए गए वित्तीय सहायता में ₹ 424.58 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 14वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री आवास योजना (₹ 203.86 करोड़) द्वारा अनुशंसित ₹ 401.81 करोड़ के विरुद्ध 15वें वित्त आयोग (₹ 809.03 करोड़) के तहत प्रदान किए गए अनुदान को शामिल करने के कारण हुई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मूल अनुदान की प्राप्ति 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 547.71 करोड़ की कमी के कारण पंचायती राज संस्थान को वित्तीय सहायता में कमी आई।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो निर्धारित आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर खर्च होता है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



पूँजीगत व्यय में प्रमुख बदलाव

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान पूँजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई, हालाँकि यह 2017-18 में ₹ 11,953 करोड़ से लगातार घटकर 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ हो गई। 2020-21 के दौरान, सामान्य सेवाओं पर पिछले वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण पूँजीगत व्यय में 38 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत की कमी हुई। सामान्य सेवाओं पर व्यय में कमी मुख्य रूप से 2020-21 के दौरान पुलिस पर (₹ 236 करोड़) और सार्वजनिक कार्य पर (₹ 178 करोड़) कम खर्च के कारण हुई। पुलिस पर खर्च में कमी मुख्य रूप से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कम आवंटन और अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए केंद्रीय सहायता की कम प्राप्ति के कारण हुई, जबकि सार्वजनिक कार्यों में यह मुख्य रूप से वर्ष के दौरान कार्यालय और अदालत भवनों के लिए कम आवंटन के कारण था।

पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर कम पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) के बावजूद, 2020-21 में पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) का प्रमुख हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 6,203 करोड़) पर ही था। परिवहन (₹ 3,120 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1,283 करोड़) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,046 करोड़) के व्यय को प्राथमिकता दी गई। हालाँकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान इन सभी सेवाओं पर कम व्यय हुआ। कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर पूँजीगत व्यय उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में ₹ 176 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 76 करोड़ हो गया।

राज्य का पूँजीगत व्यय (₹ 8,466 करोड़) वर्ष 2020-21 के लिए किए गए इसके बजट प्रावधान (₹ 8,653 करोड़) के लगभग बराबर था। हालाँकि, पूँजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान से ₹ 187 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया था। बचत का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से प्रमुख सड़कों के निर्माण (₹ 147 करोड़), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण के लिए ऋण (₹ 142 करोड़) और ट्यूबवेल और कुँओं द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 100 करोड़) हेतु प्रदान किए गए निधि से था।

तालिका 2.18: 2019-20 के तुलना में 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि(+)/कमी(-)
4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	806.63	570.88	-235.75
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	366.15	188.76	-177.39
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	258.13	94.87	-163.26
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	347.69	586.13	238.44
4515-अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1,991.11	1,283.49	-707.62
4700-वृहत् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	415.13	94.85	-320.28
4801-ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	626.00	626.00
5054-सड़क व पुल पर पूँजीगत परिव्यय	3,674.33	3,081.21	-593.12

2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

23 कंपनियों से प्राप्त अद्यतन लेखों के अनुसार, छः कंपनियों³ का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी निवल मूल्य 31 मार्च 2020 तक (-) ₹ 5,261.22 करोड़ था।

पुनः उनके लेखाओं के अनुसार 12 कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2019-20 के दौरान उनका हानि ₹ 1,360.96 करोड़ था। हानि में चल रही इन कंपनियों में से तीन कंपनियों (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और झारखण्ड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लि.) को सरकार से वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 454.14 करोड़ राशि का ऋण प्राप्त हुआ। चूँकि, हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों का अधिमूल्यन हुआ।

यह भी पाया गया कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 18,531.73 करोड़ था जिसमें से दिनांक 31 मार्च 2020 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 17,317.48 करोड़ था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि दिनांक 31 मार्च 2020 तक ₹ 8,166.11 करोड़ थी।

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2021 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 1,111.65 करोड़ का निवेश तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक⁴ (₹ 45.73 करोड़), 18 सरकारी कंपनियाँ (₹ 904.88 करोड़) और 21 सहकारी बैंकों और सोसायटीज (₹ 161.04 करोड़) में किया। हालांकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु मद के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूँजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने 2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आंका गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21

³ तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (- ₹ 1,013.63 करोड़), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 4,187.57 करोड़), झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (- ₹ 14.31 करोड़), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (- ₹ 36.18 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (- ₹ 7.74 करोड़) और झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (- ₹ 1.79 करोड़)

⁴ राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक राँची (₹ 18.37 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक दुमका (₹ 8.40 करोड़)

के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़⁵ के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया, हालाँकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁶ का निवेश अभी भी असमायोजित था।

तालिका 2.19: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	320.83	376.87	432.87	447.95	1,111.65
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
सरकारी उधारी पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत)	6.76	6.98	6.29	6.34	6.13
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	6.76	6.98	6.29	6.34	4.78

स्रोत : वित्त लेख

एक कंपनी (झारखण्ड स्टेट बेवरेज कोरपोरेशन लिमिटेड) से अपने निवेश पर लंबे समय के बाद ₹ 15 करोड़ के न्यूनतम प्रतिफल होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के पाँच⁷ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और एक सहकारी (जनजातीय सहकारिता विकास) में ₹ 663.70 करोड़ का निवेश किया। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच बड़ा अंतर था।

14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) तथा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में निवेश किया गया जिसे उत्तरवर्ती राज्य बिहार तथा झारखण्ड में बटवारा नहीं किया गया।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.19 में दिखाए गए संस्थाओं के शेयर में निवेशों के अलावे राज्य सरकार कई संस्थाओं और इसके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2021 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.20 में प्रस्तुत है।

⁵ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़ और झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड - ₹ 15 करोड़।

⁶ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण - ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड - ₹ 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड - ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड - ₹ 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम लिमिटेड - ₹ 5 करोड़।

⁷ माइनोरिटी डेवलपमेंट एवं फाइनेंस कॉरपोरेशन (₹ 0.50 करोड़); झारखण्ड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (₹ 7 करोड़); झारखण्ड सेंट्रल रेल प्रोजेक्ट (₹ 25 करोड़), होटल अशोक विहार लिमिटेड (₹ 25 करोड़) और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (₹ 626 करोड़)।

तालिका 2.20: पाँच वर्षों के दौरान दी गई और वसूली गई ऋण की मात्रा

(₹ करोड़ में)

दी गई तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	16,187	17,483	19,292	20,730	20,846
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	1,335	1,852	1,486	165	3,380
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	39	43	48	49	49
ऋण बकाया का अंत शेष	17,483	19,292	20,730	20,846	24,177
निवल जोड़	1,296	1,809	1,438	116	3,331
प्राप्त ब्याज	3.88	87.66	14.72	38.91	22.62
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.02	0.50	0.08	0.19	0.11
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	6.76	6.98	7.98	6.34	6.13
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.74	6.48	7.90	6.15	6.02

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही पर कुल बकाया राशि (₹ 24,177 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से ऊर्जा कंपनियों (₹ 23,294 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 776 करोड़) के पास बकाया था।

योजनाओं के क्रियान्वयन और संचरण उद्देश्य के लिए बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,523 करोड़) तथा ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (₹ 825 करोड़) को ऋण दिया गया था। मार्च 2021 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,479.86 करोड़ (मूलधन ₹ 1,810.16 करोड़ और ब्याज ₹ 1,669.70 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्य बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि को रोकना, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रखता है। पुनः संबंधित वर्षों के दौरान इन

परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार और वर्ष-वार सूचना जो 31 मार्च 2021 तक या उससे पहले पूरी की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.21 और 2.22 में दी गई है।

तालिका 2.21: 31 मार्च 2021 तक अधूरी/परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2021 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2014 तक	6	120	74	3	5
2015	13	174	154	3	7
2016	15	500	268	2	15
2017	21	402	346	6	32
2018	43	520	419	7	31
2019	87	1,842	1,283	10	20
2020	189	4,055	2,125	16	77
कुल	374	7,613	4,669	47	187

तालिका 2.22: 31 मार्च 2021 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित व्यय	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	अनुमान में वृद्धि
सड़क निर्माण विभाग	125	4,793.81	2,845.88	21	168.25
ग्रामीण विकास विभाग	102	396.31	266.24	5	2.72
जल संसाधन विभाग	84	1,475.29	841.27	14	8.97
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	42	689.19	598.84	7	7.39
भवन निर्माण विभाग	21	258.59	117.01	शून्य	शून्य
कुल	374	7,613.19	4,669.24	47	187.33

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी में दिखाई गई 374 परियोजनाओं में से केवल 47 परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन 40 परियोजनाओं में ₹ 971.57 करोड़ की अनुमानित लागत समय पर उन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 215.14 करोड़ तक बढ़ गई, जिसकी भरपाई सात परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों के ₹ 27.81 करोड़ से की गई। चूंकि शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार उसकी गणना नहीं की जा सकी।

2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूंजीगत व्यय

वित्त लेखे से यह देखा गया कि ₹ 2,605.33 करोड़ समेकित निधि के पूंजीगत शीर्ष से लोक लेखा के जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे। कुल स्थानांतरित राशि में से ₹ 300.53 करोड़ लोक निर्माण कार्य जमा शीर्ष को और ₹ 2,304.80 करोड़ स्थानीय निधियों के जमा में स्थानांतरित किए गए। कुछ मुख्य मदें तालिका 2.23 में दिखाया गया है।

तालिका 2.23: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
	से		तक		
1	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	125.38
2	4801	ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-107 राज्य बिजली बोर्ड निर्माण निधि	626.00
3	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	109.53
4	4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	517.96
5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	142.26
6	5054	सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	766.97
कुल					2,288.10

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था जिसके कारण पूंजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका। तथापि, यह देखा गया कि लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण कार्य जमा अंतर्गत ₹ 4,492.30 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 1,871.24 करोड़ जोड़ा गया था (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) तथा ₹ 2,048.42 करोड़ खर्च किया गया जिससे मार्च 2021 के अंत तक ₹ 4,315.11 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार ₹ 1,113.15 करोड़ (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) लघु शीर्ष 106- व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत ₹ 1,155.66 करोड़ के प्रारंभिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 522.29 करोड़ खर्च किया गया जिससे ₹ 1,746.52 करोड़ का शेष रहा।

2.4.8 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और एक ढांचा प्रदान करती है।

तालिका 2.24: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	पूर्ण		कार्यशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	ऊर्जा	1	181.43	1	77.00	-	-
2	पर्यटन	-	-	1	250.00	-	-
3	चिकित्सा	-	-	1	80.10	-	-
4	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	1	12.00	1	150.00
5	सड़क एवं पुल	8	4,372.68	2	642.60	-	-
6	शिक्षा	-	-	-	-	1	17.99*
	कुल	9	4,554.11	6	1,061.70	2	167.99

स्रोत: www.pppinindia.gov.in *वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण भविष्य के योजना में शामिल किया गया

2.4.9 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होती है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है।

तालिका 2.25: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ऋण तथा अग्रिम का संवितरण/ ए.इ.	सी.ओ/ ए.इ.	सी.इ./ ए.इ.	एस.एस.इ/ ए.इ.	इ.एस.इ/ ए.इ.	शिक्षा/ ए.इ.	स्वास्थ्य/ ए.इ.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2015-16)	4.33	14.43	18.78	36.26	34.35	15.45	5.45
झारखण्ड (2015-16)	14.33	15.63	29.96	21.32	45.33	12.60	4.16
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2020-21)	1.27	11.77	13.03	37.81	28.48	15.00	6.74
झारखण्ड (2020-21)	4.75	11.90	16.66	34.96	35.96	14.16	5.72

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, 2020-21 के दौरान शिक्षा व्यय और स्वास्थ्य व्यय का कुल व्यय से अनुपात 2015-16 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में कम रहा। 2015-16 की तुलना में 2020-21 में सामाजिक क्षेत्र पर समग्र व्यय से कुल व्यय का अनुपात में भी सुधार देखा गया।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र के व्यय पर सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में वर्ष 2015-16 तथा 2020-21 दोनों में झारखण्ड का अनुपात कम था। जो इस सेवाओं पर राज्य सरकार की कम प्राथमिकता को इंगित करता है। 2015-16 से व्यय की प्राथमिकता नहीं बदली गई, जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है।

2.4.10 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे सिर्फ लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन को दर्शाता है। अतः वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक दिखाया जाता है। चार्ट 2.11 वस्तु उद्देश्य के प्रमुख मदों पर राजस्व व्यय के बारे में जानकारी साझा करता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर व्यय



जैसा कि चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया, हालांकि, प्रमुख कार्यों पर अर्थात् राज्य के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लगभग कुल राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत व्यय किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियां और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.26 में दिया गया है।


तालिका 2.26: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	-1,075.67	-1,142.18	-1,211.11	-1,216.86	-1,194.40
J. आरक्षित निधि	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-1,259.21	-1,551.04	-1,930.09	-5,948.02	-6,320.39
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-9.70	-13.52	-12.64	-39.55	-25.33
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	-13,637.8	-18,356.4	-19,853.8	-21,065.2	-24,331.45
	(स) अग्रिम	4.94	5.78	6.28	7.15	19.67
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	-92.08	132.14	5.42	-91.29	-146.35
	(ब) अन्य लेखे	1,445.59	392.6	207.09	3,117.62	2,855.90
	(स) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(द) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
M. प्रेषण	(अ) मनीऑर्डर, एवं अन्य प्रेषण	28.65	-66.84	-118.85	-114.25	-133.68
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	24.15	27.16	19.57	31.95	7.23
कुल		-14,571.13	-20,572.30	-22,888.13	-25,318.45	-29,267.20

नोट: सकारात्मक डेबिट शेष एवं नकारात्मक क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.12: लोक लेखा शेष की संरचना में वर्ष-वार परिवर्तन



पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान जमा तथा अग्रिम में निवल योग मुख्य रूप से राज्य विद्युत बोर्ड कार्य निधि (₹ 968.81 करोड़) के साथ मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा अंतर्गत व्यक्तिगत जमा (₹ 590.87 करोड़), तथा मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि का जमा के अंतर्गत अन्य निधि (₹ 1,378.16 करोड़) के क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण था। वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि को ₹ 978 करोड़ जमा होने के कारण ब्याज सहित रक्षित कोष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियां राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि हैं; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

एस.डी.आर.एफ. दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को लोक लेखे शीर्ष के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त हिस्से को एस.डी.आर.एफ. में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

2020-21 के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 252 दिनों (₹ 284 करोड़) और 2 दिनों (₹ 284 करोड़) के विलंब के साथ

लोक लेखों में अपने हिस्से के साथ भारत सरकार से प्राप्त योगदान को हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 11.86 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और अधिसूचित जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

आगे, दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज (6.20 प्रतिशत) की दर से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालांकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-21 की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ₹ 797.98 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2020-21 में अभुगतित ब्याज ₹ 128.08 करोड़ (₹ 116.22 करोड़ और ₹ 11.86 करोड़) था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। इसके साथ-साथ, 31 मार्च 2021 तक निधि में ₹ 2,520.47 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी, जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाते हैं। इस तरह, निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखित देनदारियों को दर्शाता है।

तालिका 2.27: एस.डी.आर.एफ को भारत व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

लेखे के प्रमुख शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2020-21 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 01- सूखा	101-नि.शुल्क राहत	0.00
	102-पेयजल आपूर्ति	11.11
उप योग		11.11
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- नि.शुल्क राहत	1.40
	113- घर के मरम्मत और पुनर्निर्माण	1.92
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	4.11
उप योग		7.43
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण- रा.आ.प्र.नि.	978.00
	901- कटौती - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	394.52
उप योग		583.48
2245-प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	376.97
उप योग		376.97
कुल योग		978.99

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

सी.ए.एफ. (लेखा पद्धति) नियम, 2018 के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी रकम प्राथमिक तौर पर मुख्य शीर्ष "8336- सिविल जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "103- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु-शीर्ष- "129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष "8336-नागरिक जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा-11-झारखण्ड" को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष "8121 सामान्य और अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु शीर्ष-"129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा की गई।

2020-21 के दौरान, कोष में प्राप्ति ₹ 399.12 करोड़ थी और 31 मार्च, 2021 को एस.सी.ए.एफ. में ₹ 4,199.92 करोड़ की राशि छोड़कर वर्ष के दौरान कोष से ₹ 210.24 करोड़ का व्यय हुआ।

चूँकि, एस.सी.ए.एफ. एक ब्याज वहन आरक्षित कोष है, सरकार को वर्ष के अंतिम शेष (₹ 4,011.03 करोड़) पर 1 जनवरी (वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 4.90 प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत) को आर.बी.आई. की रिवर्स रेपो दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता है, जोकि ₹ 329.58 करोड़ है। जिसके विरुद्ध सरकार ने 2020-21 के दौरान ₹ 228.70 करोड़ का भुगतान किया, जिससे ₹ 100.88 करोड़ का बकाया ब्याज शेष रह गया।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग के सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लेखाओं के दायित्वों सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि बनाया था।

वर्ष 2020-21 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का ₹ 94,406.60 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 303.87 करोड़ का बजट प्रावधान हास निधि में स्थानांतरित करने हेतु किया।

निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + सार्वजनिक खाता) का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत समेकित हास निधि में योगदान कर सकता है।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत के संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारत क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, जैसा कि तय किया गया हो।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, झारखण्ड सरकार को निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ.) का गठन करना था। यह प्रत्याभूति जोखिम के आधार पर करना था। निधि में योगदान की मात्रा उसी के अनुसार तय की जानी थी। निधि में संचय का उपयोग सरकार द्वारा वैसे संस्थानों, जिनके लिए प्रत्याभूति जारी की गई तथा उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया, के भुगतान के लिए किया जाता है। हालाँकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।


झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राज्य द्वारा ₹ 607.15 करोड़ की गारंटी दी गयी थी।

2.5.4 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन राज्य के ऋण के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने, तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित करे, हेतु रणनीति को स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2016-21 की अवधि में राज्य के कुल ऋण की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.13 में दिखाई गई है। 31 मार्च 2021 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.13: सरकार के कुल ऋण और इसकी स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता



2.5.4.1 ऋण विवरण: अवयव

राज्य सरकार के कुल ऋण में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि) केंद्र सरकार से ऋण समाहित होता है।

2016-21 के दौरान लोक ऋण और लोक लेखा की प्राप्तियों और देयताओं के पश्चात् धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.28 में दिया गया है।

तालिका 2.28: घटक वार ऋण प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
कुल बकाया	66,826.97	77,095.03	83,782.93	94,406.60	1,09,184.99	
लोकऋण	आंतरिक ऋण	48,682.31	53,799.09	58,436.19	63,545.46	71,956.90
	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,162.29	2,232.85	2,339.08	2,591.52	4,981.45
लोक लेखा का उत्तरदायित्व	15,982.37	21,063.09	23,007.66	28,269.62	32,246.24	
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	18.21	15.37	8.67	12.68	15.65	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	2,36,250	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	
कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	28.29	28.57	27.41	29.40	33.90 [#]	
कुल ऋण प्राप्ति	19,192.64	25,205.53	22,223.80	30,980.35	32,562.62	
कुल ऋण पुनर्भुगतान	8,896.17	14,937.47	15,535.90	20,356.68	17,784.23	
ब्याज भुगतान	4,172.00	4,661.68	4,851.97	5,307.71	5,790.00	
उधार राशि की निवल उपलब्धता	6,124.47	5,606.38	1,835.93	5,315.96	8,988.39	
ऋण पुनर्भुगतान/ ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	68.09	77.76	91.74	82.84	72.40	

यह ऋण ₹ 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।


भारत सरकार के व्यय विभाग ने निर्णय लिया कि जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के लिए राज्य को ₹ 1,689 करोड़ का ऋण जो बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्रदान किया गया उसे वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किसी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जायेगा इसके कारण राज्य का प्रभावी कुल बकाया ₹ 1,07,495 करोड़ हो जायेगा।

बढ़ता हुआ दायित्व राज्य सरकार के वित्त की धारणीयता के मामले को दर्शाता है। आगे, पूर्ववर्ती बिहार के राजकोषीय दायित्वों को पुनर्गठित बिहार एवं झारखण्ड के बीच बटवारा अब तक नहीं हुआ है।


उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2016-21 के दौरान ₹ 1,836 करोड़ और ₹ 8,988 करोड़ के बीच थी। हालाँकि, यह उल्लेखनीय रूप से 2019-20 में ₹ 5,315.96 करोड़ से 2020-21 में ₹ 8,988 करोड़ बढ़ गया। 2020-21 के दौरान, उपलब्ध ऋण की निधि में मुख्य योगदानकर्ता रक्षित निधि के तहत सरकार द्वारा ली गई बाजार ऋण (₹ 8,900 करोड़) थी।

वर्ष 2019-20 में लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 39.40 प्रतिशत के विरुद्ध 2020-21 के दौरान, लगभग पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि, लोक ऋण का पुनर्भुगतान और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में आठ प्रतिशत तक की कमी हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार निधियों की अधिक उपलब्धता रही। हालाँकि, 2020-21 के दौरान मौजूदा देनदारियों के निर्वहन के लिए उधार धनराशि के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया था। 2020-21 के दौरान घटक-वार ऋण प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दिखाया गया है, जबकि, चार्ट 2.15 राज्य के कुल ऋण में लोक ऋण और लोक लेखे का अवयव का विभाजन दर्शाता है। चार्ट 2.16 वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की प्राप्ति और पुनर्भुगतान दर्शाता है।


चार्ट 2.14: 2020-21 के अंत में कुल ऋण का ब्यौरा



चार्ट 2.15: समय ऋण में लोक ऋण तथा लोक लेखे का घटक



चार्ट 2.16: आंतरिक ऋण प्राप्ति के साथ भुगतान



2016-21 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

व्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजकोषीय घाटा के अवयव					
1 राजकोषीय अधिशेष/घाटा	1,965	1,804	5,521	1,960	-3,114
2 निवल पूँजीगत व्यय	-10,861	-11,928	-10,712	-9,879	-8,466
3 निवल उधार व अग्रिम	-1,296	-1,809	-1,438	-116	-3,331

व्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप						
1	बाजार से उधार	4,725	4,807	4,023	5,656	8,900
2	भारत सरकार से उधार	77	71	106	252	2,390
3	एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूति	-733	-746	-757	-769	-769
4	वित्तीय संस्थानों से उधार	934	1,054	1,371	222	281
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	-121	66	69	6	-23
6	जमा एवं अग्रिम	5,031	4,722	1,496	1,238	3,215
7	उचंत व विविध	-30	-224	127	97	53
8	प्रेषण	-30	93	60	-17	44
9	आरक्षित निधि	383	292	379	4,018	772
10	चिन्हित कोष में निवेश	00	00	00	00	304
11	कुल हानि	10,236	10,135	6,874	10,703	15,167
12	नकद शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)	-43	1,798	-245	-2,668	-256
13	कुल राजकोषीय हानि	10,193	11,933	6,629	8,035	14,911

जैसा उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा (₹ 14,911 करोड़) पूँजीगत व्यय एवं ऋणों और अग्रिमों पर ₹ 11,797 करोड़ (₹ 8,466 करोड़ + ₹ 3,331 करोड़) के व्यय का परिणाम था, जबकि ₹ 3,114 करोड़ पिछले वर्षों में राज्य द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान और उधार का ब्याज पर राजस्व व्यय का परिणाम था।

2020-21 के दौरान ₹ 14,911 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 8,900 करोड़), जमा व अग्रिम (₹ 3,215 करोड़) और भारत सरकार से ऋण (₹ 2,390 करोड़) द्वारा वित्तपोषित था।


2.6 ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान अवधि विन्यास ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.30: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 - 1	2,821.44	4
1 - 3	9,767.95	13
3 - 5	13,437.89	17
5 - 7	10,657.38	14
7 और अधिक	40,254.08	52
कुल	76,938.75	100

चार्ट 2.17: ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास



लोक ऋण की परिपक्वता अवधि विन्यास को दर्शाते हुए तालिका 2.30 और चार्ट 2.17 से स्पष्ट है कि पुनर्भुगतान का दबाव वर्ष 2022-23 से बढ़ने की सम्भावना है और झारखण्ड सरकार के स्टॉक की परिपक्वता के कारण वर्ष 2025-26 से शीर्ष पर पहुंचने की संभावना है।

2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता के उपरोक्त संदर्भ में, 13वें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। 14वें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी) ने केन्द्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की। झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा न रखने का निर्णय लिया। बजट के साथ प्रस्तुत एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर एम.टी.एफ.पी विवरण में प्रत्येक वर्ष स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया।

ऋण स्टॉक की स्थिति के तुलना में एफ.एफ.सी लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तालिका 2.31 में दिए गए हैं।

तालिका 2.31: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत में)		स.रा.घ.उ. से कुल ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.एफ.सी लक्ष्य	उपलब्धि
2016-17	2.16	4.31	28.30	28.29	8.63	8.87
2017-18	2.49	4.42	27.90	28.57	8.54	8.84
2018-19	2.61	2.17	27.20	27.41	8.32	8.64
2019-20	2.09	2.50	27.10	29.40	8.08	9.09
2020-21	5.00*	4.70	32.60	33.90 [#]	-	10.31

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.एफ.सी. प्रतिवेदन

यह ऋण ₹ 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य को 2020-21 के लिए 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान लक्ष्य के अन्दर राजकोषीय घाटे को बनाये रखा। जैसाकि तालिका 2.31 से स्पष्ट है, 2016-21 की अवधि के दौरान ऋण से स.रा.घ.उ. अनुपात अपने लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2020-21 के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान के अनुपात के लिए मानक अनुमान प्रदान नहीं किया गया था।

2.6.2 ऋण निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूंजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है। ऋण निधि की उपयोगिता तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कुल उधार	7,081.42	8,136.85	7,803.43	9,593.12	13,546.58
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन)	2,077.88	2,949.50	3,060.10	4,231.40	2,744.82
3	निवल पूंजीगत व्यय	10,861.00	11,927.62	10,711.71	9,878.71	8,465.66
4	निवल उधार व अग्रिम	1,296.00	1,809.00	1,438.43	116.24	3,330.99
5	निवल उपलब्ध ऋण से पूरित (1-2-3-4)	-7,153.46	-8,549.27	-7,406.81	-4,633.23	-994.89

स्रोत: वित्त लेखे

2020-21 के दौरान राज्य को पूर्व के ऋणों के लिए ₹ 2,744.82 करोड़ का भुगतान करना था, जो चालू वर्ष के ऋणों से पूरा कर लिया गया। साथ ही वर्ष के दौरान राजस्व घाटा हुआ था, जिससे राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों के लिए उधार ली गई धन की कम उपलब्धता रही। लोक ऋण से अनाच्छादित पूंजीगत व्यय का भाग की प्रतिपूर्ति लोक लेखे के शेष से किया गया।

कुल उधार ली गई निधि में से 62 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय पर (₹ 8,466 करोड़) और 25 प्रतिशत ऋणों और अग्रिमों के भुगतान पर किया गया था। उधार ली गई निधि का शेष 13 प्रतिशत राजस्व व्यय पर अर्थात् उधारों के पुनर्भुगतान के लिए (₹ 1,749 करोड़) उपयोग किया गया था।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की यथास्थिति (आकस्मिक देयताएं)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर प्रत्याभूति आकस्मिक दायित्व होते हैं।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालांकि सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में दिसम्बर 2018 में ₹ 450 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था। पुनः फरवरी 2013 में जे.एस.ई.बी के पक्ष में दिया गया ₹ 157.15 करोड़ का एल.ओ.सी जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समाशोधन हेतु लंबित था।

तालिका 2.33: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रत्याभूति	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	157.15	157.15	607.15	607.15	607.15

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्लू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण डब्लू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (1 अप्रैल 2020 से लागू

₹ 936.00 करोड़, जो बाद में बढ़कर 17 अप्रैल 2020 से लागू ₹ 1,152.00 करोड़ हो गया)।

हालाँकि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरीके और साधन से अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोष विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्ति' के तहत प्राप्ति के रूप में जमा किया जाता है।

तालिका 2.34 2019-20 और 2020-21 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक विवरण दिखाता है और **तालिका 2.35**, 2016-21 की अवधि के दौरान नकद शेष के निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को दिखाता है।

तालिका 2.34: नकद शेष और इसके प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2021 को अन्त शेष
अ. सामान्य नगद शेष		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक में जमा	-54.14	160.55
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-स्थानीय	0	0
उप योग	-54.14	160.55
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	3,070.62	2,811.20
कुल (अ)	3,016.48	2,971.75
ब. अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	46.84	44.54
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थाई अग्रिम	0.16	0.16
चिन्हित निधि में निवेश	400.00	703.87
कुल (ब)	447.00	748.57
कुल (अ + ब)	3463.48	3,720.32
ब्याज प्राप्ति	147.42	58.59

स्रोत : वित्त लेखे

31 मार्च 2021 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ₹ 2,811.20 करोड़ थी और 2020-21 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 58.59 करोड़ था।

2020-21 के दौरान, राज्य क्षतिपूर्क वनीकरण निधि की कम प्राप्ति के कारण, 2019-20 के दौरान, राज्य के नकद शेष निवेश में कमी आयी, राज्य सरकार को राज्य के हिस्से का 90 प्रतिशत, जो तदर्थ प्राधिकरण के पास है, ₹ 220.13

करोड़ ब्याज सहित केन्द्र सरकार से ₹ 4,158.02 करोड़ प्राप्त हुए और इसे झारखण्ड क्षतिपूरक वनीकरण निधि (झा.क्ष.व.नि.) में जमा किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य ने एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित निधियों से ₹ 400 करोड़ और 2020-21 के दौरान हास निधि में से ₹ 303.87 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश किया था।

तालिका 2.35: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	ब्याज अर्जित
2016-17	2,102.04	1,439.09	-662.95	117.01
2017-18	1,439.09	354.56	-1,084.53	78.56
2018-19	354.56	167.90	-186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	-259.42	58.59

खातों में परिलक्षित आंकड़े {₹ 160.55 करोड़ (डेबिट)} तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई {₹ 7.53 करोड़ (डेबिट)} के बीच 168.09 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। रिज़र्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई, राँची के साथ समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

चार्ट 2.18 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकदी शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है

चार्ट 2.18: बाजार ऋण (निवल) एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति



राज्य सरकार द्वारा प्रचुर नगद शेष होने के बावजूद तथा इसके उत्पादक इस्तेमाल के बिना सिर्फ नगद शेष को बढ़ाने हेतु बाजार ऋण लेना अपेक्षित नहीं है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 8,900 करोड़ की बाजार ऋण की उगाही की, जबकि उसी समय नगद शेष ₹ 3,463 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,720

करोड़ तक प्रमुखता से बढ़ा, जो यह दर्शाता है कि उस स्तर तक ऋण से बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दी गई समय-सीमा से काफी पहले अपने राजस्व घाटे को शून्य तक कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य में पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था, सिवाय 2020-21 को छोड़कर जब ₹ 3,114 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। इसी तरह, राज्य का राजकोषीय घाटा भी निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

2020-21 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.3 प्रतिशत था जिसमें से 42.98 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर उपयोग किया गया था। वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन ने 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों का 45.32 प्रतिशत उपभोग किया जबकि, राजस्व व्यय 2019-20 में 14.86 प्रतिशत से 2020-21 में 11.91 प्रतिशत की कमी हुई। पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं पर 38 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत कम व्यय के कारण पूँजीगत व्यय में ₹ 1,413 करोड़ की कमी हुई।

कुल व्यय में, सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2016-20 से लगातार बढ़ा है, जबकि, 2020-21 के दौरान यह मामूली रूप से (29 प्रतिशत) घटा। 2019-20 और 2020-21 के दौरान सामाजिक सेवाओं (35 प्रतिशत) और आर्थिक सेवाओं (36 प्रतिशत) पर व्यय का हिस्सा लगभग उसी तरह रहा। 2020-21 के दौरान कुल उधार ली गई निधि में से राज्य ने 62 प्रतिशत पूँजीगत व्यय (₹ 8,466 करोड़) पर और ऋणों और अग्रिमों के भुगतान पर 25 प्रतिशत उपयोग किया। उधार ली गई निधि का शेष 13 प्रतिशत उधारों के पुनर्भुगतान (₹ 1,749 करोड़) पर उपयोग किया गया था।

31 मार्च 2021 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 1,111.65 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2020-21 के दौरान 'नगण्य' था, जबकि सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान उधार पर 6.13 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि (₹ 24,177 करोड़) मार्च, 2021 के अंत तक बकाया था।

कुल मिलाकर राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण) 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,09,185 करोड़ हो गई। राजकोषीय दायित्व का

स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 32.60 प्रतिशत के विरुद्ध 33.90 प्रतिशत था। बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा उठाया। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से इसे कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-21 की अवधि के लिए लागू दर पर ₹ 797.98 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और राजकोषीय दायित्व पर प्रभाव पड़ा हालाँकि सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 303.87 करोड़ का अन्तरण किया।

2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को अपने निवेश और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश और ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकारी उधार लागत से मेल खा सके। अन्यथा, निवेश में रिटर्न की नगण्य दर के साथ बढ़ती राजकोषीय देनदारियाँ अनुपयुक्त ऋण की स्थिति को जन्म दे सकती हैं।
- मध्यावधि समीक्षा के बाद एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और एम.टी.एफ.पी. विवरणियों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य को अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने होंगे।

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

परिचय

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा करता है और पूरक अनुदान एवं सहगामी वित्तीय प्रबंधन सहित आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करता है कि नीतिगत स्तर पर लिया गया निर्णय निधि के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और अनुदान के अनुसार विनियोगों का विवरण तथा आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करता है।

3.1 बजटीय प्रक्रिया


बजट का वार्षिक अभ्यास सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। सामान्यतः बजट प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितम्बर में वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी करने के साथ शुरू होती है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान तैयार करने में सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल होता है। इसमें बजट अनुमान तैयार करने में एकरूपता हेतु नमूना प्रारूप भी शामिल रहता है। राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया को नीचे चित्र में दर्शाया गया है।



विनियोग लेखापरीक्षा से यह पता चलता है कि वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किए जाने वाले व्यय, विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले प्राधिकरण के अनुसार है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के तहत भारित किया जाना अपेक्षित है, तो यह भारित किया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

बजट का विभिन्न अवयव चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: बजट के अवयव



स्रोत: विनियोग लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

दत्तमत/भारित में विभाजन सहित कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.1 में दी गयी है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट		संवितरण		बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(I) राजस्व	73,171.79	6,104.89	53,651.29	6,217.05	19,520.50	-112.16
(II) पूँजीगत	10,458.97	0.00	8,465.66	0.00	1,993.31	0.00
(III) ऋण एवं अग्रिम तथा अतर्राज्यीय समायोजन	3,785.47	2,756.96	3,379.77	2,744.82	405.70	12.14
कुल	87,416.23	8,861.85	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अधीन 54 दत्तमत अनुदानों एवं चार विनियोगों में ₹ 19,553.29 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अधीन 32

अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 2,411.14 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 21,819.49 करोड़ (कुल बजट का 22.66 प्रतिशत) था। राजस्व अनुभाग के अधीन एक विनियोग सं. 13- ब्याज भुगतान में ₹ 114.95 करोड़ का अत्यधिक व्यय हुआ।

आगे, यह पाया गया कि 2020-21 के दौरान कुल बचत ₹ 21,819.49 करोड़ में से ₹ 14,135.95 करोड़ की बचत नौ¹ अनुदानों के अंतर्गत हुई जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए। आगे, इन अनुदानों में विगत चार वर्षों (2017-21) के दौरान सतत कुल बचत ₹ 6,500.64 करोड़ थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 21,819.49 करोड़ की बचत मार्च 2021 में अभ्यर्पित की गयी जिससे वित्त विभाग को अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुनः आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा। यह बजट प्रबंधन में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2020-21 के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत/आधिक्य का कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.1.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2016-21) के दौरान भारत एवं दत्तमत में विभाजित कुल वितरणों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2016-21 के दौरान भारत एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत (+)/आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2016-17	53,108.80	6,324.00	13,057.61	475.30
2017-18	60,105.66	7,709.46	14,191.49	154.67
2018-19	57,908.04	8,022.04	18,727.57	1,496.17
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01
2020-21	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि 2016-21 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दत्तमत अनुभाग के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग

¹ 1-कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) (₹ 2,069.46 करोड़), 10-उर्जा विभाग (₹ 1,622.16 करोड़), 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 940.62 करोड़), 22- गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) (₹ 823.35 करोड़), 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 1,552.54 करोड़), 42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) (₹ 2,433.26 करोड़), 55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) (₹ 993.95 करोड़), 59- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) (₹ 2,368.79 करोड़) तथा 60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (₹ 1,331.82 करोड़)

नहीं किया गया परिणामस्वरूप बहुत अधिक बचत हुई। विगत चार वर्षों (2016-20) के दौरान भारत अनुभागों के अंतर्गत भी प्रावधानों के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया तथा विभागों द्वारा बजट प्रावधान का एक वृहत भाग अभ्यर्पित किया गया।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के संविधान की अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय का लेखा है। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारत और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारत किए जाने वाले व्यय को भारत किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से राशि की निकासी नहीं होगी। पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नये निवेश सहित पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

‘सेवा के नए साधन’ का अर्थ मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार के कारण होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय है।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा से यह उद्घटित होता है कि तीन अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत पाँच मामलों में बिना बजट प्रावधान के ₹ 61 लाख या उससे अधिक का

भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान बिना प्रावधान के कुल ₹ 570.69 करोड़ का व्यय किया गया। विस्तृत विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/ उप-शीर्षों की संख्या
13- ब्याज भुगतान	68.97	2
14- ऋणों का पुनर्भुगतान	500.00	1
49- जल संसाधन विभाग	1.72	2
कुल	570.69	5

जैसा कि तालिका 3.3 से देखा जा सकता है, 2020-21 के दौरान ब्याज भुगतान और ऋणों के पुनर्भुगतान पर भारी व्यय किया गया था। ब्याज भुगतानों और ऋणों की अदायगी पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय थे और राज्य से अपेक्षा थी कि वे ऐसे दायित्वों से भली-भांति अवगत होंगे हालांकि, राज्य द्वारा इन व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किये गए थे।

3.2.2 मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 में जमा की गई राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 में एक बड़ी राशि जमा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2021 के अंत तक ₹ 386.23 करोड़ की राशि शेष थी। इसके आगे सत्यापन में, यह पाया गया कि इस शीर्ष में जमा की गई राशि मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए आवंटित राशि से संबंधित थी।

दिसम्बर 2019 में, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से, झारखण्ड सरकार ने राज्य प्राधिकारियों को मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा के लघु शीर्ष 106 - व्यक्तिगत जमा खाता के तहत संचालित करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, 24 जिला कोषागारों में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम से पी.डी. लेखे खोले गए, लेकिन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पूर्व में जमा राशि को पी.डी. लेखे में हस्तांतरित नहीं किया गया।

3.2.3 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 117 के अनुसार व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदानों में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा बजट नियमावली के नियम 57 के टिप्पणी के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है, ₹ 9,908.08 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 34 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त ₹ 5,400.83 करोड़ (54.51 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/ अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि अधिकांश मामलों में मूल प्रावधानों के स्तर तक भी व्यय नहीं हुआ था।

3.2.4 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’- का अर्थ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं, अभ्यर्पित आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यादि के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 2020-21 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेकपूर्ण ढंग से 19 उप-शीर्षों में अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई (**परिशिष्ट 3.2**) जो अत्यधिक साबित हुई। इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, ₹ 206.05 करोड़ के बचत के बावजूद अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 266.20 करोड़ की बचत हुई।

आगे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है, दो मामलों में राशि एक ओर पुनर्विनियोजन द्वारा जोड़ी गई है वहीं दूसरी ओर उन उप-शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय के बावजूद राशि अभ्यर्पित की गई।

3.2.5 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/ अभ्यर्पण

अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन, बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

3.2.5.1. ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

कुल बचत ₹ 21,819.49 करोड़ में से ₹ 20,348.96 करोड़ (93.26 प्रतिशत) की बचत 26 अनुदानों² में हुई, प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक (**परिशिष्ट 3.3**) बचत हुई। इतनी बड़ी राशि के बचत का कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

इसके अलावा, 2020-21 के दौरान 11 अनुदानों में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था जो अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/ कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक था। विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए है। विगत पाँच वर्षों के

² इसमें से 25 अनुदान राजस्व से संबंधित है (₹ 18,717.65 करोड़), पाँच पूँजी से संबंधित है (₹ 1,631.31 करोड़) और चार दोनों से संबंधित है।

दौरान नौ अनुदानों में 35 प्रतिशत से अधिक बचत को तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: बजट के 35 प्रतिशत से अधिक अनुपयोग वाले अनुदान/विनियोजन

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	अनुदान	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की सं.*	बजट 2020-21 (₹ करोड़ में)
राजस्व								
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	36	46	53	39	65	5	3,200.46
2	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2	29	34	75	55	2	204.25
3	23- उद्योग विभाग	34	50	33	38	31	2	308.45
4	26- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	39	45	32	50	57	4	553.91
5	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	16	9	25	65	65	2	2,393.11
6	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	27	40	33	36	30	2	7,985.72
7	51- अनु.जा., अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	31	42	35	30	46	3	1,699.59
8	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	31	43	55	76	47	4	170.63
पूँजीगत								
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	21	1	24	46	54	2	5.00
2	26- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	48	56	87	87	58	5	135.15
3	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	56	100	100	98	89	5	46.35


*35 प्रतिशत से अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या

ये अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना था, इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लक्षित लाभुकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा।


3.2.6 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण

राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह उद्घटित हुआ कि ₹ 21,819.49 करोड़ के कुल प्रावधानों में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 21,621.96 करोड़ (99 प्रतिशत) की राशि मार्च 2021 के अंत में अभ्यर्पित की गई जिससे सरकार इस राशि को अन्य विकासात्मक योजनाओं पर उपयोग करने से वंचित रह गई। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गई है।

चार्ट 3.2: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदान/विनियोग की संख्या का संवितरण



चार्ट 3.3: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट उपयोगिता



जैसा कि चार्ट 3.2 में परिलक्षित है, 26 अनुदानों में बचत 10 से 30 प्रतिशत के बीच था जबकि 16 अनुदानों में बचत 30 से 50 प्रतिशत के बीच था। आठ अनुदानों में बचत 50 प्रतिशत से अधिक था जो बजटीय प्रक्रिया के सिद्धांतों के प्रतिकूल था। आगे, चार्ट 3.3 विगत पाँच वर्षों में बजट आकलन और इसके उपयोग को दर्शाता है।

3.2.7 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से

अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु मांग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/ विनियोग को विनियमित किया जाये।

अनुदान/विनियोग से आधिक्य संवितरण संविधान के अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है जो राज्य विधानमंडल द्वारा आधिक्य अनुदानों के विनियमित करने का प्रावधान देती है। यह बजटीय तंत्र एवं वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य को विफल करती है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है।

3.2.7.1 2020-21 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के लिए प्रावधानों से आधिक्य व्यय न केवल अपेक्षित विधायी संस्वीकृत प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि कमजोर नियोजन का सूचक भी है, जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट से व्यय की स्थिति पर नजर रखकर बचा जा सकता है।

जैसा की विनियोग लेखे में देखा गया, वर्ष 2020-21 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज भुगतान) में ₹ 144.95 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष के प्रावधान से आधिक्य व्यय के मामलों की जाँच सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के समेकित निधि से प्राधिकरण पर शीर्ष-वार अधिक व्यय **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है।

3.2.7.2 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अवधियों तक अनियमित रही आधिक्य व्यय कार्यकारिणी शक्ति पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती है। वर्ष 2001-02 से 2019-20 तक 11 अनुदानों से संबंधित ₹ 3,328.68 करोड़ की राशि का अनुदान/ विनियोग पर अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.7** में वर्णित है।

तीन अनुदानों/विनियोगों (13- ब्याज भुगतान, 14- ऋण का पुनर्भुगतान और 15-पेंशन) में ₹ 645.43 करोड़ (19.39 प्रतिशत), ₹ 957.57 करोड़ (29.07 प्रतिशत) और ₹ 1,541.58 करोड़ (46.31 प्रतिशत) के 2000-01 से 2019-20 से संबंधित कुल आधिक्य व्यय को अब तक नियमित नहीं किया गया। यह बजटीय तंत्र एवं वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य को विफल करती है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करती है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार सूचना देने के बाद भी विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया।

3.2.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जो एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

2020-21 के दौरान, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ₹ 6,369.87 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए। हालांकि, राज्य के लेखों में ऐसा अनुदान पूँजीगत व्यय के रूप में इंद्राज नहीं किया गया।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 बजट अनुमान तथा प्राक्कलन एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियाँ तथा सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। बजटीय आवंटन वास्तविक प्रस्तावों, अच्छे व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण पर आधारित होना चाहिए ताकि लाभार्थियों को लक्षित लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओं पर निधियों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

तालिका 3.5: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान अभ्यर्षण
दत्तमत	राजस्व	67,217.79	5,954.00	73,171.79	53,651.29	19,520.50	सभी अभ्यर्षण मार्च माह में की गई।
	पूँजीगत	8,653.13	1,805.83	10,458.97	8,465.66	1,993.31	
	ऋण एवं अग्रिम	1,643.97	2,141.50	3,785.47	3,379.77	405.70	
	कुल	77,514.89	9,901.33	87,416.23	65,496.72	21,919.51	
भारित	राजस्व	6,098.15	6.74	6,104.89	6,217.05	-112.16	सभी अभ्यर्षण मार्च माह में की गई।
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	लोक ऋण-पुनर्भुगतान	2,756.96	0.00	2,756.96	2,744.82	12.14	
	कुल	8,855.11	6.74	8,861.85	8,961.87	-100.02	
सकल योग		86,370.00	9,908.07	96,278.08	74,458.59	21,819.49	

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 3.5 यह दर्शाता है कि राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 21,819.49 करोड़ की कुल बचत राजस्व अनुभाग के तहत 58 अनुदानों और चार विनियोगों में ₹ 19,553.28 करोड़ की बचत और पूँजी अनुभाग के तहत 33 अनुदानों में ₹ 2,411.15 करोड़ की बचत का परिणाम था जो राजस्व अनुभाग के एक विनियोग में ₹ 144.95 करोड़ के आधिक्य से भरपाई होकर वर्ष के दौरान अंतिम बचत ₹ 21,819.49 करोड़ हो गयी। राज्य सरकार को मासिक लेखा के माध्यम

से शीर्षवार व्यय की स्थिति मासिक रूप में उपलब्ध कराने के बावजूद वर्ष के दौरान व्यय के एक समान प्रवाह को बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

इस प्रकार ₹ 96,278.08 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 74,458.59 करोड़ की राशि राज्य के विभागों द्वारा खर्च की गई और ₹ 21,819.49 करोड़ (22.66 प्रतिशत) वर्ष 2020-21 के दौरान अनुपयोगी रहे जो मार्च माह में अभ्यर्पण कर दिया गया।

तालिका 3.6: 2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	63,502.68	75,673.42	80,200.00	85,429.00	86,370.00
अनुपूरक बजट	9,463.03	6,487.86	5,953.81	9,335.64	9,908.07
संशोधित अनुमान	72,965.71	82,161.28	86,153.82	94,764.64	96,278.07
वास्तविक व्यय	59,432.80	67,815.12	65,930.08	71,093.25	74,458.59
बचत	13,532.91	14,346.16	20,223.74	23,671.39	21,819.49
बचत की प्रतिशतता	18.55	17.46	23.47	24.98	22.66

जैसा कि तालिका 3.6 से स्पष्ट है, प्रत्येक वर्ष प्रावधान की एक वृहत राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य के विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना कारण बताए बचत को अभ्यर्पित किया गया। प्रत्येक वर्ष ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी जो अवास्तविक प्रस्तावों, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत हैं। अधिक, विस्तृत विश्लेषण इस अध्याय के अन्य अनुच्छेदों में देखा जा सकता है।

3.3.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन अंततः, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। वहीं, कुछ योजनाएं धन के अभाव में अधूरी रह जाती हैं। इस प्रकार, ऐसे मामलों में बड़े पैमाने पर अधूरी योजनाओं के लक्षित लाभ को आम लोगों तक नहीं पहुँचाया जाता है। आगे, यह परियोजना लागत में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। विवरण तालिका 3.7 दिया गया है।

तालिका 3.7: बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अनुपयोग निधि
पूँजीगत (दत्तमत)						
1	26- श्रम, रोजागर एवं प्रशिक्षण विभाग	97.72	37.43	135.15	56.67	78.48
2	41- पथ निर्माण विभाग	3,384.00	40.31	3,424.31	3,081.21	343.10
3	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	487.04	7.13	494.17	465.62	28.55
4	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग (पर्यटन प्रभाग)	80.00	10.00	90.00	43.62	46.38
5	49- जल संसाधन विभाग	902.00	351.63	1,253.63	952.97	300.66
6	50- जल संसाधन विभाग (लघु-सिंचाई प्रभाग)	110.65	20.00	130.65	93.34	37.31
7	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	43.00	3.35	46.35	5.29	41.06
कुल		5,104.41	469.85	5,574.26	4,698.72	875.54

3.3.2.1 कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

राज्य के विनियोग लेखे की समीक्षा से यह उदघटित होता है कि कई योजनाएँ, जो बड़े पैमाने पर आम लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए लक्षित थी, के लिए आवंटित राशि में बड़ी बचत हुई थी। योजनाओं को पूर्ण नहीं किए जाने तथा लाभुकों तक अधूरे योजनाओं का लक्षित लाभ नहीं पहुँचाये जाने के परिणामस्वरूप इन योजनाओं में विगत तीन वर्षों में बड़ी बचत हुई। उन योजनाओं में से कुछ को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग							
1	4215-01-102-02-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	159.20	25.54	322.55	141.02	207.57	66.52
42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)							
2	2501-06-101-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ऐ.एस.सी.)	177.25	114.83	205.21	86.26	300.00	107.71
3	2501-06-796-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ऐ.एस.सी.)	129.60	102.55	150.77	100.81	126.00	25.20
51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)							
4	2225-01-789-59-प्रवेश के बाद छात्रवृत्ति	53.00	43.23	27.00	4.86	27.00	5.05
5	2225-01-789-61-प्राथमिक स्कूल छात्रवृत्ति	28.00	22.55	12.27	7.97	8.00	5.22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तालिका में दिखाई गई योजनाओं में 16 से 81 प्रतिशत के बीच बचत हुई थी, जो राज्य की बजटीय प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मुद्दा उठाती है।

3.3.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभुक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। हालांकि, उन प्रावधानों का उपयोग नहीं किए जाने का कारण विभागों द्वारा नहीं दिया गया था। ऐसी योजनाओं में बचत इन निधियों के अन्य विभागों में उपयोग से वंचित करती है। 293 मामलों में, 100 प्रतिशत प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) वाले ₹ 4,262.08 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.8 में दिया गया है।


3.4 व्यय का वेग

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) का नियम 113 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय का वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता का निर्वहन किया गया है। इसके अलावा, व्यय की स्थिर गति को बनाए रखना अच्छी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। व्यय की स्थिर गति किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित/अत्यधिक व्यय से उत्पन्न राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

आगे, यह देखा गया कि मार्च 2021 में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ए.सी विपत्र पर ₹ 286.74 करोड़ की निकासी की गई जिसमें ₹ 44.20 करोड़ की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में की गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल व्यय (₹ 73,854 करोड़) में से ₹ 22,454 करोड़ जो 30.40 प्रतिशत था, मार्च 2021 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट था कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है।

चार्ट 3.4: 2020-21 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



आगे, यह देखा गया कि 33 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹ 15,430.57 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष की अंतिम तिमाही में 60 प्रतिशत और उससे अधिक राशि जो ₹ 11,993.28 करोड़ (77.72 प्रतिशत) थी, का व्यय किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में वर्णित है। इसमें से ₹ 8,268.10 करोड़ (इन शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 53.58 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2021 में किया गया था।

3.5 अनुदान संख्या 03-भवन निर्माण विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.5.1 परिचय

भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) का उद्देश्य राज्य में सरकारी कार्यालयों और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण एवं रख-रखाव करना है। विभाग का मुख्य उद्देश्य योजना, भवन समूह की रूपरेखा तैयार करना एवं विभिन्न विभागों के आवासीय और गैर-आवासीय सरकारी भवनों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह विभाग राज्य के आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों के नवीकरण, उन्नयन एवं अनुरक्षण का कार्य भी करता है।

उपरोक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इस विभाग को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 691.60 करोड़ का बजट प्रदान किया। बजट का विस्तृत विवरण एवं उसकी उपयोगिता तालिका 3.9 में दी गयी है।

तालिका 3.9: 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	566.50	125.10	691.60
अनुपूरक अनुदान	0.00	0.00	0.00
कुल अनुदान	566.50	125.10	691.60
व्यय	175.99	80.69	256.68

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
बचत	390.51	44.41	434.92
अभ्यर्पण	390.64	44.41	435.05
अत्यधिक व्यय	0.13	0.00	0.13

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

3.5.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

भवन निर्माण विभाग का विभागीय सचिवालय तथा 13 इकाईयों³ (आठ जिलों⁴ में) का बजटीय प्रक्रिया के लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.5.3 बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय

झारखण्ड राज्य द्वारा अपनाए गए बिहार बजट नियमावली के नियम 138 के अनुसार, अत्यधिक व्यय से सख्ती से बचना चाहिए।

यह देखा गया है कि तीन उप-शीर्षों में ₹ 46.35 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 46.48 करोड़ का व्यय किया गया है जैसा कि तालिका 3.10 में दर्शाया गया है। बजट से अधिक व्यय (₹ 0.13 करोड़), व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण का सूचक है। अतः ₹ 0.13 करोड़ के अधिक व्यय को सक्षम प्राधिकारी के पूरक प्रावधान और/या पुनर्विनियोजन आदेशों के साथ भरपाई की जा सकती है।

तालिका 3.10 बजटीय प्रावधान के विरुद्ध अत्यधिक व्यय का विस्तृत विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	अत्यधिक व्यय
1	2059-80-053-07	16.64	16.89	0.25
2	4059-01-796-39	356.72	3,62.61	5.89
3	4059-01-796-58	4,261.15	4,268.29	7.14
कुल		4,634.51	4,647.79	13.28

3.5.4 सतत बचत

विगत चार वर्षों (2017-21) के दौरान बजट और व्यय के प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए विभाग के दस्तावेजों की समीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि इस अवधि के दौरान विभाग के पास न केवल सतत बचत था बल्कि बजट अनुमानों

³ (i) अवर सचिव, भ.नि.वि., राँची; कार्यपालक अभियंता, भ.नि.प्र. (ii) बोकारो (iii) धनबाद (iv) गुमला (v) हजारीबाग (vi) जमशेदपुर (vii) रामगढ़ (viii) सरायकेला (ix) राँची प्रमंडल संख्या-1 (x) राँची प्रमंडल संख्या-2 (xi) विशेष कार्य प्रमंडल, राँची (xii) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोंदा, राँची (xiii) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची पूर्व

⁴ (i) बोकारो (ii) धनबाद (iii) गुमला (iv) हजारीबाग (v) जमशेदपुर (vi) रामगढ़ (vii) राँची (viii) सरायकेला

की तुलना में बचत का प्रतिशत भी बहुत अधिक था। इसका विस्तृत विवरण तालिका 3.11 में दी गई है।

तालिका 3.11: भवन नर्माण विभाग में विगत चार वर्षों के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2017-18	राजस्व	143.56	4.33	147.89	100.77	47.12	20
	पूँजीगत	493.00	159.49	652.49	536.27	116.22	
	कुल	636.56	163.82	800.38	637.04	163.34	
2018-19	राजस्व	133.66	0.35	134.01	92.67	41.34	27
	पूँजीगत	511.17	37.00	548.17	403.65	144.52	
	कुल	644.83	37.35	682.18	496.32	185.86	
2019-20	राजस्व	119.59	0.11	119.70	91.04	28.66	31
	पूँजीगत	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66	
	कुल	706.76	90.11	796.87	549.55	247.32	
2020-21	राजस्व	125.10	0.00	125.10	80.69	44.41	63
	पूँजीगत	566.50	0.00	566.50	175.99	390.51	
	कुल	691.60	0.00	691.60	256.68	434.92	

स्रोत: विनियोग लेखे 2017-21

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है कि विभाग की बचत 2017-18 में 20 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 63 प्रतिशत हो गई है। यह न केवल निधि के उपयोग में विभाग की अक्षमता का सूचक था बल्कि इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बजट में शामिल राज्य योजनाओं को निधियों की उपलब्धता के बावजूद पूरा नहीं किया जा सका।

3.5.5 बजट अनुमानों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड सरकार द्वारा अपनाये गये बिहार बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के लिए समय पर और सही तरीके से बजट तैयार करने के लिए बजट कलैण्डर प्रदान करता है। वित्त विभाग ने स्थापना व्यय एवं सामान्य बजट का अनुमान प्रस्तुत करने के निर्धारित तिथि को झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात बजट नियमावली के निर्धारित तिथि एक अक्टूबर के विरुद्ध क्रमशः 28 नवम्बर 2019 एवं 12 दिसम्बर 2019 संशोधित (अक्टूबर 2019) किया।

यह देखा गया है कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्षित तिथि के विरुद्ध विभाग ने स्थापना व्यय और सामान्य बजट के लिए बजट अनुमान (ब.अनु.) वित्त विभाग को क्रमशः 68 एवं 54 दिनों की देरी से 04 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया।

3.5.6 आवश्यकताओं को प्राप्त किये बिना बजट अनुमान तैयार किया गया

बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रि अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्योरे/स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

यह देखा गया कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था तथा संवितरण अधिकारियों, जो कार्य के कार्यान्वयन एवं निधि के उपयोग के लिए अंतिम रूप से उत्तदायी होते हैं, द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं की प्राप्ति/मूल्यांकन के बिना सामान्य बजट (राज्य, केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं) और स्थापना व्यय के लिए बजट प्राक्कलनों को विभागीय स्तर पर तैयार किया गया था।

तथापि, यह देखा गया है कि 10 नमूना-जाँचित प्रमंडलों में से एक प्रमंडल (भ.नि.प्र., धनबाद) ने सामान्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया और पाँच⁵ प्रमंडलों ने स्थापना व्यय के लिए अनुमान प्रस्तुत किए। शेष नमूना-जाँच किए गए प्रमंडलों ने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कोई अनुमान प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, संवितरण अधिकारियों से आवश्यकता प्राप्त किए बिना बजट तैयार करना, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल ₹ 691.60 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 434.92 करोड़ (62.89 प्रतिशत) की भारी बचत का एक कारण हो सकता है।

3.5.7 सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे दिए गए टिप्पणियों के अनुसार अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

- विभाग के अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वर्ष 2020-21 के दौरान चार उप-शीर्षों के तहत ₹ 1.57 करोड़ की राशि प्रदान की गई, जिसमें से किसी भी राशि का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया गया था और पूरी राशि को अभ्यर्पित की गई थी। विवरण तालिका 3.12 में दी गई है।

तालिका 3.12: सम्पूर्ण बजट प्रावधान की गैर-उपयोगिता एवं अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)	आवंटन का उद्देश्य
1	2059- लोक निर्माण कार्य (राज्य योजना)	0.30	0.00	0.30	100	नगर निगम एवं नगर पालिका कर
2	2059- लोक निर्माण कार्य (राज्य योजना)	0.17	0.00	0.17	100	विधायकों और राज्य मंत्रियों आदि के आवासों की साज-सज्जा

⁵ धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, राँची प्रमंडल संख्या-1 तथा राँची प्रमंडल संख्या-2

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)	आवंटन का उद्देश्य
3	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजी परिव्यय (राज्य योजना, सी.ए. एस.)	0.10	0.00	0.10	100	प्रशिक्षण/ डिजाईन/ गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला / परामर्श सेवा
4	4216-आवासों पर पूँजी परिव्यय (राज्य योजना)	1.00	0.00	1.00	100	लोक निर्माण कार्य-राज्य में भवनों के लघु कार्य
कुल		1.57	0.00	1.57	100	

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गई मदों के अलावा, मुख्य शीर्ष 2059 (स्थापना) के अंतर्गत यात्रा भत्ता (टी.ए.) एवं मशीनरी के तहत प्रदत्त राशि क्रमशः ₹ 0.08 करोड़ एवं ₹ 0.03 करोड़ को भी विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

- आगे, अभिलेखों की समीक्षा से उद्घटित हुआ कि छः नमूना-जाँचित प्रमंडलों में से चार को विभिन्न कार्यों के लिए प्रदान की गई ₹ 8.17 करोड़ की संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया था और अंत में इसे संवितरण अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया था। विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: संपूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सचिवालय/ कार्यालय	कार्यों/उप-शीर्षों की संख्या	आवंटन	अभ्यर्पण
1	का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	03	0.01	0.01
2	का. अभि., भ.नि.प्र. संख्या-01, राँची	66	6.08	6.08
3	का. अभि., भ.नि.प्र. संख्या-02, राँची	07	1.04	1.04
4	का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	03	1.00	1.00
5	का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	02	0.02	0.02
6	का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	04	0.02	0.02
कुल		85	8.17	8.17

विभाग द्वारा वित्त विभाग को उपलब्ध कराए गए अनुमानों के आधार पर, बजट प्रावधान का उपयोग न करना यह दर्शाता है कि प्राक्कलन तैयार करने के दौरान उचित सावधानी नहीं बरती गई और वास्तविक आवश्यकताओं का उचित आकलन नहीं किया गया था।

3.5.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में निधि का अभ्यर्पण

नियमावली नियम 112 के अनुसार वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, सभी प्रत्याशित बचतों को तत्काल सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित आवश्यकताओं के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, नियम 135 के अनुसार, अभ्यर्पण की आवश्यकता होती है तो नियंत्रण अधिकारी को स्वयं उस राशि का अनुमान लगाना चाहिए जिसे अभ्यर्पित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 691.60 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 435.05 करोड़ (पूँजी शीर्ष के अंतर्गत ₹ 390.64 करोड़ और राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 44.41 करोड़) को अभ्यर्पित किया गया था।

आगे, नमूना-जाँचित 10 प्रमंडलों में से नौ और मुख्यालय स्तर पर एक डी.डी.ओ के अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 8.32 करोड़ (कुल प्रावधानों का 83 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2021 में किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिया गया है।

विलंब से अभ्यर्पण के जवाब में यह कहा गया कि निधि का विलंब से आवंटन एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय की प्रत्याशा में, इसे पूर्व में अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण, सरकार के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इसके उपयोग के लिए कोई गुंजाईश नहीं छोड़ता है जो निधि की कमी के कारण अधूरी रह गई थी।

3.5.9 व्यय का वेग

प्रावधान के अनुसार (बजट नियमावली के नियम 113), विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

यह देखा गया कि कुल व्यय ₹ 256.68 करोड़ में से ₹ 83.51 करोड़ (33 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2021 के माह में किया गया था। चालू वर्ष के दौरान, मार्च माह में 27 उप-शीर्षों में से छः में कुल व्यय का 40 एवं 100 प्रतिशत के बीच रहा। इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँचित 10 प्रमंडलों एवं एक डी.डी.ओ. (मुख्यालय स्तर पर) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मार्च माह में किए गए कुल व्यय का 42 से 100 प्रतिशत व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है।

3.5.10 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 अपेक्षा करता है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान यह पाया गया कि ₹ 256.68 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 15.10 करोड़ की राशि को विभाग के नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं किया गया था। शीर्ष-वार विवरण **तालिका 3.14** में दिया गया है।

तालिका 3.14: विभागीय व्यय के अमाशोधन का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोजन के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2052	1.68	0.00	1.68
2	2059	68.68	56.47	12.21
3	2216	10.33	10.16	0.17
4	4059	133.95	133.10	0.85
5	4216	42.04	41.85	0.19
कुल		256.68	241.58	15.10

आगे, नमूना-जाँचित 10 प्रमंडलों और एक डी.डी.ओ. द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान कुल ₹ 63.00 करोड़ के व्यय का मिलान नहीं किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है।

3.5.11 प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध अधिक व्यय

सरकार के निर्देशानुसार (आवंटन पत्रों में उल्लिखित) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूर्व अनुमति के बिना किसी भी योजना में प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) राशि के विरुद्ध कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है।

हजारीबाग में सुविधाओं के साथ समाहरणालय भवन निर्माण के लिए एकरारनामा, एम.बी., वाउचर आदि की संवीक्षा से यह पता चला कि भ.नि.वि, झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 40.09 करोड़ का प्रशासनिक स्वीकृति किया गया। निविदा प्रक्रिया के बाद, तुलनात्मक विवरण तैयार कर ₹ 30.23 करोड़ की लागत के कार्य को आवंटित किया गया। दिसम्बर 2016 में अनुबंध ₹ 30.23 करोड़ पर पूर्ण किया गया था तथापि, यह देखा गया कि पूर्ण किये गए कार्य का मूल्य ₹ 45.69 करोड़ आकलित किया गया था और इतना ही भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

अतः, कार्य की लागत प्र. स्वी. के विरुद्ध ₹ 5.60 करोड़ (14 प्रतिशत) से अधिक थी जिसके लिए संवितरण अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी का कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना 14 प्रतिशत की अधिक राशि का भुगतान आवंटन पत्र में दिए गए निदेशों के विरुद्ध था।

3.5.12 अतिरिक्त/अन्य मदों के लिए अनियमित भुगतान

जे.पी.डब्ल्यू.डी. कोड की कंडिका 182 (बी.) के प्रावधान के अनुसार बी.ओ.क्यू में शामिल नहीं किए गए कार्य की मद को अतिरिक्त मद के रूप में माना जाएगा। अतिरिक्त मद के लिए हमेशा एक अनुपूरक इकरारनामा होना चाहिए और ऐसे मदों की दरें उस अवधि के दौरान प्रचलित संबंधित दर की अनुसूची में दर्ज दर के अधार पर होगी, जब काम किया जा रहा था, बशर्ते कि यदि किसी विशेष वस्तु की दर, दरों की अनुसूची में शामिल नहीं है। आगे, जे.पी.डब्ल्यू.डी. कोड की कंडिका 177 (टिप्पणी-1) के अनुसार मूल निविदा तय करने की क्षमता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद ही अनुपूरक इकरारनामा किया जा सकता है।

संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि ठेकेदारों को दो संभागों के दो कार्यों में अनुपूरक इकरारनामा निष्पादित किए बिना ₹ 12.28 करोड़ का भुगतान किया गया जो कोडल प्रावधानों के विरुद्ध था। जैसा कि विवरण तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: अतिरिक्त मदों के लिए अनियमित भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध मूल्य	कुल कार्य मूल्य	अतिरिक्त मदों के लिए भुगतान राशि
1	चांडिल, सरायकेला में सुविधाओं के साथ उप-प्रमंडल न्यायालय (10 कोर्ट) का निर्माण	15.41	20.38	3.72
2	हजारीबाग में सुविधाओं के साथ समाहरणालय भवन का निर्माण	30.23	45.69	8.56

3.5.13 निष्फल व्यय

दिनांक 16.05.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए 1993-94 के बाद से न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (के.प्रा.यो.) को लागू करता है। विभाग इस संबंध में राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाता है। इस योजना के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के न्यायालय भवनों एवं आवासीय आवासों का निर्माण शामिल है।

बोकारो, सरायकेला एवं विशेष प्रमण्डल (राँची) के अभिलेखों की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि इन प्रमण्डलों में न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा एचईसी से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्रमशः दो, तीन और एक भवन का निर्माण पूरा किया गया था।

सभी छः भवनों का निर्माण 2007 से 2020 के दौरान ₹ 221.76 करोड़ के व्यय से पूरा किया गया था किन्तु नवंबर 2021 तक भवनों को संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंपा गया था। उन भवनों का विवरण तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16: नहीं सौंपे गए निर्मित भवनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ए.ए. राशि	इकरारनामा की राशि	कुल व्यय	कार्य पूर्ण होने की तिथि	अभियुक्ति
1	बोकारो में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधिश के आवासों का निर्माण	0.27	0.27	0.27	22.09.2007	30 नवम्बर 2021 तक नहीं सौंपा गया
	उपरोक्त भवन से संबंधित अन्य कार्य	1.27	1.19	1.22	02/2017 से 03/2021	
2	बोकारो में न्यायिक अधिकारी के लिए डी-टाईप क्वार्टर का निर्माण	4.63	4.17	4.17	18.03.2020	30 नवम्बर 2021 तक नहीं सौंपा गया

क्र. सं.	कार्य का नाम	ए.ए. राशि	इकरारनामा की राशि	कुल व्यय	कार्य पूर्ण होने की तिथि	अभियुक्ति
3	एस डी ओ परिसर, सरायकेला में बी- टाईप क्वार्टर 8 ब्लॉक, ए- टाईप क्वार्टर 3 ब्लॉक एवं डी- टाईप क्वार्टर 2 ब्लॉक का निर्माण	19.11	14.83	16.42	13.06.2018	(i) एकरारनामा मूल्य के विरुद्ध ₹ 1.59 करोड़ का अत्यधिक व्यय (ii) 30 नवम्बर 2021 तक नहीं सौपा गया
4	चांडिल, सरायकेला में एस डी ओ कोर्ट (10 कोर्ट) का निर्माण	20.12	15.41	20.38	13.06.2018	(i) एकरारनामा मूल्य के विरुद्ध ₹ 4.97 करोड़ का अत्यधिक व्यय (ii) 30 नवम्बर 2021 तक नहीं सौपा गया
5	चांडिल, सरायकेला में डी-टाईप क्वार्टर 01 ब्लॉक 06 इकाईयों का निर्माण	1.67	1.54	1.54	11.01.2018	30 नवम्बर 2021 तक नहीं सौपा गया
6	एसआईटीई 1 एच.ई.सी क्षेत्र राँची में निर्माण कार्य एवं प्रस्तावित 400 क्वार्टरों का निर्माण	216.63	182.43	177.76	08.07.2019	(i) एचईसी के विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुर्नवास एवं पुर्नवास पैकेज (ii) 30 नवम्बर 2021 तक नहीं सौपा गया
कुल		263.70	219.84	221.76		

यह देखा गया कि चांडिल में उप-प्रमंडल कारागार की अनुपलब्धता के कारण चांडिल में एस.डी.ओ.कोर्ट (10 कोर्ट) भवन को संबंधित प्राधिकारी को नहीं सौपा गया था, जबकि अकार्यात्मक एस.डी.ओ. कोर्ट (10 कोर्ट) भवन के फर्नीचर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी क्रमशः ₹ 1.17 करोड़ एवं ₹ 0.39 करोड़ खर्च किए गए थे। इसी प्रकार बोकारो में डी-टाईप क्वार्टर भवन में आंतरिक कार्यों के पूरा न होने के कारण नहीं सौपा गया था।

इतने लंबे समय के बाद भी भवनों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 221.76 करोड़ को निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, लंबे समय तक उपयोग न करने के कारण उन भवनों में टुट-फुट के कारण होने वाली क्षति से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.5.14 अन्य परिणाम

- आवश्यक प्राथमिकता सूची तैयार किए बिना कार्य करना

आवंटन पत्र में सरकारी निर्देश के अनुसार, शीर्ष 2059 एवं 2216 (विवेकाधीन) के अंतर्गत कार्य को सक्षम स्तर प्राधिकारियों से स्वीकृत प्राथमिकता सूची के बाद ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण/नवीकरण के लिए निधि की मांग के समय, कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) को एक प्रमाणपत्र देना चाहिए कि उस भवन में विगत तीन वर्षों में समान प्रकृति के कार्य नहीं किए गए हैं।

प्रमण्डलों के अभिलेखों के नमूना-जाँच से यह उद्घटित हुआ कि कार्य निष्पादित करने एवं ठेकेदारों को ₹ 4.49 करोड़ का भुगतान करने से पूर्व न तो प्राथमिकता सूची तैयार की गई थी और न ही कार्यपालक अभियंता द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र दिया गया था जैसा कि तालिका 3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.17: सरकारी निर्देश के अनुसार कार्य का निष्पादन नहीं होना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमण्ड का नाम	शीर्ष के अन्तर्गत व्यय		
		2059	2216	कुल
1	का. अभि., भ.नि.प्र., बोकारो	0.19	0.19	0.38
2	का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद	0.20	0.20	0.40
3	का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	0.20	0.20	0.40
4	का. अभि., भ.नि.प्र., हजारीबाग	0.30	0.42	0.72
5	का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	0.20	0.19	0.39
6	का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	0.20	0.20	0.40
7	का. अभि., भ.नि.प्र., संख्या1- राँची	0.35	0.35	0.70
8	का. अभि., भ.नि.प्र., संख्या 2-राँची	0.35	0.35	0.70
9	का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	0.20	0.20	0.40
कुल		2.19	2.30	4.49

- सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भुगतान

आवंटन पत्र में सरकारी निर्देशानुसार, शीर्ष 4216 के अंतर्गत सरकारी आवासों के नवीन निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य किसी भी परिस्थिति में संबंधित प्राधिकारी से मांग प्राप्त किए बिना निष्पादित नहीं किया जाना था। इसके अलावा, भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण/नवीकरण हेतु निधि की मांग के समय कार्यपालक अभियंता को एक प्रमाणपत्र प्रदान करना आवश्यक था कि उस भवन में पिछले तीन वर्षों में समान प्रकृति का कार्य नहीं किया गया है। निर्देशानुसार ठेकेदार को भुगतान संबंधित कार्यालय प्रमुख से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जाना था।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पेय.एवं स्व.वि.), गोंदा, राँची के अभिलेखों की नमूना-जाँच से यह उद्घटित हुआ कि शीर्ष 4216 के

अंतर्गत ₹ 0.15 करोड़ का चार कार्य सक्षम प्राधिकारी से मांग प्राप्त किए बिना निष्पादित किया गया था और साथ ही कार्यपालक अभियंता द्वारा आवंटन पत्र में अपेक्षित कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व प्रमण्डल द्वारा अपेक्षित संतोषजनक प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किए गए थे।

• **कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (वामिश) में प्रविष्टि के बिना निधि की मांग**

सरकारी निर्देशानुसार निधि की मांग करने से पहले कार्यकारी एजेंसी नए निर्माण, रख-रखाव और मरम्मत कार्यों आदि से संबंधित विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रविष्टि करेगी तथा यह माना जाएगा कि विभाग द्वारा सत्यापन के बाद ही निधि को जारी किया गया है।

12 प्रमण्डलों के नमूना-जाँच से यह उद्घटित हुआ कि चार प्रमण्डलों में ₹ 33.91 करोड़ की मांग एम.आई.एस. में प्रविष्टि किए बिना की गई तथा विभाग द्वारा बिना किसी जाँच/सत्यापन के ₹ 28.91 करोड़ जारी किए गए थे। जारी किए गए राशि में से, वर्ष के दौरान ₹ 24.57 करोड़ खर्च किए गए तथा शेष राशि अभ्यर्पित की गई थी। विस्तृत विवरण तालिका 3.18 में दी गई है।

तालिका 3.18: वामिश में प्रविष्टि के बिना निधि की मांग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमण्डल का नाम	कार्य संख्या /उप-योजना	मांग की गई राशि	आवंटन	व्यय	शेष
1	का.अभि., भ.नि.प्र., संख्या.-01	04	1.12	1.12	0.28	0.84
2	का.अभि., भ.नि. विशेष प्रमण्डल, राँची	03	12.09	7.09	3.71	3.38
3	का.अभि, डी.डब्लू & एस. डी., गोन्दा, राँची	142	8.15	8.15	8.11	0.04
4	का.अभि, डी.डब्लू & एस.डी., राँची ईस्ट	149	12.55	12.55	12.47	0.08
कुल		298	33.91	28.91	24.57	4.34

आगे, यह देखा गया कि चांडिल, सरायकेला में सुविधाओं के साथ एस.डी.ओ. कोर्ट (10 कोर्ट) के निर्माण के दौरान वामिश में ₹ 19.62 करोड़ का व्यय दर्शाया गया था, जबकि मापी-पुस्त (एम.बी.) के आधार पर ₹ 20.38 करोड़ दर्शाया गया था, जो अंतर राशि ₹ 0.76 करोड़ से अधिक था। एम.बी के आधार पर अंतर राशि ₹ 0.76 करोड़ का भुगतान भी ठेकेदार को किया गया था। इसलिए, वामिश एवं मापी-पुस्त में प्रविष्टियों में विसंगतियों के कारण, भुगतान में अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

• **केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) के अंतर्गत फ्लेक्सी-फंड के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति का गठन नहीं होना**

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 55(5)/पी.एफ.-II/2011 दिनांक 06.09.2016 के अनुसार केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत फ्लेक्सी-फंड के घटकों के दिशानिर्देश राज्यों को कुछ विशिष्ट गतिविधियों⁶ के लिए प्रदान किये गए थे। ऐसे फ्लेक्सी-फण्ड सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक राज्यों को फ्लेक्सी-फण्ड के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों को मंजूरी देने के लिए एक राज्य स्तरीय मंजूरी समिति का गठन करना आवश्यक था।

संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि फ्लेक्सी-फंड के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति का गठन अक्टूबर 2021 तक नहीं किया गया था। हालांकि कुछ केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यों को निष्पादित किया गया था और वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 15.11 करोड़ (केन्द्र का ₹ 9.05 करोड़ और राज्य का ₹ 6.06 करोड़) आवंटन के विरुद्ध ₹ 13.38 करोड़ (केन्द्र ₹ 7.95 करोड़ और राज्य ₹ 5.43 करोड़) खर्च किए गए। जैसा कि विवरण तालिका 3.19 में दिया गया है।

तालिका 3.19 केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रयोजन	निर्गत राशि			व्यय		
		राज्यांश	केन्द्रांश	कुल	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल
4059 (टीएसपी)	उच्च न्यायालय भवन (आवासीय एवं गैर आवासीय) का निर्माण	4.02			3.63 (90%)		
4059 (ओएसपी)	सहायक न्यायिक भवन (आवासीय एवं गैर आवासीय) का निर्माण	2.04	9.05	15.11	1.80 (88%)	7.95 (88%)	13.38
कुल		6.06	9.05	15.11	5.43	7.95	13.38

• **केन्द्रीय सहायता की राशि कम प्राप्त होना ₹ 0.61 करोड़**

न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय, के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2018-19 तक जारी किये गए निधि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को समर्पित करना आवश्यक था। आगे, जैसा कि विभाग के दस्तावेज से यह पता चलता है कि वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश का ₹ 9.59 करोड़ जारी किया गया था, जिसमें से वर्ष 2018-19 के दौरान केवल ₹ 8.98 करोड़ का उपयोग किया गया था और शेष ₹ 0.61 करोड़ कोषागार में कुछ तकनीकी समस्या के कारण वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो गया था।

⁶ (i) दिए गए किसी योजना के समग्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करना (ii) दक्षता में सुधार के लिए उन्नयन योजना चलाना (iii) प्राकृतिक आपदाओं के मामले में शमन/बहाली गतिविधियों को शुरू करना और (iv) आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना।

इसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में ₹ 0.61 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

- **जल शुल्क का अनियमित भुगतान ₹ 1.10 करोड़**

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एच.ई.सी.) लिमिटेड राँची के पत्र संख्या टीए/रेव./38/2016 (भाग-II) 2021/18 दिनांक 13.01.2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए एच.ई.सी. द्वारा झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित आवसीय/गैर-आवासीय भवनों पर ₹ 1.96 करोड़ के बकाया राशि (लाइसेंस शुल्क- ₹ 0.76 करोड़, जल शुल्क- ₹ 1.10 करोड़, लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी- ₹ 0.10 करोड़) के भुगतान की मांग की गई थी, जिसे भ.नि.प्र.-02, राँची को आवंटित किया गया था तथा फरवरी 2021 में एच.ई.सी. को भुगतान किया गया।

संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि विभाग के पास न तो विभाग का दर/आदेश था और न ही जल शुल्क के भुगतान के लिए एच.ई.सी. और विभाग के बीच इकरारनामा उपलब्ध था। एच.ई.सी. के माँगों के आधार पर जल शुल्क का भुगतान किया गया। इसलिए, इस संबंध में अधिक भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है और यह किसी भुगतान से पहले आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया के विपरीत था।

- **स्रोत पर जीएसटी का कटौती न होना- ₹ 1.52 लाख**

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम की धारा 51 के अनुसार कटौतीकर्ता को भुगतान या जमा किए गए राशि से दो प्रतिशत (एक प्रतिशत सीजीएसटी और एक प्रतिशत एसजीएसटी) की दर से कर की कटौती की जानी चाहिए। कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता, जहाँ एक अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य ₹ 2.50 लाख से अधिक है।

संवीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि ₹ 1.52 लाख की जीएसटी राशि (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी प्रत्येक के लिए ₹ 0.76 लाख) कटौती किए बिना लाइसेंस शुल्क ₹ 75.85 लाख का भुगतान एच.ई.सी. को किया गया।

- **रोकड़ बही का संधारण नहीं होना**

झारखण्ड कोषागार संहिता नियम 19 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, कोषागार से संबंधित लेन-देन का सम्पूर्ण अभिलेख लेखाकार के रोकड़ बही में मैनुअल रजिस्टर में या कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाएगा। आगे, वित्त विभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक वित्त-20/विविध- 09/2016/2918 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार, रोकड़ बही का प्रत्येक सरकारी कार्यालय में संधारित तथा अद्यतन किया जाना चाहिए। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक माह प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, भ.नि.प्र., गुमला कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि स्थापना व्यय के लिए रोकड़ बही अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2021 तक अर्थात दो वर्षों से अधिक समय तक संधारित/लिखी नहीं गई थी। आगे, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 0.98 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 0.99 करोड़ (कुल ₹ 1.97 करोड़) के व्यय को रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी।

इतने लंबे समय के लिए रोकड़ बही में प्राप्तियों और संवितरणों की प्रविष्टि न होना एक गंभीर अनियमितता है और सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

• एक कार्य के विरुद्ध दोहरा प्रशासनिक अनुमोदन

का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर कार्यालय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि विभाग के पत्र सं.186 (भ.) दिनांक 16.12.2022 द्वारा पाँच कार्यों के लिए ₹ 0.12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इसके आगे यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा पत्र सं. 429 (भ.) दिनांक 31.03.2021 के द्वारा इन्हीं पाँच कार्यों के लिए ₹ 0.12 करोड़ की अन्य प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विस्तृत विवरण तालिका 3.20 में दी गई है।

तालिका 3.20: दोहरा प्रशासनिक अनुमोदन का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रथम प्र. अ. सं./ तिथि	राशि (₹ में)	दूसरी प्र.अ.सं./ तिथि	राशि (₹ में)
1	क्वार्टर सं. बी/2, 'डी' टाईप, सिविल कोर्ट परिसर, साकची, जमशेदपुर का आवश्यक मरम्मती	186 (भ.) दिनांक 16.12.2020	2,48,100	429 (भ.) दिनांक 31.03.2021	2,48,100
2	क्वार्टर सं. बी/1, 'डी' टाईप, सिविल कोर्ट परिसर, साकची, जमशेदपुर का आवश्यक मरम्मती		2,48,300		2,48,300
3	क्वार्टर सं. ई/6, 'डी' टाईप, सिविल कोर्ट परिसर, साकची, जमशेदपुर का आवश्यक मरम्मती		2,47,600		2,47,600
4	क्वार्टर सं. ई /4, 'डी' टाईप, सिविल कोर्ट परिसर, साकची, जमशेदपुर का आवश्यक मरम्मती		2,48,800		2,48,800
5	क्वार्टर सं. डी /2, 'डी' टाईप, सिविल कोर्ट परिसर, साकची, जमशेदपुर का आवश्यक मरम्मती		2,47,700		2,47,700
कुल			12,40,500		12,40,500

• मरम्मती एवं निर्माण कार्यों पर दोहरा आवंटन

संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि धनबाद में पी.डी.जे आवासीय क्वार्टर के उन्नयन हेतु पत्र सं. 244 (भ.) दिनांक 03.10.2019 के द्वारा ₹ 24.09 लाख के एकल स्वीकृति के विरुद्ध का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद को ₹ 24.08 लाख और

₹ 24.09 लाख के दो आवंटन {834 (भ) दिनांक 20.03.2020 तथा 88/20-87 (भ) दिनांक 14.10.2020 के द्वारा} दिया गया था। तथापि, प्रथम आवंटन को कार्यपालक अभियंता द्वारा उपयोग किया गया था तथा द्वितीय आवंटन को आवंटन तिथि से तीन माह बाद (15.01.2021 को) अभ्यर्पित कर दिया गया था।

उपरोक्त दो मामले प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृति आदेशों और आवंटन आदेशों के निर्गत के दौरान विभागीय प्राधिकारियों के अनौपचारिक व्यवहार को दर्शाते हैं जो एक गंभीर लापरवाही थी और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता हो सकती है।

3.6 अनुदान संख्या. 46 - पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग (पर्यटन प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया

3.6.1 परिचय

झारखण्ड राज्य में स्थित अपार जैव विविधता, मध्यम जलवायु, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, पूजा के लिए पर्यटकों के लिए अंतिम गंतव्य स्थान बनाता है। पर्यटन क्षेत्र में विकास न केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अपार अवसर उत्पन्न करेंगे बल्कि आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करने में सहायता करेंगे। विभाग का पर्यटन प्रभाग राज्य, राष्ट्र और विश्व के लोगों को प्रकृति की समृद्ध निधि, इसकी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक स्थानों और अन्य परंपराओं से अवगत कराने के लिए जिम्मेदार है जो राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तत्व हैं।

उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग को ₹ 194.49 करोड़ का बजट प्रदान किया। बजट प्रावधान और इसके उपयोग का विवरण तालिका 3.21 में दिया गया है।

तालिका 3.21: 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बजट का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दत्तमत्त पूंजी	दत्तमत्त राजस्व	कुल
वास्तविक अनुदान	80.00	104.49	184.49
अनुपूरक अनुदान	10.00	0.00	10.00
कुल अनुदान	90.00	104.49	194.49
व्यय	43.62	56.80	100.42
बचत	46.38	47.69	94.07
अभ्यर्पण	46.38	47.69	94.07

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

3.6.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

बजटीय प्रक्रिया के लेखापरीक्षा हेतु पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग (पर्यटन प्रभाग) के सचिवालय और नौ⁷ इकाईयों (आठ⁸ जिलों में) को बजटीय प्रक्रिया की लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था

लेखापरीक्षा परिणाम

3.6.3 सतत बचत

पिछले चार वर्षों (2017-21) के दौरान विभागीय बजट तथा व्यय के संवीक्षा से यह पता चला कि विभाग को इन वर्षों में सतत बचत हुई और बजट अनुमानों की तुलना में बचत की प्रतिशतता बहुत अधिक थी जैसा कि तालिका 3.22 में दिया गया है।

तालिका 3.22: पिछले चार वर्ष के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	वास्तविक	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
2017-18	राजस्व	51.78	0.42	52.2	46.84	5.36	10.27
	पूंजीगत	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
	कुल	122.78	0.42	123.2	117.84	5.36	4.35
2018-19	राजस्व	53.46	0.73	54.19	49.35	4.84	8.93
	पूंजीगत	110.60	0.00	110.60	99.37	11.23	10.15
	कुल	164.06	0.73	164.79	148.72	16.07	9.75
2019-20	राजस्व	91.55	0.17	91.72	72.82	18.9	20.61
	पूंजीगत	92.50	0.00	92.5	44.46	48.04	51.94
	कुल	184.05	0.17	184.22	117.28	66.94	36.34
2020-21	राजस्व	104.49	0.00	104.49	56.80	47.69	45.64
	पूंजीगत	80.00	10.00	90.00	43.61	46.39	51.53
	कुल	184.49	10.00	194.49	100.41	94.08	48.37

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

जैसा कि तालिका 3.22 में दिखाया गया है विभाग में पिछले दो वर्षों के दौरान 36 प्रतिशत से 48 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी। लेखापरीक्षा अवलोकन के जबाव में विभागीय प्राधिकारियों ने यह कहा कि बचत वास्तविक आवश्यकताओं के बिना प्रावधान के कारण हुई तथापि, प्रधिकारियों का जबाव सही नहीं था क्योंकि विभाग उस स्तर तक भी व्यय करने में विफल रहा जो पहले के वर्षों में था।

⁷ i. पर्यटन निदेशालय, राँची, ii. जेएसबीसीसीएल, राँची, iii. डी.सी., गुमला, iv. डी.सी., खूँटी, v. डी.सी., रामगढ़, vi. डी.सी., लोहरदगा, vii. डी.सी., जमशेदपुर, viii. डी.सी., हजारीबाग तथा, ix. डी.सी., बोकारो

⁸ i. राँची, ii. गुमला, iii. खूँटी, iv. रामगढ़, v. लोहरदगा, vi. जमशेदपुर, vii. डी.सी., हजारीबाग तथा, viii. डी.सी., बोकारो

3.6.4 अनुमानों का विलंब से प्रस्तुतीकरण

बिहार बजट नियमावली का नियम 62 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत), राज्य के बजट को सही और समय पर तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के बाद सामान्य बजट और बजटीय लेनदेन का व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) की निर्धारित तिथियों को बजट नियमावली में निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर के विरुद्ध क्रमशः 28 नवम्बर (स्थापना के लिए) और 12 दिसम्बर (योजनाओं के लिए) संशोधित किया।

अभिलेखों की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि 12 दिसम्बर 2019 की लक्ष्य तिथि के विरुद्ध पर्यटन विभाग ने 30 जनवरी अर्थात् 49 दिनों की देरी से योजनाओं के लिए बजट अनुमान (ब.अनु.) वित्त विभाग को प्रस्तुत किया। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार, अनुमानों को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाना था जो कि स्वीकृत नहीं किया गया था।

इसके अलावा, बजट कैलेंडर का गैर-अनुपालन न केवल अनुमानित बजट तैयार करने के कार्यक्रम को प्रभावित करता है बल्कि विभिन्न स्तरों पर इसकी जाँच के लिए आवश्यक समय को भी कम करता है।

3.6.5 वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन के बिना अनुमान तैयार करना

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) (बी.एम.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) को संवितरण अधिकारी से प्राप्त बजट की जाँच करनी चाहिए कि वे सही हैं, उनके सभी विवरण/स्पष्टीकरण दिए गए हों तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर्याप्त हों।

यह देखा गया कि बजट मैनुअल के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। सामान्य बजट (राज्य, केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमान वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना विभागीय स्तर पर तैयार किए गए थे।

चूँकि विभाग ने योजनाओं की आवश्यक डी.पी.आर. तैयार नहीं की थी, उन योजनाओं के लिए तैयार किए गए अनुमान केवल अनुमानित थे और वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थे। आगे, संवितरण अधिकारियों ने वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना एकमुश्त अनुमान तैयार किये और विभाग को अग्रेषित किये, जिससे बजट प्रावधान ₹ 194.49 करोड़ के विरुद्ध ₹ 94.08 करोड़ (48.37 प्रतिशत) की बचत हुई।

3.6.6 विभागीय व्यय का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 अपेक्षा करता है कि नियंत्रक अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार

पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 100.41 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 99.67 करोड़ की राशि नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं की गई।

3.6.7 व्यय का वेग

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) का नियम 113 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय का वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता का निर्वहन किया गया है। इसके अलावा, व्यय की गति को बनाए रखना अच्छी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल होने के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

तालिका 3.23: व्यय का वेग

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मार्च माह में व्यय	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में व्यय	चौथी तिमाही के दौरान कुल व्यय	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय से चौथी तिमाही व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय से मार्च व्यय का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के व्यय का प्रतिशत
3452	28.89	6.34	29.63	54.80	54.07	52.72	11.57
5452	42.91	25.85	42.91	43.62	98.37	98.37	59.26
कुल	71.80	32.19	72.54	98.42	73.70	72.95	32.71

जैसा कि तालिका 3.23 में दर्शाया गया है ₹ 71.80 करोड़ (72.95 प्रतिशत) का व्यय केवल मार्च 2021 में किया गया था जिसमें से ₹ 98.42 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध ₹ 32.19 करोड़ (32.70 प्रतिशत) का आहरण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया था।

आगे, यह देखा गया कि मार्च 2021 में ए.सी. विपत्रों पर ₹ 0.75 करोड़ का आहरण किया गया था।

समापन महीने और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में व्यय का वेग, बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध है और इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम शामिल है।

3.6.8 परिणाम बजट को तैयार नहीं करना

योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2019), योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य और अन्य परिणामात्मक सूचना को दर्शाते हुए राज्य

योजनाओं तथा केंद्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजनाओं के तहत निष्पादित सभी योजनाओं के लिए प्रपत्र-X में परिणाम बजट अलग से तैयार किया जाना था।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया और वर्ष 2020-21 के लिए परिणाम बजट तैयार नहीं किए गए थे। इस प्रकार, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के परिणाम बजट के निष्कर्ष का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

3.6.9 प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

बजट नियमावली में निहित प्रावधानों के अंतर्गत, बजट अनुमानों को निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तैयार करना आवश्यक था। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए आवंटनों, व्यय और बचतों की संवीक्षा में यह पाया गया कि तालिका 3.24 में दर्शाई गई प्रमुख योजनाओं के कुल आवंटन ₹ 329.70 करोड़ में से ₹ 248.97 करोड़ अप्रयुक्त रह गए।

तालिका 3.24 निधि की अनुपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	योजना/शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-2021	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	3452-साहसिक गतिविधियों आदि के लिए आइ.एच.एम., एफ.सी.आई., जे.ए.टी.आई. को सहायता अनुदान	13.20	3.21	13.00	1.74	20.50	11.34
2	3452-कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	0.10	0.02	0.50	0.39	0.30	0.30
3	3452-विभिन्न पर्यटन का एकीकृत	4.80	0.79	68.50	42.99	55.00	55.00
4	5452-पर्यटन योजनाओं, भूमि अधिग्रहण, मार्ग सुविधाएँ, पर्यटन सूचना केंद्र, साहसिक पर्यटन केंद्र इत्यादि का समेकित विकास	62.60	10.44	24.00	5.05	25.00	6.38
	कुल	80.70	14.46	106.00	50.17	100.80	73.02

निधि का उपयोग न होने के कारण ये प्रमुख योजनाएँ न केवल अधूरी रह गई बल्कि लाभार्थी इच्छित लाभों से भी वंचित रह गए।

3.6.10 व्यक्तिगत बही/जमा/बैंक खातों में अवरुद्ध निधि

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, धन कोषागार से तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो।

लेखापरीक्षा के क्रम में यह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत बही खाता में पर्याप्त राशि जोड़ी जाती थी जिससे अंतिम शेष में तीव्र वृद्धि होती थी।

आगे, झा.को.सं. के नियम 334 में कहा गया है कि जमा प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेगा। वे धन जो लगातार दो वित्तीय वर्षों तक अव्ययित रह जाती है तो उसे आगे खर्च नहीं किया जाना चाहिए तथा और शेष राशि को संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय में कमी के रूप में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिससे धन की निकासी की गई थी।

नमूना-जाँच किए गए छः जिलों में यह देखा गया है कि पर्यटन विकास कार्यों के लिए 2016-17 और 2020-21 के बीच ₹ 156.86 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। जिसमें से ₹ 71.75 करोड़ खर्च किए गए और ₹ 85.11 करोड़ को व्यक्तिगत बही/जमा/बैंक खाते में अवरूद्ध रखा गया। विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दिया गया है। कुछ मामलों में पूरी राशि अप्रयुक्त रह गई और खाते में राशि जमा कर दी गई। आगे, यह देखा गया कि ₹ 10.13 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय से खातों में जमा थे।

व्यक्तिगत बही/जमा/बैंक खाते में इतने लंबे समय से पड़ी अव्ययित शेष न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम भी है। इसके अलावा, निधि के उपयोग न होने के कारण योजनाएँ अधूरी रह गई तथा लाभार्थी इसके इच्छित लाभों से वंचित रह गए।

3.6.11 कार्य का पूर्ण न होना

नमूना-जाँच किए गए छः जिलों में ₹ 29.01 करोड़ के व्यय के बावजूद 22 योजनाएँ अभी भी अपूर्ण हैं तथा कुछ योजनाओं में कार्य अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है। विवरण **परिशिष्ट 3.14** में दिया गया है।

योजनाओं के लाभ से वंचित लाभार्थी के अलावा योजनाएँ अधूरी रह जाने के कारण राज्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3.6.12 निगरानी का आभाव

(अ) यह देखा गया है कि झारखण्ड पर्यटन विकास निगम (झा.प.वि.नि.), राँची को विभिन्न योजनाओं के लिए ₹ 147.26 करोड़ प्रदान किए गए थे लेकिन पर्यटन विभाग के निदेशक द्वारा कार्यों के व्यय प्रतिवेदन और भौतिक स्थिति उनसे प्राप्त नहीं की गई थी जो झा.प.वि.नि. के कार्यों के विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की अनुचित निगरानी को इंगित करता है। झा.प.वि.नि., राँची को आवंटित निधि का वर्षवार विवरण **तालिका 3.25** में दिया गया है।

तालिका 3.25: आवंटित निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जे. टी. डी. सी. को निधि का आवंटन
2017-18	28.82
2018-19	27.20
2019-20	45.24
2020-21	46.00
कुल	147.26

(ब) प्रावधान के अनुसार, निर्माण/कार्यों के दौरान एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा निगरानी, पर्यवेक्षण, भौतिक निरीक्षण के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि कार्य को सुचारू और समय पर पूरा किया जा सके।

नमूना-जाँच किए गए छः जिलों में से चार⁹ में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और ऐसा कोई तंत्र नहीं बनाया गया था।

3.6.13 शेयरों की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप ₹ 25.00 करोड़ का अवरोध

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (भा.प.वि.नि.लि.) तथा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.प.वि.नि.लि.) से राँची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (राँ.अ.वि.हो.कॉ.लि.) के शेयरों की खरीद दिसम्बर 2020 में तय की गई थी जिसके लिए पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा मामले विभाग, झारखण्ड सरकार ने मार्च 2021 में ₹ 25 करोड़ आवंटित किए।

पर्यटन प्रभाग के अनुरोध पर, झारखण्ड राज्य पेय निगम लिमिटेड, राँची (झा.रा.पे.नि.लि.) ने भा.प.वि.नि.लि. को ₹ 9.43 करोड़ का अग्रिम भुगतान (पंजाब नेशनल बैंक के चेक सं. 027093 दिनांक 28-12-2020 के माध्यम से) किया। पर्यटन प्रभाग ने झा.रा.पे.नि.लि. को सितम्बर 2021 में ₹ 9.43 करोड़ लौटाया तथा शेष (₹ 15.57 करोड़) व्यक्तिगत बही खाता में रख दिया। अक्टूबर 2021 तक ₹ 9.43 करोड़ का शेयर मूल्य भी पर्यटन प्रभाग को हस्तांतरित नहीं किया था। अतः, उपलब्ध निधि के बावजूद पर्यटन प्रभाग न केवल संपत्ति अर्जित करने में विफल रहा, बल्कि भा.प.वि.नि.लि. के साथ अपने निधि को अवरुद्ध कर दिया।

3.6.14 कोषागार से आहरित निधि का गैर-लेखांकन

जेटीसी नियम 19 के अनुसार, कोषागार से संबंधित लेन-देन का पूर्ण अभिलेख लेखाकार की रोकड़ बही में या तो मैनुअल रजिस्टर में या कंप्यूटर सिस्टम पर रखा जाएगा। कोषागार 1992 के लिए लेखांकन नियम में निहित निर्देशों के अनुसार प्राप्त या भुगतान की गई राशि के साथ-साथ हस्तांतरण द्वारा सभी समायोजन को रोकड़ बही या किसी सहायक रजिस्टर के कैश बुक में दर्ज किया जाना चाहिए।

जमशेदपुर संभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोषागार से आहरित ₹ 44.92 लाख रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संभाग द्वारा तैयार व्यय प्रतिवेदन में ₹ 14.92 लाख भी नहीं पाया गया। विवरण तालिका 3.26 में दिया गया है।

⁹ लोहरदगा, रामगढ़, जमशेदपुर और गुमला

तालिका 3.26: रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई राशि का विवरण

शीर्ष योजना	निकासी की गई राशि	टी वी संख्या	टी वी दिनांक	विपत्र संख्या
3452-80-796-19-06-78- सहायता अनुदान	30,00,000.00	2	31.03.2021	07/2020-21
3452-80-796-20-03-20- मेला एवं प्रदर्शनी	14,91,598.00	1	29.03.2021	05/2020-21
कुल	44,91,598.00			

आगे, यह देखा गया कि 2017-18 से विभाग द्वारा रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था। इतनी लंबी अवधि के लिए रोकड़ बही का रखरखाव न करना एक गंभीर अनियमितता है और सरकारी धन के दुर्विनियोजन और दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.6.15 बैद्यनाथ धाम, देवघर परियोजना में आई.ई.सी.घटकों का गैर-प्रावधान: ₹ 3.91 करोड़

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, तीर्थयात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद योजना) पर राष्ट्रीय मिशन के लिए योजना दिशानिर्देशों (कंडिका 9.5) के अनुसार, आवंटन का 10 प्रतिशत सूचना शिक्षा संचार (सू.शि.सं.) घटकों के रूप में निर्धारित किया जाना था।

यह देखा गया था कि प्रसाद योजना के तहत भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से ₹ 39.13 करोड़ प्राप्त हुए (दिनांक 29-01-2019)। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सू.शि.सं. घटकों (पत्र सं. 367 दिनांक 28-02-2019) के लिए ₹ 3.91 करोड़ (₹ 39.13 करोड़ का 10 प्रतिशत) का प्रावधान किया जाना था जो कि नहीं किया गया था। अतः जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य विफल हो गया।

3.6.16 रजरप्पा महोत्सव (25 तथा 26 फरवरी 2017)

रजरप्पा महोत्सव सीसीएल रजरप्पा स्टेडियम ग्राउंड, चित्रपुर, रामगढ़ में आयोजित किया गया था जिसके लिए इवेंट मैनेजमेंट, स्वेटस ब्रांड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 201 नाथ मैन्सन, कटहल मोड़ रोड, राँची को ₹ 50 लाख (फरवरी 2017) प्रदान किया था। ₹ 30.00 लाख का अग्रिम भुगतान ऐजेंसी को किया गया। आगे, जन सहयोग द्वारा आयोजकों ने उक्त निधि में ₹ 40 लाख प्राप्त किया।

i) स्रोत पर करों की कटौती न होना

पर्यटन, कला संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के स्वीकृति पत्र (जनवरी 2017) के अनुसार, सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर, आयकर आदि की कटौती स्रोत पर आपूर्तिकर्ता/ऐजेंसी के बिल से की जानी थी। काटी गई राशि को उचित लेखा शीर्ष में प्रेषित किया जाना था।

यह देखा गया कि ऐजेंसी के बिलों से स्रोत पर करों की कटौती नहीं की गई जिससे सरकार को ₹ 10.71 लाख की हानि हुई। विवरण तालिका 3.27 में दिया गया है।

तालिका 3.27: करों की कटौती न होना

(₹ लाख में)

मद	कुल लागत	सेवा कर
उत्पादन लागत	48.63	6.34
कलाकारों की लागत	41.57	4.37
कुल	90.20	10.71

ii) कपटपूर्ण दावा- ₹ 22,360.00

भारत सरकार के वाहन आवेदन के विरुद्ध एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्रों की नमूना-जाँच से यह पता चला कि एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए वाहनों के रूप में दावा किया गया कि कार वास्तव में दो पहिया थे। हालांकि वाहन संख्याओं के सत्यापन के लिए संबंधित डी.टी.ओ को अनुरोध भेजा गया है। विवरण तालिका 3.28 में दिया गया है।

तालिका 3.28: वाहन का विवरण

एजेन्सी	प्रपत्र संख्या एवं दिनांक	वाहन संख्या	एजेन्सी द्वारा इंगित वाहन का वर्ग	वाहन का वास्तविक वर्ग	शामिल की गई राशि (₹)
पीयूश ट्रेवल	220/ 26-02-2017	JH01AD0873	स्वीफ्ट कार	स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकिल	3,840.00
	214/ 25-02-2017	JH02AF6010	इनोवा	टी. वी. एस. एक्स एल सुपर मोपेड	7,234.00
	210/ 25-02-2017	JH02AD0342	इंडिगो कर	होन्डा एवीएटर मोटरसाईकिल	6,098.00
	213/ 25-02-2017	JH01AT2901	टाटा जेस्ट कार	हिरो पैशन प्रो मोटरसाईकिल	5,188.00
कुल					22,360.00

3.7 निष्कर्ष

वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुदानों के अधीन कुल बचत ₹ 21,819.49 करोड़ (कुल बजट का 22.66 प्रतिशत) अनियमित बजट अनुमान का सूचक है। आगे, इन अनुदानों में अंतिम चार वर्षों के दौरान कम से कम ₹ 6,500.64 करोड़ की सतत कुल बचत हुई।

वर्ष के दौरान 34 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 5,400.83 करोड़ (54.51 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

वर्ष 2001-02 से 2019-20 तक अनुदान/विनियोग पर ₹ 3,328.68 करोड़ की राशि का अत्यधिक संवितरण का राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है। आगे, वर्ष 2020-21 के दौरान एक विनियोग (13- ब्याज अदायगी) में ₹ 144.95 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

3.8 अनुशासण

- सरकार को अपनी बजट धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए। जहाँ संभव हो अन्य योजनाओं में बचत से आन्तरिक पुनर्विनियोजन भी किया जा सकता है।
- विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों से अधिक व्यय विधानमंडल की इच्छा का उल्लंघन है। अतः इसकी गंभीरतापूर्वक समीक्षा एवं यथाशीघ्र विनियमित करने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा बजट का उचित रूप से कार्यान्वयन और निगरानी हेतु समुचित नियंत्रण प्रबंधन लागू करनी चाहिए जिससे बचत को कम करने, अनुदान/विनियोग के अधीन बड़ी बचत को नियंत्रण करने एवं संभावित बचतों का पता लगाने तथा निर्धारित समयावधि में उसके अभ्यर्पण को सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय
प्रतिवेदन व्यवहार

अध्याय 4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयबद्धता और गुणवत्ता का अनुपालन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 राज्य की संचित निधि या लोकलेखा निधि के बाहरी निधि

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेज़री विपत्र द्वारा निर्गत उस सरकार द्वारा जुटाए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त सभी रकम राज्य के संचित निधि के नामित होने के लिए एक संचित निधि गठित की जाएगी।

4.1.1 श्रम उपकर

(क) श्रम उपकर

श्रम और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2020-21 के दौरान, सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 59.15 करोड़ एकत्र किये। साथ ही साथ 2020-21 तक सरकारी योजनाओं का निष्पादन करने वाले ठेकेदारों से उपकर के रूप में ₹ 609.33 करोड़ एकत्रित किए गए। एकत्र किए गए उपकर के रूप में ₹ 609.33 करोड़ की राशि को श्रम कल्याण बोर्ड निधि (अक्टूबर 2021) में हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों (2008-21) के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि और राज्य के राजकोषीय घाटे में कमी दर्शायी गयी और यह राज्य के बेहिसाब देनदारियों को दर्शाता है।

तालिका 4.1: सरकार द्वारा श्रम उपकर से प्राप्त राशि तथा बोर्ड को इसका हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि
2016-17 तक	312.90
2017-18	80.77
2018-19	79.81
2019-20	76.70
2020-21	59.15
कुल	609.33

यह देखा गया कि श्रम कल्याण बोर्ड ने केवल 2012-13 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था। तथापि, 2020-21 तक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत निधि की प्राप्तियाँ और उपयोगिताएँ तालिका 4.2 में दर्शाई गयी हैं।

तालिका 4.2: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशियों का विवरण और इसकी उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा प्रदान सहायता-अनुदान राशि	बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष उपकर	कुल प्राप्ति	बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय ¹	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुपयोगी शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{{(2+3)=4}}	(5)	(6)	{{(5+6)=7}}	{{(4-7)=8}}
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0	90.19	90.19	59.19	0.89	60.09	30.10
2019-20	0	120.00	120.00	75.78	0.83	76.60	43.40
2020-21	0	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
कुल	5.08	778.27	783.35	430.32	7.17	437.49	345.86

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त विवरणी।

2009-10 से 2020-21 के दौरान, ₹ 430.32 करोड़ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गये, जबकि ₹ 7.17 करोड़ स्थापना पर व्यय किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धन का केवल 55.85 प्रतिशत ही उपयोग किया।

4.2 गैर-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) एवं विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) गैर-बजट उधार या तो स्पष्ट (भुगतये) या प्रत्याभूतियाँ होते हैं और ये राज्य के आकस्मिक दायित्व होते हैं। सूचना के अनुसार 2020-21 के दौरान राज्य के पी.एस.यू./ एस.पी.वी. द्वारा ऐसी कोई गैर-बजट उधारी नहीं की गई।

¹ 26 योजनाएँ, झारखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 23.11.2021 को प्रदान किए गए विवरणी के अनुसार कल्याण बोर्ड के तहत चल रही हैं।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन/कोष हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को, जिन्हें महत्त्वपूर्ण माना गया, सीधे वृहत मात्रा में निधि हस्तांतरित की थी। इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषागार प्रणाली में नहीं लिया गया था। इन निधियों के व्यय का उल्लेख राज्य के वित्त लेखे में नहीं किया गया था।

2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित समस्त सहायता को सीधे राज्य को जारी करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप हस्तांतरण में 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में ₹ 130.92 करोड़ की कमी आई जो आगे 2020-21 में बढ़कर ₹ 294.25 करोड़ हो गई। कुछ प्रमुख एजेंसियों को हस्तांतरित निधि के हस्तांतरण का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2020-21 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी	37.50
2	अवसंरचना विकास एवं क्षमता विनिर्माण	इण्डो-दानिस टूल रूम	49.78
3	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	झारखण्ड भूमि सुधार सोसायटी	25.25
4	राष्ट्रीय एड्स एवं एस्टीडी नियंत्रण कार्यक्रम	झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण संस्थान	23.69
5	जारी योजनाएँ तथा परियोजना शक्ति	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	20.25
6	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला बाल विकास तथा समाजिक सुरक्षा	16.27
7	किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ऑफ ग्रिड (कुसुम)	झारखण्ड नवीनीकृत उर्जा विकास अधिकरण	16.05
8	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	105.46
कुल			294.25

स्रोत: राज्य लेखा (2020-21) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

जब से यह निधि राज्य बजट में नियमित नहीं की गई है ये राज्य सरकार के लेखे में प्रतिबिम्बित नहीं होती, ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड- II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित की जाती है।

प्रत्यक्ष हस्तांतरण से कार्यकारी अभिकरण का व्यय राज्य के लेखे में नहीं दिया गया है।

4.4 स्थानीय निधि जमा

कुछ राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में यह प्रावधान है कि जिला परिषद् (जि.प.), पंचायत समिति (पं.स.) और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) क्रमशः जिला परिषद् निधि, पंचायत समिति निधि और ग्राम पंचायत निधि को बनाए रखेंगे (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा के तहत लघु शीर्ष 109-पंचायत निकाय निधि) जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किए गए सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि, यथा केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और उनके अपने राजस्व जिसमें पंचायत के कर और गैर-कर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, शामिल होंगे। अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि का गठन किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किए गए सभी धन और नगरपालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा के तहत लघु शीर्ष 102-नगरपालिका निधि के अधीन रखा जाता है।

तालिका 4.4: स्थानीय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पंचायती राज संस्थाएँ	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	183.88	212.71	309.67	364.38	338.12
		प्राप्तियाँ	143.53	181.74	128.99	124.60	100.19
		व्यय	114.7	84.78	74.28	150.86	87.30
		अंतिम शेष	212.71	309.67	364.38	338.12	351.01
शहरी स्थानीय निकाय	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	1,535.71	2,003.17	1,870.03	1,959.09	2,077.75
		प्राप्तियाँ	1,159.19	1,122.21	915.05	1,252.93	4,492.16
		व्यय	691.73	1,255.35	825.99	1,134.27	3,523.36
		अंतिम शेष	2,003.17	1,870.03	1,959.09	2,077.75	3,591.45

स्रोत: संबन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, यू.एल.बी. तथा पी.आर.आई. द्वारा इन लेखों के शीर्षों पर किया गया व्यय 2019-21 में पी.आर.आई. तथा 2017-18 में यू.एल.बी. को छोड़ कर प्रत्येक वर्ष के प्राप्तियों से बहुत कम था। प्राप्तियों की तुलना में कम व्यय लेखे में निधि के जमाव को प्रदर्शित करता है।

आगे, 2020-21 में यह देखा गया कि पी.आर.आई. के निवल योग में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि, यू.एल.बी. में काफी वृद्धि हुई।


4.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड वित्तीय नियम (जे.एफ.आर) यह निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के बाद, प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), झारखण्ड को अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर इन्हें अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 तक भुगतान किए गए ₹ 88,047.48 करोड़ के अनुदान से संबंधित 34,017 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2021 के अंत तक बकाया थे।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, ₹ 19,191.46 करोड़ और ₹ 20,077.67 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से क्रमशः ₹ 7,079.39 करोड़ और ₹ 6,369.87 करोड़ की राशि प्राधिकरणों और निकायों को पूँजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत संपत्ति के सृजन के संबंध में प्राधिकरणों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं किया गया था। फलस्वरूप, पूँजीगत संपत्ति के सृजन का पता नहीं लगाया जा सका। पाँच विभागों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों के संबंध में बकाया यू.सी.



31 मार्च, 2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) की संख्या और राशि तालिका 4.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.5: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		समाशोधन		विलंबित प्रस्तुति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	17,048	28,205.67	5,019	17,481.36	668	6,571.50	21,399	39,115.53
2017-18	21,399	39,115.53	4,219	19,545.33	515	6,114.69	25,103	52,546.17
2018-19*	25,103	52,546.17	4,483	17,435.44	228	278.62	29,358	69,702.99
2019-20*	29,358	69,702.99	4,749	18,734.70	90	390.21	34,017	88,047.48

*2019-20 के दौरान संवितरित किए गए जी.आई.ए. के लिए यू.सी. 2020-21 के अवधि के लिए देय हुए।

तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2010-11 तक	2,191	966.09
2011-12	494	273.38
2012-13	936	1,135.61
2013-14	1,320	1,504.44
2014-15	2,134	5,354.78
2015-16	8,903	9,573.78
2016-17	4,869	14,497.67
2017-18	3,970	18,643.87
2018-19	4,451	17,363.16
2019-20	4,749	18,734.70
कुल	34,017	88,047.48

जी.आई.ए. विपत्र के विरुद्ध यू.सी. की अप्राप्ति अपेक्षित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के प्रस्तुतीकरण समय पर सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है। यू.सी. का अधिक विलम्बन निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है। विभागों द्वारा यू.सी. के अप्रस्तुतीकरण का कारण नहीं बताया गया था।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब बिना संलग्न वाउचर के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि आहरित की जाती है, तो उप-वाउचर से समर्थित और नियंत्रक अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र को ए.सी. विपत्र के आहरण की तिथि से छः माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31.03.2021 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की वर्ष-वार विवरण तालिका 4.7 में दी गयी है।

तालिका 4.7: ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		जोड़		निष्पादन		अंतिम शेष	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2018-19 तक	17,515	4,279.56	243	1,061.32	70	845.54	17,688	4,495.34
2019-20	17,688	4,495.34	330	2,168.00	83	1706.66	17,935	4,956.68
2020-21	17,935	4,956.68	357	1,911.15	20	848.85	18,272	6,018.98


राज्य के 16 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 357 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर सरकारी लेखों से ₹ 1,911.15 करोड़ आहरित किए, लेकिन वित्तीय वर्ष के समापन से पूर्व ₹ 1,062.31 करोड़ के 337 विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को जमा नहीं किया गया। अतः यह सुनिश्चित नहीं होता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1,062.31 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गयी, जिसके लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2020-21 में व्यय की संभावित अत्योक्ति के रूप में परिलक्षित हुई।

इसके अतिरिक्त, 2019-20 तक आहरित ₹ 4,956.68 करोड़ की राशि वाले 17,935 ए.सी. विपत्र 31 मार्च 2021 तक लम्बित थे। अग्रिम आहरित की गयी और लेखांकन नहीं किया गया जिससे उपव्यय/गबन/दुर्विनियोग आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

मार्च 2020 में आहरित ₹ 264 करोड़ की तुलना में 2020-21 में ए.सी. विपत्रों पर कुल आहरित ₹ 1,911.15 करोड़ में से ₹ 44.20 करोड़ मार्च 2021 में आहरित किए गए। ए. सी. विपत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने के लिए था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

अधिकतम राशि वाले लंबित डी.सी. विपत्रों वाले विभागों की तुलनात्मक विवरणी के साथ चार्ट 4.2 में दिखाया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र



भवन निर्माण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2020-21 के अंत तक आहरित 60 एसी विपत्र के संबंध में ₹ 64.37 करोड़ के डी.सी विपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। भवन निर्माण विभाग में लंबित डी. सी. विपत्र का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका 4.8: 2020-21 के अंत तक भवन निर्माण विभाग का लंबित डी.सी विपत्र

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	डी.सी विपत्र की संख्या	राशि
2052	20	0.04
2059	28	0.29
2216	9	63.15
4059	3	0.89
कुल	60	64.37

इसके अलावा पर्यटन कला, संस्कृति खेलकूद और युवा मामले विभाग (पर्यटन प्रभाग) के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि 2020-21 के अंत तक तैयार किए गए 325 एसी. विपत्रों के संबंध में ₹91.79 करोड़ के डी.सी. विपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग के पर्यटन संभाग में लंबित डी.सी विपत्र का विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: 2020-21 के अंत तक पर्यटन संभाग का लंबित डी.सी विपत्र

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	डी.सी विपत्रों की संख्या	राशि
3451	13	0.02
3452	189	51.72
5452	123	40.05
कुल	325	91.79

यह देखा गया है कि झा.को.सं. के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 126.52 करोड़ की राशि के 316 डी.सी. विपत्र 1 माह से 128 माह के बीच विलंब से प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है।

ए.सी. विपत्रों पर धन राशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी विपत्रों को जमा नहीं करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन और गलत तरीके से इस्तेमाल के जोखिम को बढ़ाता है।

4.7 व्यक्तिगत बही खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, राशि कोषागार से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वर्ष 2020-21 के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों के जमा के अधीन लघु शीर्ष में लेन-देन से संबंधित वित्त लेखे एवं वाउचर स्तरीय कंप्यूटरीकरण (वी.एल.सी.)

आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा 172 व्यक्तिगत बही खाता (पी.एल.ए.) संचालित थे।

पी.एल.ए. में शेष का वर्ष-वार विवरण तालिका 4.10 में दी गयी है।

तालिका 4.10: व्यक्तिगत बही खाता में निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंतिम शेष
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85

तालिका 4.10 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष, 2019-20 को छोड़कर, पी.एल.ए. में पर्याप्त राशि जोड़ी गई, जिससे अंत शेष में तीव्र वृद्धि हुई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रारंभिक शेष में ₹ 2,596.26 को शामिल किया गया जिससे वर्ष के अंत शेष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ₹ 16,302.85 करोड़ की एक वृहत राशि सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर रखी गई थी, जो बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

इसके अलावा, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 334 में कहा गया है कि प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद से अव्यवहृत रही राशि को आगे नहीं खर्च किया जाना चाहिए और शेष राशि को संबंधित उसी सेवा शीर्ष को व्यय में कमी के रूप में हस्तांतरित किया जाना चाहिए जहाँ से राशि का आहरण किया गया था।

15 प्रशासकों के पी.एल. खातों की नमूना-जाँच में पता चला कि दो प्रशासकों ने उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया और ₹ 53.52 करोड़ के अव्ययित राशि को तीन साल से अधिक अवधि तक पी.एल. खातों में अवरूद्ध रखा। विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है।

तालिका 4.11: पी.एल. खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अंतिम शेष	पी.एल. खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से रखी गई राशि
1	सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु झारखण्ड एजेन्सी	154.66	14.01
2	पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	341.84	39.51
	कुल	496.50	53.52

लंबे समय से पी.एल. खातों में जमा अव्ययित शेष और वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय

नियमों का उल्लंघन था, बल्कि लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन के जोखिम को भी बढ़ाता है।

4.8 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता नियम 328 से 330 यह प्रावधान करता है कि व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाता वित्त विभाग की सहमति से और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पश्चात कोषागार में खोले जा सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक धन राशि जमा करने के लिए और वित्त विभाग के प्राधिकरण के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए पी.डी. खाते खोले जाते हैं। ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद कोषागार अधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पूर्व अनुमति से खाते को बन्द करेगा।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को दिसम्बर 2019 में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम से पी.डी. खाते खोलने का निर्देश दिया। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाते खोले गए। ये सभी खाते कार्यरत हैं और 2020-21 के दौरान ₹ 1,155.66 करोड़ की प्रारंभिक शेष में ₹ 1,113.15 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन खातों में कुल जमा राशि में से वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1,746.53 करोड़ शेष रखते हुए वर्ष के दौरान ₹ 522.29 करोड़ संवितरित किए गये।

4.9 लघुशीर्ष 800 का निरंतर उपयोग

अन्य प्राप्तियों तथा अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल तब संचालित किया जाना चाहिए जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

2020-21 के दौरान 12 मुख्य शीर्षों में प्राप्त (50 प्रतिशत या अधिक) ₹ 587.12 करोड़ में से ₹ 541.66 करोड़ को लघुशीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों" के तहत दर्ज किया गया था, जो इन मुख्य शीर्षों के तहत कुल प्राप्तियों का 92 प्रतिशत था। विवरण तालिका 4.12 में दिए गए हैं।

तालिका 4.12: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अधीन दर्ज किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	'800' में जमा	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0057	आपूर्ति एवं निष्पारण	0.08	0.08	100.00
2	0059	लोक कार्य	5.80	5.80	100.00
3	0220	सूचना तथा प्रचार प्रसार	0.01	0.01	100.00

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	'800' में जमा	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
4	0700	वृहत सिंचाई	31.57	31.57	100.00
5	0701	मध्यम सिंचाई	26.52	26.52	100.00
6	0801	उर्जा	160.38	160.38	100.00
7	1456	नागरिक आपूर्ति	137.05	137.04	99.99
8	1054	सड़क और पुल	31.11	31.11	100
9	0702	लघु सिंचाई	0.73	0.72	98.63
10	0215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	9.10	8.40	92.31
11	0075	विविध सामान्य सेवा	171.11	131.42	76.80
12	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13.66	8.61	63.03
कुल			587.12	541.66	92.25

4.10 प्रमुख उचंत, कर्ज, जमा और प्रेषण शीर्षों के अधीन बकाया शेष

उचंत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतान का लेन-देन खातों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अधीन राशि को उनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अंत तक अनिष्पादित बचे हुए उचंत शेष उस वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिंब पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। राज्य की उचंत शेष की स्थिति तालिका 4.13 में इंगित की गई है।

तालिका 4.13: उचंत शीर्ष- 8658 के तहत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	70.90	45.38	150.67	138.66	307.17	309.99	437.28	438.51
निवल	डेबिट 25.52		डेबिट 12.01		क्रेडिट 2.82		क्रेडिट 1.23	
102-उचंत लेखा (सिविल)	196.54	17.27	28.67	23.33	34.22	26.72	41.87	40.83
निवल	डेबिट 179.27		डेबिट. 5.34		डेबिट 7.50		डेबिट 1.04	

तालिका 4.14: प्रेषण शीर्ष-8782 के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8782- नकद प्रेषण								
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-पी.डब्ल्यू प्रेषण	26,822.84	26,889.20	37,102.27	37,220.48	47,673.35	47,785.76	55,208.80	55,332.72
शुद्ध	क्रेडिट 66.36		क्रेडिट 118.21		क्रेडिट 112.41		क्रेडिट 123.92	
103-वन प्रेषण	974.89	975.36	1,291.04	1,291.68	1,831.09	1,832.93	2,394.30	2,404.06
शुद्ध	क्रेडिट 0.47		क्रेडिट 0.64		क्रेडिट 1.84		क्रेडिट 9.76	

स्रोत : झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा

इन शीर्षों के अधीन शेषों के आशय नीचे दिए गए हैं:

• **वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत**

इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष राशि उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती है जो केन्द्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड द्वारा निष्पादित किए गए जिसे वापस किया जाना शेष है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समायोजित करना शेष है। यह देखा गया कि निवल शेष 2017-18 के डेबिट ₹ 25.52 करोड़ से परिवर्तित होकर 2020-21 में क्रेडिट ₹ 1.23 करोड़ हो गया। इस शीर्ष (₹ 1.53 करोड़) के तहत निवल क्रेडिट बैलेंस के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष उस स्तर तक कम हो जाएगा।

• **उचंत लेखा (सिविल)**

इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को अभिलेखित करने के लिए क्रेडिट और व्यय के लिए डेबिट किया जाता है और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा समर्थित दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित की जाती है। इस मद के निष्पादन पर नकद शेष राशि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान इस उचंत शीर्ष के तहत निवल शेष डेबिट ₹ 1.04 करोड़ से डेबिट ₹ 179.27 करोड़ के बीच घटता-बढ़ता रहा।

अधिकारियों तथा लेखा अधिकारियों के खातों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 के अंत में ₹ 133.68 करोड़ का क्रेडिट शेष पारगमन में था।

4.11 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

बजट अनुदान के भीतर व्यय का प्रभावी नियंत्रण और इनके लेखे की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को सक्षम करने के लिए राज्य वित्तीय नियम कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके बही-खातों में दर्ज

किए गये प्राप्ति एवं व्यय को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों में दर्ज आँकड़ों से प्रत्येक माह समाशोधित किया जाना चाहिए।


बजट नियमावली का नियम 134 बताता है कि नियंत्रक अधिकारी को विभागीय लेखे को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बजट नियंत्रक अधिकारी को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से प्राप्तियों एवं व्यय के इनके मासिक एवं त्रैमासिक आँकड़ों के समाशोधन हेतु बिहार बजट नियमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) की आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति करते हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से राज्य के प्राप्तियों एवं व्यय के असमाशोधन के नियमित प्रतिवेदन के पश्चात, कुछ हद तक इसमें परिवर्तन देखा गया और यह पाया कि 2019-20 के 97.33 प्रतिशत के सापेक्ष 2020-21 के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा राज्य के कुल प्राप्तियों (₹ 69,745.09 करोड़) के विरुद्ध 98.27 प्रतिशत (₹ 68,520.52 करोड़) का विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से समाशोधन किया गया। इसी प्रकार, 2019-20 के 74.45 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 के दौरान, विभागीय अधिकारियों द्वारा ₹ 73,853.84 करोड़ के कुल व्यय का 84.38 प्रतिशत (₹ 62,317.34 करोड़) का समाशोधन किया गया।

चूँकि, राशि का समाशोधन वार्षिक लेखे में प्राप्ति और व्यय के आंकड़ों का उचित आश्वासन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए 100 प्रतिशत समाशोधन का लक्ष्य अभी भी हासिल किया जाना शेष है। समाशोधन की वर्षवार स्थिति चार्ट 4.3 में दर्शायी गई है।

चार्ट 4.3: तीन वर्षों 2018-21 के दौरान समाशोधन की स्थिति



4.12 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही-खातों में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों {₹ 160.55 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़ों {₹ 7.54 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 168.09 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। समाशोधन एवं आवश्यक सुधार हेतु 2020-21 के दौरान ₹ 168.09 करोड़ (निवल डेबिट) के अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आवश्यक सुधार एवं समाशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, राँची से संपर्क किया गया।

4.13 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकते हैं। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने, जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं।

तालिका 4.15: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी. ए. एस. - 1 सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधान सभा सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में इस तरह की गारंटियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	आई.जी.ए.एस.- 2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक को अनुदानग्राही के साथ साथ अनुदानदाता (गारंटर) के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणी में सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणी में उचित माध्यम से सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों के निर्धारण का लक्ष्य रखता है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	कोई कमी नहीं
3.	आई.जी.ए.एस.- 3 सरकार	इस मानक का उद्देश्य पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का	अतिदेय ऋणों की वास्तविक

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
	द्वारा ली गई ऋण एवं अग्रिम	तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा इनके अपने वित्तीय विवरणों में लिए गए ऋण और अग्रिमों की मान्यता, माप, मूल्यांकन और प्रतिवेदन के मानदंडों को दिखलाना है।	विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, का पता नहीं लगाया जा सका

4.14 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध सी.ए.जी. से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया है, सी.ए.जी. को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के परे, जहाँ किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों का लेखापरीक्षा किसी कानून के तहत अथवा द्वारा सी.ए.जी. को नहीं सौंपा गया है, वह, यदि इस प्रकार का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, तो ऐसे निकाय या प्राधिकरण को खातों/लेखों का लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों पर करेगा जैसा कि उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हुई हो, और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, उस निकाय या प्राधिकरण की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा (धारा 20)।

निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के लेखापरीक्षा के तहत स्वायत्त निकायों के लेन-देन, परिचालन गतिविधियों और खातों के सत्यापन, लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा करने, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के संबंध में राज्य में दस प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों से संबंधित लेखा और लेखापरीक्षा की स्थिति का प्रस्तुतीकरण तालिका 4.16 में दिया गया है।

तालिका 4.16: लेखा के प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति

क्रम सं.	निकाय/प्रधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2018-19	2018-19	सूचित नहीं किया गया	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त किए गए हैं।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2018-19	2011-12	03.03.2014	वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लेखे की लेखापरीक्षा जे.एस.ई.आर.सी. से लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब के अभाव में लंबित है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लेखे की लेखापरीक्षा तकनीकी कारणों से संचालित नहीं किया गया है।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2020-21	2017-18	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2017-18 अवधि के लिए 6 मार्च, 2020 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10			डी.पी.सी. एक्ट, 1971 की धारा 19(3) के तहत एनट्रस्टमेंट की कमी के कारण लेखे की लेखापरीक्षा की शुरुआत अभी तक नहीं की गई है।
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2016-17			एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक कोई लेखा प्राप्त नहीं किया गया है।
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक कोई लेखा प्राप्त नहीं किया गया है।
7	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
8	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
9	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
10	बाबा बैद्यनाथ धाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।

झालसा के लेखापरीक्षित लेखे के संबंध में एस.ए.आर. के उपस्थापन संबंधित जानकारी सक्रिय अनुकरण के बावजूद सूचित नहीं की गई है। आगे, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित चार निकायों के लेखों को प्रस्तुत करने के लिए

संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से बात की गयी, लेकिन शुरुआत से ही इनके लेखे लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। हालाँकि, इन निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

4.15 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 76 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 76 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने अक्टूबर 2021 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि चार² निकायों/प्राधिकरणों ने, शुरुआत से, अपना लेखा को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया। 72 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/ विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अक्टूबर 2021 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

4.16 दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 उल्लेखित करता है कि गबन या अन्यथा द्वारा लोक धन, सरकारी राजस्व भंडारों या अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गई हो तो भी इसे सूचित करना अपेक्षित है। जैसे ही संदेह होता है कि हानि हुई है, ऐसी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पूछताछ के आधार पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित

² (i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड (iii) सी.ए.एम.पी.ए. (iv) वन विकास प्राधिकरण

किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई है।

4.17 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधान मण्डल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर सम्बंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सम्बंधित विभागों को प्रतिवेदन उपस्थापन के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.4.4 (पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य व्यय) पर चर्चा की थी और ₹ 8,120.63 करोड़ में से ₹ 8,120.12 करोड़ को पी.ए.सी. की सिफारिश पर विनियमित (13.01.2014) किया था। उस तारीख के बाद प्रावधानों पर किसी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया, क्योंकि इस संबंध में पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। इसके आगे, 2008-09 से 2018-19 की अवधि के लिए अधूरी योजनाओं, आकस्मिकता निधि से अग्रिम, प्रावधानों से आधिक्य व्यय, निधियों के पर्याप्त प्रत्यर्पण इत्यादि पर राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 159 कंडिका 31 अक्टूबर 2021 तक पी.ए.सी. में चर्चा के लिए लंबित थे। 2020-21 के दौरान राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोई चर्चा नहीं हुई।

4.18 निष्कर्ष

मार्च 2021 तक एकत्रित ₹ 609.33 करोड़ राशि का श्रम उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड (अक्टूबर 2021) में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान (2008-21) राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में कमी हुई। राज्य में 31 मार्च 2021 तक, ₹ 88,047.48 करोड़ राशि के 34,017 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) 2020-21 तक विभिन्न विभागों के पास बकाया थे।

ए.सी. विपत्र पर धनराशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्र को जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और गलत प्रथाओं का जोखिम भी रहता है। 31 मार्च 2021 को, 2020-21 तक आहरित ए.सी. विपत्र के विरुद्ध भारी मात्रा में ₹ 6,018.98 करोड़ के डी.सी. विपत्र (18,272) जमा नहीं किए गए।

अव्ययित शेष राशि का अधिक समय से पी. एल. खाते में पड़े रहना तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं होना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि लोक निधि के दुरुपयोग, गबन

तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है। बहुत बड़ी राशि का इन लेखों में अनुपयोगी पड़े रहने से अन्य कार्यों पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

4.19 अनुशंसाएँ

- झारखण्ड सरकार को यथासंभव श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बोर्ड भवन निर्माण एवं अन्य दूसरे निर्माण कर्मियों की कार्यरत स्थिति के विकास एवं इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा कर सके।
- वित्त विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) को जमा करने के लिए पहल करनी चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभाग को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करने के लिए ज़िम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यतिक्रमी अनुदानग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं हो। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करते हों।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. विपत्र एक समयबद्ध तरीके से समायोजित हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए.सी. विपत्रों का आहरण सिर्फ बजट को समाप्त होने से बचने के लिए न हो।
- वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में रखी गयी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाए। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और नियमावली का अनुसरण करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अध्याय-5

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय 5

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

5.1 परिचय

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) में वे सरकारी कंपनियां शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं। राज्य सरकार द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित अन्य कंपनियां भी हैं जिनको राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में बाँटा गया है।

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में वैसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार, या किसी राज्य सरकार/ सरकार के पास या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होती है, तथा इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, कोई अन्य कंपनी¹ केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी के रूप में परिभाषित है।

राज्य में 2020-21 तक एसपीएसई की कुल संख्या 31 है, जबकि पिछले तीन वर्षों यानी 2018-19 से 2020-21 तक के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर, 16 एसपीएसई (15 सरकारी कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी) को इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

5.2 शासनादेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अधीन बनाए गए विनियम के तहत सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी

¹ कंपनी (कठिनाइयों का विलोपन) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक: 04-09-2014

अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरीके से खातों की लेखा परीक्षा की जानी है उस पर निर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के लिए आवश्यक है कि उनके खातों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा की जाए।

5.3 इस अध्याय में क्या है

यह अध्याय राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन की एक समग्र तस्वीर देता है जैसा कि उनके खातों से पता चलता है।

यह अध्याय सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एसपीएसई द्वारा अनुपालन की स्थिति, कॉर्पोरेट शासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन, राज्य सरकार और एसपीएसई के बीच के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण, एसपीएसई में विनिवेश, एसपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय और एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर भारतीय लेखा मानकों (इंड-एस) के कार्यान्वयन का प्रभाव की एक समग्र तस्वीर भी देता है।

5.4 एसपीएसई की संख्या

31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें 30 राज्य सरकार की कंपनियां और एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी शामिल हैं। एसपीएसई की प्रकृति तालिका 5.1 में दी गई है।

तालिका 5.1: इस अध्याय में शामिल एसपीएसई की प्रकृति

एसपीएसई की प्रकृति	कुल संख्या	एसपीएसई की संख्या जिनके खाते रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				शामिल नहीं किये गये एसपीएसई की संख्या
		2020-21 तक खाते	2019-20 तक खाते	2018-19 तक खाते	कुल	
क्रियाशील सरकारी कंपनियाँ ²	27	01	04	07	12	15
क्रियाशील सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	01	00	01	00	01	00
कुल क्रियाशील एसपीएसई	28	01	05	07	13	15
अक्रियाशील सरकारी कंपनियाँ	03	00	03	00	03	00
कुल अक्रियाशील एसपीएसई	03	00	03	00	03	00
कुल	31	01	08	07	16	15

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

² सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) में निर्दिष्ट सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

2020-21 के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है। इस अध्याय में 15 एसपीएसई शामिल नहीं हैं जिनके खाते तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं या जिनके खाते परिसमापन के अन्तर्गत हैं। इन एसपीएसई को **परिशिष्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

16 एसपीएसई में से केवल एक³ ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और सात एसपीएसई ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने खातों को 31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप दिया। एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का परिणाम/ सारांश 2020-21 के लिए **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का परिणाम/सारांश

विवरण	ब्यौरा
एसपीएसई की संख्या	31
इस अध्याय में शामिल एसपीएसई	16
चुकता पूंजी (एसपीएसई)	₹ 4,395.33 करोड़
दीर्घावधि ऋण (एसपीएसई)	₹ 14,524.98 करोड़
शुद्ध लाभ (4 एसपीएसई)	₹ 37.47 करोड़
शुद्ध हानि (10 एसपीएसई)	-₹ 1,383.36 करोड़
शून्य लाभ/हानि (एसपीएसई)	2
घोषित लाभांश (एसपीएसई)	शून्य
कुल संपत्ति (एसपीएसई)	₹ 43,055.30 करोड़
कारोबार (एसपीएसई)	₹ 5,603.41 करोड़
निवल मूल्य (एसपीएसई)	-₹ 3,567.84 करोड़

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

5.5 जीएसडीपी में एसपीएसई के कारोबार का योगदान

इस अध्याय में शामिल 16 एसपीएसई के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के कारोबार का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। **तालिका 5.3** मार्च 2021 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए झारखण्ड राज्य के एसपीएसई और जीएसडीपी के कारोबार का विवरण प्रदान करती है।

³ झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तालिका 5.3: झारखण्ड के जीएसडीपी की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
कारोबार	4433.80	5605.82	5603.41
पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में कारोबार में प्रतिशत परिवर्तन	19.58	26.43	-0.04
झारखण्ड का जीएसडीपी	3,05,695	3,21,157	3,17,079
पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन	13.30	5.06	-1.27
झारखण्ड के जीएसडीपी में कारोबार का प्रतिशत	1.45	1.75	1.77

स्रोत: झारखण्ड राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार कार्यात्मक एसपीएसई और जीएसडीपी आंकड़ों के कारोबार के आंकड़ों के आधार पर संकलित

16 एसपीएसई का कारोबार 2018-19 में ₹ 4,433.80 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,605.82 करोड़ हो गया और 2020-21 में घटकर ₹ 5,603.41 करोड़ हो गया। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान टर्नओवर में परिवर्तन की दर -0.04 प्रतिशत और 26.43 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के जीएसडीपी में परिवर्तन की दर -1.27 प्रतिशत से 13.30 प्रतिशत के बीच रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि⁴ 0.07 प्रतिशत थी।

जीएसडीपी के 0.07 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के मुकाबले, पिछले तीन वर्षों के दौरान एसपीएसई के कारोबार में 0.01 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 2019-20 में टर्नओवर में वृद्धि बिजली क्षेत्र की कंपनियों के टर्नओवर में वृद्धि यानी 2018-19 में ₹ 4,362.87 करोड़ से 2019-20 में ₹ 5,536.97 करोड़ होने के कारण हुई थी। 2020-21 में टर्नओवर में मामूली गिरावट गैर-विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की टर्नओवर में कमी के कारण थी यानी 2019-20 में ₹ 68.85 करोड़ से 2020-21 में ₹ 66.44 करोड़। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन एसपीएसई के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2018-19 में 1.45 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 1.77 प्रतिशत हो गई।

5.6 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश

31 मार्च 2021 के अंत में 30 सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि तालिका 5.4 में दी गई है।

⁴ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर $[\{(2020-21 \text{ का मूल्य}/2018-19 \text{ का मूल्य})^{(1/3 \text{ वर्ष})}-1\} * 100$

तालिका 5.4: सरकारी कंपनियों और अन्य में इक्विटी में निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक		
	इक्विटी	लंबी अवधि के ऋण	कुल	इक्विटी	अवधि के ऋण	कुल
राज्य सरकार	4604.13	13569.42	18173.55	5237.13	17053.93	22291.06
केंद्र सरकार	0.00	1192.76	1192.76	0.00	1233.36	1233.36
अन्य (सरकारी कंपनियों सहित)	14.93	488.29	503.22	17.45	487.56	505.01
कुल निवेश	4619.06	15250.47	19869.53	5254.58	18774.85	24029.43
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.68	88.98	91.46	99.67	90.83	92.77

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.7 एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग

2020-21 के दौरान, 31 एसपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी होल्डिंग में ₹ 635.52 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की। एसपीएसई में अंकित मूल्य पर राज्य सरकार की इक्विटी होल्डिंग 2020-21 में बढ़कर ₹ 5,237.13 करोड़ हो गई, जो 2018-19 में ₹ 4,596.21 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एसपीएसई में इक्विटी में निवेश का विवरण तालिका 5.5 और चार्ट 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: इक्विटी में निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार	4,596.21	4,604.13	5,237.13
केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00
अन्य*	9.38	14.93	17.45
कुल निवेश	4,605.59	4,619.06	5,254.58

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

* अन्य में कंपनियां और निगम शामिल हैं

एसपीएसई की चुकता पूंजी में 2020-21 के दौरान राज्य सरकार की अर्थपूर्ण हिस्सेदारी का विवरण तालिका 5.6 में दिया गया है।

तालिका 5.6: राज्य सरकार की अर्थपूर्ण हिस्सेदारी

सीपीएसई का नाम	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
जेबीवीएनएल	ऊर्जा	3,111.03
जेयूएसएनएल	ऊर्जा	1,601.06
टीवीएनएल	ऊर्जा	105.00
जीआरडीए	शहरी आवास	164.14
कुल		4,981.23

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.8 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

वर्ष 2020-21 तक राज्य सरकारों और अन्य द्वारा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश की गई पूंजी तालिका 5.7 में दी गई है।

तालिका 5.7: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	प्रदत्त पूंजी			कुल प्रदत्त पूंजी
		झारखण्ड सरकार	भारत सरकार	अन्य	
1	झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेआरआईडीसीएल)	5.00	0.00	4.08	9.08
कुल		5.00	0.00	4.08	9.08

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.9 राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण

31 एसपीएसई में से, 21 एसपीएसई के पास 31 मार्च 2021 को कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी कंपनी ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान मूलधन के साथ-साथ ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया था। वर्षवार विवरण एसपीएसई के बकाया दीर्घकालिक ऋण तालिका 5.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.8: 10 एसपीएसई में बकाया दीर्घकालिक ऋण

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार	13,387.34	13,569.42	17,053.93
केंद्र सरकार	906.63	1,192.76	1,233.36
अन्य	471.87	488.29	487.56
कुल दीर्घकालिक ऋण	14,765.84	15,250.47	18,774.85

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

31 मार्च 2021 को 31 एसपीएसई में से 10⁵ में बकाया कुल दीर्घकालिक ऋण ₹18,774.85 करोड़ था जिसमें राज्य सरकार के {₹ 17,053.93 करोड़ (90.83 प्रतिशत)} ऋण शामिल हैं। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में दिए गए दीर्घकालिक ऋणों में ₹3,666.59 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और अन्य स्रोतों से ऋण में भी ₹15.69 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार के कुल ऋणों में से ₹49.86 करोड़ (0.27 प्रतिशत) गैर-विद्युत क्षेत्र के पास बकाया था। शेष विद्युत क्षेत्र के साथ था जबकि 'अन्य' से ऋण पूरी तरह से बिजली क्षेत्र से संबंधित था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान किसी भी कंपनी ने राज्य सरकार को मूलधन के साथ-साथ ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया था।

5.10 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल संपत्ति के लिए कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि कोई कंपनी सॉल्वेंट रह सकती है या नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों/ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2021 को बकाया ऋण वाले 10 एसपीएसई में कुल संपत्ति के मूल्य के आधार पर दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: एसपीएसई जिनका 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण था

(₹ करोड़ में)

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत
सरकारी कंपनी	8	18,699.49	42,344.74	226.45	2	31.4	24.37	77.61

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

10 एसपीएसई में से, दो एसपीएसई⁶ के कुल संपत्ति का मूल्य बकाया ऋण से कम था।

⁵ पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल), कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल), झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल), झारखण्ड राज्य खाद्य तथा नागरिक सप्लाई कॉर्पोरेशन (जेएसएफसीएससी) लिमिटेड, झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन कॉर्पोरेशन (झालको) लिमिटेड, झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल) और झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (जेपीपीएल)।

⁶ झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड और कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड

5.11 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता

झारखण्ड सरकार एसपीएसई को वार्षिक बजट के माध्यम से इक्विटी, ऋण, सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 16 एसपीएसई में से छह में, राज्य सरकार ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान (2018-19 के दौरान छः एवं 2020-21 के दौरान पांच) इक्विटी, ऋण, सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। 2018-19 तथा 2020-21 के दौरान छह एसपीएसई को इक्विटी, ऋण, अनुदान और सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है।

तालिका 5.10: राज्य सरकार के एसपीएसई को अनुदान और सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ⁷	2018-19		2019-20		2020-21	
	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या ⁸	राशि
विद्युत						
इक्विटी पूंजी व्यय (i)	0	0	0	0	0	626.00
दिए गए ऋण (ii)	2	1,493.11	2	182.08	1	3,485.51
प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	1,250.00	1	600.00	1	0.00
कुल व्यय (i+ii+iii)	2	2,743.11	2	782.08	1	4,111.51
विद्युत						
गैर-विद्युत						
इक्विटी पूंजी व्यय (i)	3	67.08	3	7.92	2	7.00
दिए गए ऋण (ii)	0	0	0	0	0	0
प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	286.36	1	699.90	1	348.55
कुल व्यय (i+ii+iii)	4	353.44	4	707.82	3	355.55
व्यय का महायोग	6	3,096.55	6	1,489.90	4	4,467.06

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.12 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

⁷ राशि केवल राज्य के बजट से बाहर जाने का प्रतिनिधित्व करती है।


⁸ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और शहरी आधारभूत संरचना विकास कम्पनी लिमिटेड

5.13 सरकारी कंपनियों से प्रतिफल

एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

नवीनतम अंतिम खातों के आधार पर गैर- विद्युत क्षेत्र से संबंधित पांच एसपीएसई ने 2018-19 में ₹ 41.13 करोड़ का लाभ दर्ज किया, दो ने 2019-20 में ₹ 9.89 करोड़ का लाभ दर्ज किया और 2020-21 के दौरान किसी भी एसपीएसई ने लाभ की सूचना नहीं दी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई की संख्या को चार्ट 5.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई



इन पांच लाभ कमाने वाले एसपीएसई में से, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार ₹10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया।

एसपीएसई द्वारा लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले एसपीएसई को न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना आवश्यक है।

5.14 ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन

ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसी अवधि के ब्याज व्यय से ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके गणना की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से नीचे आईसीआर

इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान एसपीएसई के सकारात्मक और नकारात्मक आईसीआर का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है।

तालिका 5.11: ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ईबीआईटी)	एसपीएसई की संख्या	1 से कम आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या
2018-19	623.24	-963.52	3	3
2019-20	806.97	-1,343.00	3	3
2020-21	899.11	-1,343.00	3	3

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

तालिका से देखा जा सकता है कि तीन एसपीएसई⁹ का आईसीआर एक से कम था। तीनों बिजली क्षेत्र के एसपीएसई हैं। यह इंगित करता है कि इन एसपीएसई की कमाई उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो दिवालियेपन के उच्च जोखिम को भी इंगित करता है।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए तीन एसपीएसई (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल) के दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 3,676.63 करोड़ का ब्याज बकाया था। इन एसपीएसईज में राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण तालिका 5.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	ऋण पर कुल बकाया ब्याज	ऋणों पर बकाया ब्याज		
			एक वर्ष से कम	एक से तीन वर्ष	तीन वर्ष से अधिक
विद्युत					
1	जेबीवीएनएल	2007.28	587.93	807.85	611.5
2	जेयूएसएनएल	1636.85	304.68	609.36	722.81
3	जेयूयूएनएल	32.5	6.5	13	13
कुल		3,676.63	899.11	1,430.21	1,347.31

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

⁹ जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूयूएनएल

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 1,347.31 करोड़ की राशि का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। सभी कंपनियों इस अवधि के दौरान बकाया ऋणों के ब्याज के साथ-साथ मूलधन को चुकाने में विफल रहीं।

5.15 सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की गणना कंपनी के ईबीआइटी को नियोजित पूंजी¹⁰ से विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 16 एसपीएसई (6 विद्युत और 10 गैर-विद्युत क्षेत्र) के आरओसीई का विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है।

तालिका 5.13: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्षवार क्षेत्र-वार ब्रेक-अप	ईबीआइटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2020-21			
विद्युत	-1,357.8	21,138.36	-6.42
गैर-विद्युत	26.76	2,357.09	1.14
कुल	-1,331.04	23,495.45	-5.67
2019-20			
विद्युत	-1,357.8	21,137.88	-6.42
गैर-विद्युत	36.32	2,757.93	1.32
कुल	-1,321.48	23,895.81	-5.53
2018-19			
विद्युत	-969.8	20,797.19	-4.66
गैर-विद्युत	39.96	2,333.44	1.71
कुल	-929.84	23,130.63	-4.02
कुल योग	-3,582.36	70,521.89	-5.08

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खातों के आधार पर संकलित

तालिका से देखा जा सकता है कि 2018-19 में बिजली क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई (-) 4.66 प्रतिशत था जो 2019-20 और 2020-21 के दौरान घटकर (-) 6.42 प्रतिशत हो गया, जिसका कारण, विद्युत् क्षेत्र के एसपीएसई में ₹ 969.80 करोड़ (2018-19) तथा ₹ 1,357.80 करोड़ (2020-21) का नुकसान था। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओसीई 1.71 प्रतिशत से घटकर 1.14 प्रतिशत हो गया है।

¹⁰ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + लंबी अवधि के ऋण - संचित नुकसान - आस्थगित राजस्व व्यय

सरकारी निवेश पर वास्तविक लाभ की दर

रिपोर्ट किए गए 16 एसपीएसई में झारखण्ड सरकार (जीओजे) द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए, ऐसे निवेश पर रिटर्न राज्य के वित्त के दृष्टिकोण से आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि इस तरह की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, निवेश पर रिटर्न की गणना राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक रिटर्न पर पहुंचने के लिए धन के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद की गई है। जहां राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त/ चूक गए दीर्घकालिक ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में धन का संचार किया गया था वहाँ राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना की गई थी।

16 एसपीएसई (विद्युत क्षेत्र और गैर-विद्युत क्षेत्र सहित) में से तीन¹¹ एसपीएसई अकार्यरत थे। इसलिए, शेष 13 एसपीएसई में, राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त/चूक गए दीर्घकालिक ऋण और पूंजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां एसपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान और सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई धनराशि को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹² के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को पीवी पर पहुंचने के लिए छूट दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान जब विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई को घाटे हुए, प्रदर्शन का एक अधिक उपयुक्त उपाय नुकसान के कारण निवल मूल्य का क्षरण है। कंपनियों के निवल मूल्य के क्षरण पर कंडिका 5.16 में टिप्पणी की गई है।

राज्य सरकार के निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य

इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2021 तक इक्विटी, ब्याज मुक्त / चूक गए ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में 13 कंपनियों में राज्य सरकार के

¹¹ जेसीएल, पीईएल तथा केईएल

¹² सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (झारखण्ड सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों से अपनाई गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राशि राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

निवेश की स्थिति और 2017-18 से 31 मार्च 2021 तक उनसे संबंधित राज्य सरकार के निवेश के पीवी की समेकित स्थिति को **परिशिष्ट 5.3** में दर्शाया गया है।

इन 13 कंपनियों में राज्य सरकार का निवेश वर्ष के अंत में 2016-17 में ₹ 4,313.47 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 5020.80 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के आकार में ₹ 707.33 करोड़ आगे निवेश किया। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का पीवी ₹ 8,135.52 करोड़ आंका गया।

यह देखा जा सकता है कि इन कंपनियों से संबंधित वर्ष के लिए कुल आय 2017-18 से 2020-21 के दौरान नकारात्मक रही, जो यह इंगित करता है कि सरकार को निधियों की लागत की वसूली के लिए निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय, उन्होंने वर्षों से घाटा जमा किया है जो उन्हें व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य बना रहे हैं।

एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश पर वापसी

निवेश पर लाभ (आरओआई)¹³ कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है जो कि कुल निवेश से शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एसपीएसई/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के क्षेत्रवार आरओआई को **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.14: क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
विद्युत	-5.30	-7.30	-
गैर-विद्युत	13.53	11.71	8.63

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आर. ओ.आई (-) 5.30 प्रतिशत था जो कि जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल द्वारा ₹ 961.69 करोड़ के नुकसान के कारण था जो 2019-20 में घटकर (-) 7.30 प्रतिशत हो गया। गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओआई 2018-19 में 13.53 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.63 प्रतिशत हो गया। गैर-विद्युत क्षेत्र के आरओआई में कमी जेपीएचसीएल के लाभ अर्जन से उपगत हानि की ओर खिसकने के कारण हुई यानि 2018-19 में ₹ 3.47 करोड़ के लाभ अर्जन से 2020-21 में ₹ 9.72 करोड़ का घाटा उठाना था।

¹³ निवेश पर वापसी = (ब्याज, कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी से पहले शुद्ध लाभ)*100/निवेश जहां निवेश = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार + दीर्घकालिक ऋण।

एसपीएसई की इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)¹⁴ कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है, जिसकी गणना शेयरधारकों की इक्विटी से शुद्ध आय को विभाजित करके की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी का क्षेत्रवार आरओई तालिका 5.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15: एसपीएसई की इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
विद्युत	- 33.55	- 34.09	- 34.09
गैर-विद्युत	5.51	5.05	2.87

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आरओई (-) 33.55 प्रतिशत था जो जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल द्वारा ₹ 961.69 करोड़ के नुकसान के कारण था, जबकि गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओई 2018-19 के 5.51 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 2.87 प्रतिशत हो गया।

5.16 घाटे में चल रहे एसपीएसई**एसपीएसई, जिन्हें 2018-19 से 2020-21 के दौरान घाटा हुआ**

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 10¹⁵ एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों ने घाटा उठाया जैसा की तालिका 5.16 में दिया गया है।

तालिका 5.16: 2018-19 से 2020-21 के दौरान घाटा उठाने वाले एसपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घाटा उठाने वाले एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानी	निवल मूल्य ¹⁶
2018-19	10	986.65	-2929.34
2019-20	6	1,147.40	-4,150.93
2020-21	1*	9.72	8.15
कुल		2,143.77	-7,072.12

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

* वर्ष 2020-21 के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक मात्र एक कंपनी (जेपीएचसीएल) ने अपने अंतिम खातों को अंतिम रूप दिया।

¹⁴ इक्विटी पर रिटर्न = (कर और वरीयता लाभांश / इक्विटी के बाद शुद्ध लाभ)*100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय

¹⁵ जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूएनएल, जेसीएल, पेल, केल, जेपीएचसीएल, झारक्राफ्ट, जेपीपीएल और जेएफडीसीएल

¹⁶ निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा मुक्त भंडार एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय। फ्री रिजर्व का मतलब है मुनाफे से बनाए गए सभी रिजर्व और शेयर प्रीमियम अकाउंट लेकिन इसमें संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए रिजर्व तथा मूल्यहास प्रावधान को वापस लिखना शामिल नहीं है।

10 एसपीएसई/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा किए गए ₹ 2,143.77 करोड़ के कुल हानी में से, ₹ 2,093.22 करोड़ की हानि विद्युत क्षेत्र में काम करने वाले दो¹⁷ एसपीएसई के कारण था। तालिका 5.17 में सूचीबद्ध एसपीएसई को उनकी नवीनतम जानकारी के अनुसार ₹ 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

तालिका 5.17: ₹ 10 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाने वाले एसपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एसपीएसई के नाम	अंतिम खाते का वर्ष	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध हानि
विद्युत			
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	-1131.53
2	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2018-19	-210.6
	कुल- विद्युत		-1342.13
गैर-विद्युत			
1	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	-13.04
	कुल गैर-विद्युत		-13.04
	कुल योग		-1355.17

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

सरकारी कंपनियों में पूंजी का क्षरण

16 एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में से, 10 एसपीएसई ने 31 मार्च 2021 को ₹1,383.36 करोड़ की राशि का घाटा उठाया। 31 मार्च 2021 को 10 एसपीएसई के संचित नुकसान ₹ 8,153.02 करोड़ का था, जिनमें से छह एसपीएसई के निवल मूल्य नकारात्मक (-) ₹ 4,252.60 करोड़ था एवं चार एसपीएसई के सकारात्मक ₹ 232.62 करोड़ थे, जबकि इक्विटी निवेश 31 मार्च 2021 को ₹ 4,133.04 करोड़ था।

5.17 उज्ज्वल डिस्कॉम एंशयोरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एंशयोरेंस योजना (उदय) की शुरुआत (नवंबर 2015) की थी।

¹⁷ 2018-19 और 2019-20 में जेबीवीएनएल और 2018-19 में जेयूएसएनएल

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), संबंधित राज्य सरकार तथा राज्य बिजली वितरण कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया था। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि में डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत लेने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम्स का बकाया ऋण इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया जाना था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को बाद के तीन वर्षों में अनुदान तथा इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण को इक्विटी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अलावा, राज्य सरकार को डिस्कॉम्स की हानियों, यदि कोई हो, को निम्न श्रेणीबद्ध तरीके से लेना होगा:-

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2016-17 की हानि का 5%	2017-18 की हानि का 10%	2018-19 की हानि का 25%	गत वर्ष की हानि का 50%

झारखण्ड राज्य ने 30.09.2015 को जेबीवीएनएल की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को बकाया देय राशियों का 100 प्रतिशत तथा जेबीवीएनएल के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत ले लिया। राज्य ने जेबीवीएनएल को ₹ 6,136 करोड़ का ऋण जारी किया, जिसमें से ₹ 5,553 करोड़ उदय बांड पर उधार के रूप में जुटाए गए और ₹ 583.00 करोड़ राज्य की समेकित निधि से दिए गए। उदय बांड पर उधार 8 से 8.99 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उठाया गया है, जिसे वर्ष 2021-22 से 2030-31 के बीच चुकाया जाना था, जबकि जेबीवीएनएल को 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को दिए गए ऋण 31 अक्टूबर 2021 तक योजना के अनुसार अनुदान और/या इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया गया था। हालाँकि, नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, जेबीवीएनएल 2019-20 के दौरान ₹ 1,131.54 करोड़ का नुकसान उठा रहा था। जेबीवीएनएल की कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और 31 मार्च 2020 तक ऋणात्मक ₹ 4,187.57 करोड़ थी। 2015-16 के बाद राज्य द्वारा उदय बांड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

5.18 सीएजी की निगरानी भूमिका

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए. जी.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत राज्य सरकार की कंपनी और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सी.ए. जी. को पूरक लेखापरीक्षा करने का तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाले कानूनों के लिए आवश्यक है कि उनके खातों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाए और एक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की जाए।

सी.ए.जी. द्वारा एसपीएसई के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि राज्य सरकार की कंपनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

एसपीएसई द्वारा खातों को जमा करना

➤ समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है और इस तरह की तैयारी के बाद राज्य विधानमंडल के सदनों के साथ ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति और सीएजी द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी दोनों पक्षों के सामने रखी जा सकती है। वैधानिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि पहले एजीएम की तारीख और अगले की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान करती है।

उपरोक्त के बावजूद, विभिन्न एसपीएसई के वार्षिक लेखे 31 अक्टूबर 2021 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है।

➤ **राज्य सरकार की कंपनियों/सांविधिक निगमों द्वारा खाते तैयार करने में समयबद्धता**

31 मार्च 2021 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में 30 राज्य सरकार की कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित दूसरी कंपनी थी। इनमें से वर्ष 2020-21 के खाते 30 राज्य सरकार की कंपनियों के बकाया थे। एक¹⁸ राज्य सरकार की कंपनी ने 31 अक्टूबर 2021 से पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। शेष 30 राज्य सरकार की कंपनियों के खाते विभिन्न कारणों से बकाया थे।

31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के खातों को जमा करने में बकाया का विवरण तालिका 5.18 में दिया गया है।

तालिका 5.18: एसपीएसई द्वारा खातों को जमा करने से संबंधित स्थिति

विवरण	सरकारी कंपनियां	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां	कुल
31 मार्च 2021 को सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में एसपीएसई की कुल संख्या	30	01	31
घटाव-नए एसपीएसई, जिनसे 2020-21 के खाते देय नहीं थे	-	-	-
एसपीएसई की संख्या जिनसे 2020-21 के लिए खाते देय थे	30	01	31
31 अक्टूबर 2021 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 2020-21 के लिए लेखा प्रस्तुत करने वाले एसपीएसई की संख्या	01	00	01
31 अक्टूबर 2021 तक बकाया खातों वाले एसपीएसई की संख्या	29	01	30
बकाया खातों की संख्या	98	01	99

¹⁸ झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)

विवरण		सरकारी कंपनियां	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां	कुल
बकाया का विभाजन विस्तार	(i) परिसमापन के तहत	00	00	00
	(ii) गैर-कार्यात्मक	03	00	03
	(iii) अन्य	95	01	96
अन्य श्रेणी के लिए बकाया राशि का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2020-21)	10	01	11
	दो वर्षों (2018-19 और 2019-20)	13	00	13
	तीन वर्षों से अधिक	06	00	06

5.19 लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। सांविधिक निगमों को सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में खातों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान में अपने खाते तैयार करने की आवश्यकता होती है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा एसपीएसई के खातों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, राज्य सरकार की कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यों की निगरानी करके एक निरीक्षक की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य सांविधिक लेखापरीक्षक को सौंपे गए कार्यों को ठीक और प्रभावी ढंग से पूर्ण करना है। यह कार्य निम्न शक्तियों के प्रयोग से होता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

एसपीएसई के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सीएजी को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित राज्य सरकार की कंपनियों के प्रमाणित खातों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सीएजी द्वारा एक पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक से पहले प्रस्तुत किया जाता है।

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप देना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती है।

नीचे दी गई तालिका 5.19 में 31 अक्टूबर 2021 तक खातों को अंतिम रूप देने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।

तालिका 5.19: कार्यरत और निष्क्रिय पीएसयू के खातों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं	विवरण	कार्यरत	निष्क्रिय	कुल
1	पीएसयू की संख्या	28	03	31
2	बकाया खातों वाले पीएसयू की संख्या	27	03	30
3	बकाया खातों की संख्या	81	03	84

क्र.सं	विवरण	कार्यरत	निष्क्रिय	कुल
4(अ)	छह साल से अधिक के बकाया वाले पीएसयू की संख्या	03	00	03
4(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	26	00	26
5(अ)	तीन से पांच वर्षों के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	12	00	12
5(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	41	00	41
6(अ)	एक से दो वर्ष के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	12	03	15
6(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	14	03	17
7	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 10	1 से 2	1 से 10

स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी से संकलित आंकड़ा

उपरोक्त स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों और विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को दर्शाती है कि चूक करने वाली कंपनियां कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करती हैं। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों के खाते अक्टूबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

यह देखा गया कि 15 कंपनियां अपने खाते जमा करने में लगातार चूककर्ता थीं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में उनके बकाया खाते 30 सितंबर 2021 को तीन से 10 वार्षिक खातों के बीच थे।

5.20 सीएजी की पर्यवेक्षक भूमिका का परिणाम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत एसपीएसई के खातों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण केवल एक कंपनी यानी झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 31 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त हुए थे।

एसपीएसई पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, सीएजी ने अक्टूबर 2021 तक राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की।

चालू वर्ष में पच्चीस वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिन्हें 31 अक्टूबर 2021 तक अंतिम रूप दिया गया। इन 25 वित्तीय विवरणों में से 15 वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें 10 शून्य टिप्पणियां जारी की गईं और चार वित्तीय विवरणों में

गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र दिया गया। 10 वित्तीय विवरणों में से, जहां शून्य टिप्पणियां जारी की गई थीं, तीन वित्तीय विवरणों के मामले में, सांविधिक लेखापरीक्षक ने हमारी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया था।

लेखा मानकों/इंड एस के प्रावधानों का अनुपालन न करना

उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किया। इनके अलावा, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि चार एसपीएसई ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड-एस का अनुपालन नहीं किया जैसा कि तालिका 5.20 में दिया गया है।

तालिका 5.20: उन कंपनियों का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित लेखा मानकों (एस) का अनुपालन नहीं किया गया था

क्र.सं	एसपीएसई के नाम	अंतिम खाते का वर्ष	एस	इंड एस
1.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19 & 2019-20	-	1,2,16,17, 23, 26, 36 और 37
2.	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18 & 2018-19	22	-
3.	ग्रैटर रांची विकास एजेंसी	2018-19	29	-
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	3, 22 और 29	-

5.21 निष्कर्ष

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से, केवल 16 एसपीएसई (एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी सहित) के 2020-21 (पिछले तीन वर्षों) तक वित्तीय प्रदर्शन अद्यतन खातों के आधार पर थे, केवल एक ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, 08 एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और 07 एसपीएसई ने वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2021 तक अपने खातों को अंतिम रूप दिया।

एसपीएसई का कारोबार 2018-19 में ₹ 4433.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5605.82 करोड़ था जो 2020-21 में घटकर ₹ 5603.41 करोड़ हो गया।

31 मार्च 2021 को 16 एसपीएसई में से 10 एसपीएसई को ₹ 1,383.36 करोड़ का घाटा हुआ। इसके अलावा, 10 एसपीएसई में ₹ 8,153.02 करोड़ का संचित नुकसान हुआ था जिसमें से 31 मार्च 2021 को ₹ 4,133.04 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले छह एसपीएसई का शुद्ध मूल्य नकारात्मक ₹ 4,252.60 करोड़ तथा चार एसपीएसई में शुद्ध मूल्य सकारात्मक ₹ 232.62 करोड़ था।

विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा ₹ 969.80 करोड़ (2018-19) से ₹ 1,357.80 करोड़ (2020-21) घाटे के कारण 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आरओसीई (-) 4.66 प्रतिशत से घटकर 2019-20 तथा 2020-21 में (-) 6.42 प्रतिशत हो गया। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओसीई 1.71 प्रतिशत से घटकर 1.14 प्रतिशत हो गया।

राँची
दिनांक 18 अप्रैल 2022

इ-3 2022-12
(इन्दु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 25 अप्रैल 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ : कंडिका 1.1)

झारखण्ड का परिचय						
क . सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा		
1	क्षेत्रफल			79,714 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या					
	क.	2011		3.33 करोड़		
	ख.	2021		3.85 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी)		414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
	ख.	जनसंख्या का घनत्व ² (2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 415 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी)		483 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) ³ (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)			36.96 प्रतिशत		
5	साक्षरता ⁴ (अखिल भारतीय औसत = 73%)			71.80 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर ⁵ 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 30 प्रति 1000 जीवित जन्म)			27		
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁶ (2014-18) (अखिल भारतीय = 69.4 वर्ष)			69.10 वर्ष		
7	मानव विकास सूचकांक ⁷					
	क.	2018 (अखिल भारतीय = 0.642)		उपलब्ध नहीं		
	ख.	2019 (अखिल भारतीय = 0.645)		उपलब्ध नहीं		
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2020-21 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)			₹ 3,17,079 करोड़		
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)			झारखण्ड	6.94 प्रतिशत	
				अखिल भारतीय	8.21 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21) ⁸			झारखण्ड	8.60 प्रतिशत	
				अखिल भारतीय	9.48 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)			झारखण्ड	16.35 प्रतिशत	
				अखिल भारतीय	12.30 प्रतिशत	
ख. वित्तीय आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
			वृद्धि			
			2018-19 से	2019-20	2019-20 से	2020-21
			सामान्य राज्य	झारखण्ड	सामान्य राज्य	झारखण्ड
1	क.	राजस्व प्राप्तियों का	2.08	4.03	-4.56	-3.88
2	ख.	स्वयं कर राजस्व का	2.12	13.69	-4.43	0.65
3	ग.	गैर कर राजस्व का	23.38	5.96	-35.60	-13.55
4	घ.	कुल व्यय का	4.16	5.85	4.54	6.92
5	ड.	पूँजीगत व्यय का	-5.55	-17.65	-2.36	17.93
6	च.	पूँजी परिव्यय	-4.76	-7.78	-2.84	-14.31
7	छ.	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	-12.69	-88.86	2.31	1943.16
8	ज.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.97	24.40	-1.32	3.33
9	झ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	8.27	-10.64	14.65	24.84
10	ञ.	वेतन एवं मजदूरी का	9.07	5.72	2.27	0.41
11	ट.	पेंशन का	10.46	0.23	6.02	13.19

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

² भारत की जनगणना 2011 (जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036)

³ झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19 (खंड II), पृष्ठ ए 168-169, तालिका 9.8

⁴ झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 191

⁵ झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 222

⁶ 2011 की जनगणना की एस.आर.एस. आधारित संछिप्त जीवन तालिका 2014-18 की विवरणी 3

⁷ यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2019 पृष्ठ 302 एवं मानव विकास प्रतिवेदन 2020 पृष्ठ 243

⁸ सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(सन्दर्भ : कंडिका 1.4)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग- II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग- III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उंचत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशिकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरण -1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी व ूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2020-21 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2021 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, हकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के ल ए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 2.1
वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 2.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2019-20		2020-21		2019-20		2020-21			
	भाग - क: राजस्व					स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल	
58417.14	I. राजस्व प्राप्तियाँ		56149.73	56456.63	I. राजस्व व्यय	30893.46	28370.13	59263.59	59263.59
16771.45	कर राजस्व	16880.08		18713.86	सामान्य सेवाएँ	19718.79	183.88	19902.67	
				21447.88	सामाजिक सेवाएँ	7308.16	16038.91	23347.07	
8749.98	कर-भिन्न राजस्व	7564.01		9746.99	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	5463.39	4588.61	10052.00	
				2790.80	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1149.83	2333.82	3483.65	
20593.04	संघीय करों में राज्य के हिस्से	19712.23		3185.19	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	333.61	3401.7	3735.31	
3154.6	वित्त आयोग अनुदान	2990.5		194.73	सूचना एवं प्रसारण	97.17	34.75	131.92	
1809.01	राज्य को अन्य अनुदान	2164.06		1205.4	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	115.71	796.08	911.79	
7339.06	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6838.85		124.73	श्रम एवं श्रम कल्याण	76.44	145.57	222.01	
				4168.64	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	40.13	4738.38	4778.51	
				31.4	अन्य	31.88	0	31.88	
				16293.67	आर्थिक सेवाएँ	3866.51	12147.34	16013.85	
				3005.6	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	608.86	1475.51	2084.37	
				7872.78	ग्रामीण विकास	493.06	7745.25	8238.31	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			0.00	
				385.64	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	364.64	1.89	366.53	
				2999.93	ऊर्जा	1020.9	1001.57	2022.47	
				323.82	उद्योग एवं खनिज	59.01	186.77	245.78	
				414.56	परिवहन	413.46	335.92	749.38	
				0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0.00	
				1291.34	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	906.58	1400.43	2307.01	

वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					संवितरण				
				1.22	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	
				56456.63	कुल	30893.46	28370.13	59263.59	
0.00	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		3113.86	1960.51	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				0.00
58417.14	कुल		59263.59	58417.14	कुल				59263.59
भाग- ख									
795.39	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		3463.48	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
0	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0	9878.71	IV. पूँजीगत परिव्यय	64.64	8401.02	8465.66	8465.66
				1239.17	सामान्य सेवाएँ	64.64	706.28	770.92	
				1430.31	सामाजिक सेवाएँ	0.00	1491.46	1491.46	
				258.13	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.00	94.87	94.87	
				347.69	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	586.13	586.13	
				631.57	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0.00	480.34	480.34	
				8.81	सूचना एवं प्रसारण	0.00	0	0.00	
				165.36	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	269.28	269.28	
				0.86	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	5.29	5.29	
				17.89	अन्य	0.00	55.55	55.55	
				7209.23	आर्थिक सेवाएँ	0.00	6203.28	6203.28	
				153.85	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	75.78	75.78	
				1991.11	ग्रामीण विकास	0.00	1283.49	1283.49	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0	0.00	
				1328.78	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1046.31	1046.31	
				0.00	ऊर्जा	0.00	626	626.00	
				4.00	उद्योग और खनिज	0.00	7.76	7.76	
				3686.95	परिवहन	0.00	3120.33	3120.33	

वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					संवितरण				
				44.54	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	43.61	43.61	
49.19	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		48.78	165.43	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	32.11	3347.66	3379.77	3379.77
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	0		89.32	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	4.74	3347.66	3352.4	
48.77	सरकारी सेवकों से	48.54		52.52	सरकारी सेवकों को	4.46	0	4.46	
0.42	अन्य से	0.24		23.59	अन्य को	22.91	0.00	22.91	
1960.51	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य				VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				3113.86
9593.12	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		13546.58	4231.40	VII. लोक ऋण की वापसी			2744.82	2744.82
0.00	वाह्य ऋण	0.00		0.00	वाह्य ऋण			0.00	
9167.14	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	10958.31		4057.86	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण			2546.88	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00		0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00	
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00		0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00	
425.98	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2588.27		173.54	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पूर्णभुगतान			197.94	
0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00		VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग				0.00
0.00	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0.00		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय				0.00
33242.77	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		28511.48	27901.96	X. लोक लेखा संवितरण			24145.89	24145.89
1175.37	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1179.21		1169.63	छोटे बचत एवं भविष्य निधि			1201.67	
4379.02	रक्षित निधि	1377.12		361.09	रक्षित निधि			604.75	
	कर्णकित निधियों में निवेश	303.87							
259.6	उचत एवं विविध	863.42		162.90	उचत एवं विविध			809.95	
11106.53	प्रेषण	8118.09		11123.50	प्रेषण			8073.94	

वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					संवितरण				
16322.25	जमा एवं अग्रिम	16669.77		15084.84	जमा एवं अग्रिम			13455.58	
0	अंतर्राज्यीय समायोजन	0		0	अंतर्राज्यीय समायोजन			0	
0	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0	3463.48	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			3720.32	3720.32
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0.00	
				-54.14	रिजर्व बैंक में जमा			160.55	
				47	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			44.70	
				400	चिन्हित निधि का निवेश			703.87	
				3070.62	रोकड़ शेष का निवेश			2811.20	
104058.12	कुल		104833.91	104058.12	कुल				104833.91

परिशिष्ट 2.2
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 व 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	47054	52756	56152	58417	56150
(i) कर राजस्व	13299	12353	14752	16771	16880
वस्तु एवं सेवा कर	-	4124	8201	8418	7931
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10549	5715	3475	3996	4301
राज्य उत्पाद	962	841	1083	2009	1821
वाहनों पर कर	682	779	864	1129	976
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	607	469	451	560	708
भू-राजस्व	240	156	389	338	873
माल एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0
अन्य कर	259	270	289	321	270
(ii) कर भिन्न राजस्व	5351	7847	8258	8750	7564
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	19142	21144	23906	20593	19712
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9262	11412	9236	12303	11993
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	25	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	39	42	47	49	49
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	47093	52824	56199	58466	56199
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7081	8137	7803	9593	13546
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6847	7905	7531	9167	10958
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	234	232	273	426	2588
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	54174	60960	64002	68059	69745
7. . आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	22052	25410	33243	33243	28511
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	76226	86370	97245	101302	98256
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	45089	50952	50631	56457	59264
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	22194	22999	23983	27627	28370
गैर योजना/स्थापना	22895	27953	26648	23942	30894
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	13024	16558	17656	18714	19903
सामाजिक सेवाएँ	18557	19575	18786	21448	23347
आर्थिक सेवाएँ	13508	14819	14189	16294	16014
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	1	0
11. पूँजीगत व्यय	10861	11953	10712	9879	8466
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	10814	11884	10669	9832	8401
गैर योजना/स्थापना	47	69	42	47	65
सामान्य सेवाएँ	590	807	791	1239	771

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामाजिक सेवाएँ	1532	1528	1616	1431	1492
आर्थिक सेवाएँ	8739	9618	8305	7209	6203
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1335	1852	1485	165	3380
13. कुल व्यय(10+11+12)	57285	64756	62828	66501	71110
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	2078	2950	3060	4231	2745
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1920	2788	2893	4058	2547
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	158	161	167	173	198
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0	0	0	0	0
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	59363	67706	65888	70732	73854
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	16820	23279	27902	27903	24146
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	76183	90985	93790	98635	98000
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+)(1-10)	1965	1804	5521	1960	-3114
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+)(4-13)	-10192	-11933	-6629	-8035	-14911
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)(21-23)	-6020	-7271	-1777	-2727	-9120
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्ति -प्राथमिक राजस्व व्यय)	6176	6534	10420	15352	2725
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	4172	4662	4852	5308	5790
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	20332	20714	17976	19191	20078
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	3	7	68	16	0
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	3	7	58	16	0
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	10	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	0.21	6.23	3.95	0.00
27 ((क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	236250	269816	297204	328598	317079
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	193174	210587	224986	240036	227082
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	66827	77095	83783	94407	109185
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157	157	607	607	607
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157	157	450	450	607
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	280	113	410	378	374
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	4778	1403	3818	3828	4669
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.63	4.58	4.96	5.10	5.32
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	6.88	5.87	6.56	6.99	7.43
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.26	2.91	2.78	2.66	2.39
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.77	3.73	3.67	3.65	3.33

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	8.10	7.84	8.04	6.27	6.22
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.79	5.42	4.10	5.13	5.28
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	24.25	24.00	21.14	20.24	22.43
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	29.65	30.75	27.93	27.70	31.31
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	121.7	122.75	111.89	113.84	126.64
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.7	78.68	80.59	84.90	83.34
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	35.2	32.64	32.47	34.44	34.96
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	41.0	40.46	35.84	35.48	35.96
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	19.0	18.46	17.05	14.86	11.91
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.9	17.21	15.79	12.99	10.82
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.83	0.67	1.86	0.60	-0.98
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.02	0.86	2.45	0.82	-1.37
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-4.31	-4.42	-2.23	-2.45	-4.70
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-5.28	-5.67	-2.95	-3.35	-6.57
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.55	-2.69	-0.60	-0.83	-2.88
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-3.12	-3.45	-0.79	-1.14	-4.02
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-19.3	-15.12	-83.28	-24.39	20.88
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.61	2.42	3.51	4.67	0.86
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.20	3.10	4.63	6.40	1.20
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	28.29	28.57	28.19	28.73	34.43
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	34.59	36.61	37.24	39.33	48.08
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	142	146	149	162	194
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	-2083.16	-2438.75	3622.45	-3796.98	-16110.23
ऋण निर्माण (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	*	शून्य	15
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	111	111	118	118	112
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	47	32	23	24	23
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	1236	1764	1462	89	3352
परिसंपत्तियाँ	67419	77635	95080	95080	123935
दायित्व	74522	86542	111869	111869	110260

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये ।

* ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 2.3

31 मार्च 2021 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2020 को	दायित्व	31.03.2021 को
63545.46	आंतरिक ऋण	71956.90
42766.70	ब्याज वाले बाजार ऋण	51666.74
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
13216.75	अन्य संस्थाओं से ऋण	13497.64
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
7556.38	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	6786.89
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2591.52	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4981.85
0	1984-85 के पूर्व के ऋण	0
14.02	गैर योजना ऋण	12.27
2577.5	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	4969.58
500	आकस्मिकता निधि	500
1216.86	लघु बचत भविष्य निधि	1194.40
21104.74	जमा	24331.45
5948.02	रक्षित निधि	7024.26
82.3	अंतरण शेष	126.45
91.29	उचंत एवं विविध शेष	144.75
16788.69	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	13674.83
111868.88	कुल परिसम्पत्तियाँ	123934.89
87552.02	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	96017.68
328.43	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	992.13
87223.59	अन्य पूँजीगत परिव्यय	95025.55
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
20846.24	ऋण एवं अग्रिम	24177.23
19946.61	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	23294.27
871.66	अन्य विकास ऋण	899.07
27.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-16.11
7.14	अग्रिम	19.66
0	उचंत एवं विविध शेष	0
3463.48	नकद	3720.32
0	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0
-54.14	रिजर्व बैंक में जमा	160.55
400	जमा निधि का निवेश	703.87
47	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	44.70
3070.62	नकद शेष निवेश	2811.2
0.00	प्रेषण शेष	0
0	सरकारी लेखे में घाटा	0
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य	
111868.88	कुल	123934.89

परिशिष्ट 3.1

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3042.81	157.65	1131	2069.46
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	248.45	15.02	201.5	61.97
3	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	54.85	4.03	41.14	17.74
4	10-उर्जा विभाग	3424.35	1070.93	2873.12	1622.16
5	11- उत्पाद एवं मध निषेध विभाग	44.21	0.8	30.24	14.77
6	17- वाणिज्यकर विभाग	97.83	5.83	87.07	16.59
7	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1553.56	139.03	1365.71	326.88
8	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	875.1	134.48	725.8	283.78
9	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4252.22	164.1	3475.71	940.61
10	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5950.85	142.55	5270.05	823.35
11	23- उद्योग विभाग	303.6	4.86	212.34	96.12
12	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	428.83	125.07	237.59	316.31
13	27- विधि विभाग	518.86	13.18	345.51	186.53
14	32-विधान सभा	107.3	2.03	98.71	10.62
15	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2376.57	16.54	840.57	1552.54
16	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	985.12	912.5	1375.94	521.67
17	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	760.24	11.36	543.96	227.64
18	41- पथ निर्माण विभाग	522.14	10.32	410.57	121.89
19	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6448.76	1536.96	5552.46	2433.26
20	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	292.54	23.72	121.61	194.65
21	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	176.45	5.13	117.51	64.07
22	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	357.26	20	356.52	20.74

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
23	49- जल संसाधन विभाग	429.59	0.52	303.64	126.47
24	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1646.09	53.49	917.68	781.9
25	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1878.68	211.16	1852.75	237.09
26	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8628.96	4.73	6264.9	2368.79
27	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4614.35	489.97	3772.5	1331.82
	कुल	50019.57	5275.96	38526.1	16769.42
राजस्व (भारित)					
28	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	116.62	6.66	100.91	22.37
	कुल	116.62	6.66	100.91	22.37
पूँजीगत (दत्तमत)					
29	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	97.72	37.42	56.67	78.47
30	41- पथ निर्माण विभाग	3384	40.31	3081.21	343.1
31	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	487.04	7.13	465.62	28.55
32	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	80	10	43.62	46.38
33	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	110.65	20	93.34	37.31
34	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	43	3.35	5.29	41.06
	कुल	4202.41	118.21	3745.75	574.87
	कुल योग	54338.6	5400.83	42372.76	17366.66

परिशिष्ट 3.2
अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत	आधिक्य
			मूल	अनुपूरक	प्रत्यर्पण	कुल			
1	1	2401-102-AW- फसल की लेन देन, वितरण एवं बीज उत्पादन	4.50	0.00	7.50	12.00	7.56	4.44	0.00
2		2401-789-AW- फसल की लेन देन, वितरण एवं बीज उत्पादन	1.50	0.00	0.75	2.25	1.02	1.23	0.00
3	2	2403-001-02- अधीक्षण-सभागीय प्रभार	2.37	0.00	0.20	2.57	2.17	0.39	0.00
4		2403-103-04- मुर्गीपालन फार्म और लघु ड्रेसिंग संयंत्र	1.04	0.00	0.25	1.29	1.23	0.07	0.00
5		2403-113-01-स्थापना राज्य पशुधन/अनुसंधान संस्थान	4.94	0.00	0.45	5.39	5.26	0.14	0.00
6	3	4059-01-051-58- कार्यालय भवन/परिसदन	50.00	0.00	20.00	70.00	65.10	13.90	0.00
7	12	7610-202-04- मोटर कार की खरीदारी के लिए विधायकों को अग्रिम	3.00	0.00	5.00	8.00	4.46	3.54	0.00
8	13	2049-01-200-11- ग्रामीण विद्यतीकरण निगम लिमिटेड से लिए गए ऋण पर ब्याज	40.00	0.00	81.77	121.77	105.15	16.62	0.00
9	18	3456-102-57- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खद्यान्न निधि	0.35	0.00	1.60	1.95	0.96	0.99	0.00
10		3456-789-57- - झारखण्ड राज्य आकस्मिक खद्यान्न निधि	0.15	0.00	0.80	0.95	0.70	0.25	0.00
11		3456-796-57-- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खद्यान्न निधि	0.50	0.00	2.60	3.10	2.12	0.98	0.00
12	22	2055-003-04- पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, मुसाबानी	10.62	0.00	0.43	11.05	10.35	0.70	0.00
13	36	4215-01-796-02-ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना	133.57	0.00	20.00	153.57	150.01	3.56	0.00
14	41	5054-03-796-01- मुख्य सड़कें	1125.00	0.00	50.00	1175.00	1048.50	126.50	0.00
15	50	4702-796-19- नई लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण	25.20	10.00	13.75	48.95	48.83	0.12	0.00
16	52	2204-104-02- खेल और क्रीड़ा	1.20	0.10	0.70	2.00	1.44	0.57	0.00
		कुल	1403.95	10.10	205.80	1619.85	1454.86	174.01	0.00
17	36	2215-01-101-04- नगर निगम की शहरी जल आपूर्ति योजना	24.05	0.00	0.10	24.15	20.46	3.70	0.01
18		2215-01-102-03-चापानल, टंकी और कुआँ- उच्च दाब नलकूप	91.11	16.53	-0.10	107.55	88.33	19.28	0.06

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत	आधिक्य
19	56	2515-001-03- जिला पंचायत स्थापना	204.62	0.00	0.50	204.87	135.68	69.22	0.03
					-0.25				
		कुल	319.78	16.53	0.25	336.57	244.48	92.19	0.10
		कुल योग	1723.73	26.63	206.05	1956.42	1699.34	266.20	0.10

परिशिष्ट 3.3
वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3042.81	157.65	3200.46	1131.00	2069.46	2069.46
2	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	204.25	0	204.25	91.71	112.55	112.46
3	10 - उर्जा विभाग	3424.35	1070.93	4495.28	2873.12	1622.16	1622.41
4	15- पेंशन	7060.19	0	7060.19	6796.51	263.68	500.00
5	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1553.56	139.04	1692.60	1365.71	326.88	326.88
6	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	875.10	134.48	1009.58	725.80	283.78	270.83
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4252.22	164.10	4416.32	3475.71	940.62	939.56
8	21 उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1602.67	0	1602.67	1467.73	134.94	134.94
9	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5950.86	142.54	6093.40	5270.05	823.35	823.97
10	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	428.83	125.07	553.90	237.59	316.32	316.32
11	27 - विधि विभाग	518.86	13.18	532.04	345.51	186.53	186.53
12	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2376.57	16.53	2393.10	840.56	1552.54	1342.49
13	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	985.11	912.50	1897.61	1375.94	521.67	521.67
14	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	760.24	11.36	771.60	543.97	227.63	226.97
15	41- पथ निर्माण विभाग	522.14	10.32	532.46	410.57	121.89	95.46

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
16	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6448.76	1536.96	7985.72	5552.46	2433.26	2433.18
17	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	292.54	23.72	316.26	121.61	194.65	194.65
18	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2505.74	632.23	3137.97	2882.58	255.38	255.38
19	49- जल संसाधन विभाग	429.59	0.52	430.11	303.64	126.47	126.47
20	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1646.09	53.49	1699.58	917.68	781.90	781.90
21	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1839.57	0	1839.57	845.62	993.95	993.95
22	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1878.68	211.16	2089.84	1852.75	237.09	237.12
23	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2523.38	0	2523.38	2033.04	490.34	490.68
24	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यवस्थापक शिक्षा प्रभाग)	8628.96	4.73	8633.69	6264.90	2368.79	2368.91
25	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4614.35	489.97	5104.32	3772.50	1331.82	1331.82
	कुल	63910.42	5850.48	70215.90	51498.26	18717.65	18704.01
पूँजीगत							
1	3- भवन निर्माण विभाग	566.50	0	566.50	175.99	390.51	390.64
2	10- उर्जा विभाग	1529.02	2767.50	4296.52	3973.66	322.86	322.86
3	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	712.48	0	712.48	438.30	274.18	274.34
4	41- पथ निर्माण विभाग	3384.00	40.31	3424.31	3081.21	343.10	343.04
5	49- जल संसाधन विभाग	902.00	351.63	1253.63	952.97	300.66	301.11
	कुल	7094.00	3159.44	10253.44	8622.13	1631.31	1631.99
	कुल योग	71004.42	9009.92	80469.34	60120.39	20348.96	20336.00

परिशिष्ट 3.4
वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3042.81	157.65	3200.46	1131.00	2069.46	2069.46
2	10 - उर्जा विभाग	3424.35	1070.93	4495.28	2873.12	1622.16	1622.41
3	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4252.22	164.10	4416.32	3475.71	940.62	939.56
4	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5950.86	142.54	6093.40	5270.05	823.35	823.97
5	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2376.57	16.53	2393.10	840.56	1552.54	1342.49
6	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	985.11	912.50	1897.61	1375.94	521.67	521.67
7	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6448.76	1536.96	7985.72	5552.46	2433.26	2433.18
8	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1646.09	53.490	1699.58	917.68	781.90	781.90
9	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1839.57	0	1839.57	845.62	993.95	993.95
10	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8628.96	4.73	8633.69	6264.90	2368.79	2368.91
11	60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4614.35	489.97	5104.32	3772.50	1331.82	1331.82
	कुल	43209.65	4549.40	47759.05	32319.54	15439.52	15229.32

परिशिष्ट 3.5
मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पण की राशि
राजस्व							
1	1	3042.81	157.65	3200.46	1131.00	2069.46	2069.46
2	2	248.45	15.02	263.47	201.50	61.97	61.97
3	3	125.10	0	125.10	80.69	44.41	44.41
4	4	54.85	4.03	58.88	41.15	17.74	20.39
5	6	104.14	20.73	124.87	113.81	11.07	11.07
6	9	204.25	0	204.25	91.71	112.46	112.46
7	10	3424.35	1070.93	4495.28	2873.12	1622.16	1622.41
8	11	44.21	0.80	45.01	30.24	14.77	14.64
9	12	71.11	0.06	71.16	41.22	29.94	29.94
10	15	7060.19	0	7060.19	6796.51	263.68	500.00
11	17	97.83	5.83	103.66	87.07	16.59	16.59
12	18	1553.56	139.04	1692.60	1365.71	326.88	326.88
13	19	875.10	134.48	1009.58	725.80	283.78	270.83
14	20	4252.22	164.10	4416.32	3475.71	940.62	393.56
15	21	1602.67	0	1602.67	1467.73	134.94	134.94
16	22	5950.86	142.55	6093.41	5270.05	823.35	823.97
17	23	303.60	4.86	308.46	212.34	96.12	96.08
18	26	428.83	125.07	553.90	237.59	316.32	316.32
19	27	518.86	13.18	532.04	345.51	186.53	186.53
20	28	116.62	6.66	123.28	100.91	22.37	22.38
21	29	74.35	0.41	74.76	39.69	35.06	35.06
22	32	107.30	2.03	109.33	98.71	10.63	10.63
23	35	177.15	0.14	177.29	108.20	69.09	69.09
24	36	2376.57	16.53	2393.10	840.57	1552.54	1342.49
25	38	31.01	0.35	31.36	15.82	15.54	15.54
26	39	985.11	912.50	1897.61	1375.94	521.67	521.67
27	40	760.24	11.36	771.60	543.97	227.64	226.97
28	41	522.14	10.32	532.46	410.57	121.89	95.46
29	42	6448.76	1536.96	7985.72	5552.46	2433.26	2433.18
30	43	292.54	23.72	316.26	121.61	194.65	194.65
31	45	176.45	5.13	181.58	117.51	64.07	64.07
32	46	104.49	0	104.49	56.80	47.69	47.69
33	47	357.26	20.00	377.26	356.52	20.74	20.74
34	48	2505.74	632.23	3137.97	2882.59	255.38	255.38
35	49	429.59	0.52	430.11	303.64	126.47	126.47

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पण की राशि
36	50	116.75	0	116.75	71.60	45.15	45.15
37	51	1646.09	53.49	1699.58	917.68	781.91	781.91
38	52	120.39	0.31	120.70	53.46	67.25	67.10
39	53	65.43	22.63	88.06	72.22	15.84	15.84
40	54	170.63	0	170.63	89.69	80.94	80.95
41	55	1839.57	0	1839.57	845.62	993.95	993.95
42	56	1878.68	211.16	2089.84	1852.75	237.09	237.12
43	58	2523.38	0	2523.38	2033.03	490.34	490.68
44	59	8628.96	4.73	8633.69	6264.90	2368.79	2368.91
45	60	4614.35	489.97	5104.32	3772.50	1331.82	1331.82
	कुल	67032.54	5959.48	72992.01	53487.42	19504.56	18947.35
पूँजीगत							
1	3	566.50	0	566.50	175.99	390.51	390.64
2	8	41.02	0	41.02	19.14	21.88	21.88
3	9	85.00	0	85.00	47.89	37.11	35.52
4	10	1529.02	2767.50	4296.52	3973.66	322.86	322.86
5	12	77.00	0	77.00	6.98	70.02	70.02
6	20	319.86	341.15	661.01	586.13	74.87	74.87
7	22	435.15	234.25	669.40	570.88	98.52	98.45
8	26	97.72	37.43	135.15	56.67	78.47	78.47
9	30	122.20	28.93	151.13	136.44	14.69	14.69
10	36	712.48	0	712.48	438.30	274.18	274.34
11	41	3384.00	40.31	3424.31	3081.21	343.10	343.04
12	42	487.04	7.13	494.17	465.62	28.55	27.98
13	43	116.20	0	116.20	63.84	52.36	52.36
14	46	80.00	10.00	90.00	43.62	46.38	46.38
15	48	37.00	0	37.00	22.91	14.09	14.09
16	49	902.00	351.63	1253.63	952.97	300.66	301.11
17	50	110.65	20.00	130.65	93.34	37.31	37.38
18	51	165.20	0	165.20	132.84	32.36	32.36
19	52	44.00	0	44.00	26.03	17.97	17.97
20	53	22.97	0	22.97	7.68	15.29	15.29
21	55	776.70	105.00	881.70	817.87	63.83	63.85
22	60	43.00	3.35	46.35	5.29	41.07	41.07
	कुल	10154.71	3946.68	14101.39	11725.30	2376.08	2374.62
	कुल योग	77187.25	9906.16	87093.40	65212.72	21880.64	21321.97

परिशिष्ट 3.6
2020-21 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
1	3	4059-01-796-39	लोक निर्माण कार्य पर	20.00	16.43	3.57	3.63	0.06
		4059-01-796-58	पूँजीगत व्यय	105.00	62.39	42.61	42.68	0.07
2	4	2013-00-108-01	मंत्री परिषद	2.00	1.89	0.11	0.13	0.03
		2070-00-115-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	8.32	5.55	2.76	5.39	2.63
3	10	2059-80-001-10	लोक निर्माण कार्य	43.89	3.41	40.49	40.74	0.25
4	12	2070-00-800-08	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	15.00	12.86	2.14	2.64	0.50
5	13	2049-01-101-01	ब्याज भुगतान	3260.90	00	3260.90	3439.64	178.74
		2049-01-305-01		10.00	00.0	10.00	11.33	1.33
		2049-04-101-03		00.00	00.00	00.00	46.50	46.50
		2049-04-104-03		00.00	00.00	00.00	22.47	22.47
6	14	2048-00-101-01	कर्ज से बचाव में कमी के लिए विनियोग (भारित)	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
		6003-00-101-03	राज्य के आंतरिक ऋण	00.00	00.00	00.00	0.01	0.01
		6003-00-101-24		00.00	00.00	00.00	500.00	500.00
		6004-02-105-01	केन्द्रीय सरकार के कर्ज तथा अग्रिम	65.55	00.00	65.55	91.17	25.63
				104.96	00.00	104.96	105.02	0.06
7	15	2071-01-101-05	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति	5.00	00.00	5.00	264.69	259.69
		2071-01-101-06	हितलाभ	4550.00	500.00	4050.00	4262.65	212.65
		2071-01-101-10		10.00	00.00	10.00	14.00	4.00
		2071-01-105-03		0.01	0.00	0.01	0.12	0.12
		2071-01-105-05		150.00	00.00	150.00	229.33	79.33
		2071-01-105-06		0.01	00.00	0.01	2.46	2.46
8	22	2055-00-001-01	पुलिस	45.91	23.21	22.74	22.95	0.21
		2055-00-109-01		3114.27	448.61	2665.67	2666.17	0.50
9	24	2220-01-001-01	सूचना एवं प्रचार	12.05	3.43	8.62	8.73	0.11
10	28	2014-00-102-01	प्रशासन न्याय	110.66	15.47	95.19	95.20	0.76
11	32	2011-02-103-01	संसद/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश विधायिका	68.19	3.29	64.90	65.02	0.12
12	36	2215-01-101-04	जल आपूर्ति स्वच्छता	24.05	3.60	20.46	20.46	0.52
		2215-01-102-02		40.76	5.95	34.81	34.83	0.02
		2215-01-102-03		107.65	19.38	88.27	88.33	0.06
		4215-01-102-06	जल जलापूर्ति स्वच्छता पर पूँजीगत व्यय	33.00	0.19	32.81	32.98	0.17
13	41	3054-80-001-08	सड़क तथा पुल	23.32	6.91	16.40	16.41	0.01
14	49	4701-80-796-54	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत	149.73	0.24	149.49	149.55	0.06
		4701-80-796-62	व्यय	25.00	0.08	25.00	26.67	1.67
		4701-80-800-54		00.00	00.00	00.00	0.61	0.61
15	50	4702-00-101-37	लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय	3.00	2.14	0.86	0.94	0.07
16	54	2404-00-102-10	डेयरी विकास	8.23	1.09	7.14	7.14	0.35
17	55	4515-00-103-10	अन्य ग्रामिण विकास	149.00	1.52	147.48	148.11	0.63

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
		4515-00-796-04	कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय	240.00	24.36	215.64	215.98	0.34
18	56	2515-00-001-03	अन्य ग्रामिण विकास कार्यक्रम	204.62	68.97	135.65	135.68	0.03
19	58	2202-02-109-01	सामान्य शिक्षा	503.77	15.51	488.26	488.39	0.13
		2202-02-109-66		325.00	75.71	249.29	249.39	0.10
20	59	2202-01-101-01		4421.72	1256.19	3165.53	3165.73	0.20
		2202-01-796-46		3.37	0.74	2.63	2.63	0.11

परिशिष्ट 3.7

**पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)**

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की अदायगी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
कुल			3328.68

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11160 था।

परिशिष्ट 3.8

योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-बी.जी.	0.00	4.51
2		2401-00-102-बी.एच.	60.00	0
3		2401-00-105-ए.वी.	0.54	2.36
4		2401-00-105-ए.वी.	0.36	1.57
5		2401-00-789- बी.एच.	20.00	0
6		2401-00-796- ए.वी.	1.08	4.73
7		2401-00-796- ए.वी.	0.72	3.15
8		2401-00-796-बी8	0.00	1.33
9		2401-00-796- बी.एच.	120.00	0
10		2415-80-277-15	10.00	0
11		4401-00-101-12	1.20	0
12	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-ए5	1.00	0
13		2403-00-101-ए.डी.	1.00	0
14		2403-00-106-ए6	1.74	0
15		2403-00-106-ए6	1.16	0
16		2403-00-796-ए5	1.00	0
17		2403-00-796-ए.ए	1.00	0
18		3451-01-789-03	1.00	0
19	3- भवन निर्माण विभाग	4216-01-106-03	1.00	0
20	6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग)	2015-00-105-04	1.00	0
21	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-796-03	10.00	0
22	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-107-28	30.00	0
23		2425-00-789-28	20.00	0
24		2425-00-796-28	50.00	0
25	10- उर्जा विभाग	2801-05-001-06	208.00	0
26		2801-05-052-03	15.50	0
27		2801-05-052-05	80.60	0
28		2801-05-052-07	186.00	0
29		2801-05-789-03	3.00	0
30		2801-05-789-05	15.60	0
31		2801-05-789-06	96.00	0
32		2801-05-789-07	36.00	0
33		2801-05-796-03	6.50	0
34		2801-05-796-05	33.80	0
35		2801-05-796-06	496.00	0
36		2801-05-796-07	78.00	0
37		2801-06-052-04	155.00	0
38		2801-06-052-05	31.00	0
39		2801-06-789-04	30.00	0
40		2801-06-789-05	6.00	0
41		2801-06-796-04	65.00	0
42		2801-06-796-05	13.00	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीक्षित व्यय
43		2801-80-101-02	3.13.00	0
44		2801-80-796-18	10.00	0
45		2801-80-796-21	4.90	0
46		6801-00-201-24	4.00	0
47		6801-00-202-01	5.00	0
48		2075-00-791-02	5.50	0
49		7610-00-201-01	50.00	0
50		7610-00-201-02	5.00	0
51	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	7610-00-201-03	5.00	0
52		7610-00-202-01	7.00	0
53		7610-00-202-02	1.00	0
54		7610-00-202-03	1.00	0
55	15- पेंशन	2071-01-101-09	100.00	0
56	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	3456-00-102-61	16.76	0
57	विभाग	3456-00-789-61	5.36	0
58		3456-00-796-61	18.88	0
59		2406-01-101-48	15.00	0
60		2406-01-102-63	2.00	0
61		2406-01-102-63	1.34	0
62		2406-01-110-49	3.00	0
63		2406-01-110-49	2.00	0
64	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-48	5.00	0
65		2406-01-796-65	1.56	0
66		2406-01-796-65	1.04	0
67		2406-04-103-03	2.50	0
68		2406-04-103-06	2.50	0
69		2406-04-103-07	2.50	0
70		2210-01-001-64	4.00	0
71		2210-01-001-79	2.00	0
72		2210-01-103-78	99.16	0
73		2210-01-104-74	5.00	0
74		2210-01-109-40	12.00	0
75		2210-01-110-55	2.00	0
76		2210-01-110-62	2.00	0
77		2210-01-789-78	19.19	0
78		2210-01-796-64	4.00	0
79		2210-01-796-74	5.00	0
80		2210-01-796-76	5.00	0
81		2210-01-796-78	41.58	0
82		2210-02-101-30	5.00	0
83	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-02-200-27	9.00	0
84		2210-02-200-27	9.17	0
85		2210-03-101-20	2.00	0
86		2210-05-101-17	4.75	0
87		2210-05-105-16	3.12	0
88		2210-05-105-16	2.08	0
89		2210-05-105-21	60.85	0
90		2210-05-105-28	15.00	0
91		2210-05-796-28	10.00	0
92		2210-06-101-21	2.00	0
93		4210-01-110-42	1.46	0
94		4210-01-110-43	7.65	0
95		4210-01-110-43	5.10	0
96		4210-01-110-44	4.11	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परित्यय	पुनरीक्षित व्यय
97		4210-01-110-44	2.00	0
98		4210-01-796-26	5.00	0
99		2202-03-102-बी1	2.00	0
100	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-बी8	2.00	0
101		2202-03-796-बी1	3.00	0
102		2202-03-796-बी7	15.00	0
103		2055-00-115-01	5.00	0
104	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-45	6.14	8.91
105		4055-00-207-80	3.38	0
106		4055-00-796-33	3.00	0
107		4055-00-796-82	3.33	0
108		4070-00-796-83	3.11	0
109		4070-00-796-84	2.95	0
110	23- उद्योग विभाग	2851-00-796-02	5.30	0
111		2851-00-796-56	3.10	0
112		2852-80-102-86	1.00	0
113		2852-80-796-76	9.00	0
114	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	2220-01-796-03	1.00	0
115	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-01-796-38	1.00	0
116		2230-03-003-53	3.40	0
117		2230-03-796-53	5.00	0
118		2235-60-796-07	10.00	0
119		4059-01-796-55	7.25	0
120		4250-00-789-01	5.00	0
121		4250-00-796-09	3.60	0
122		4250-00-796-09	2.40	0
123	27- विधि विभाग	2014-00-116-01	1.10	0
124	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक प्रभाग)	4225-80-277-20	1.00	0
125		4225-80-796-21	2.00	0
126	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-094-34	2.00	0
127		2053-00-796-34	3.29	0
128		2053-00-796-36	1.00	0
129		2053-00-796-44	5.00	0
130		3554-02-796-16	5.21	0
131		4215-01-102-03	70.00	0
132	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-789-03	30.00	0
133		4215-01-796-03	100.00	0
134	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02	1.00	0
135	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	1.00	0
136		2245-01-101-02	5.00	0
137		2245-01-101-06	20.00	0
139		2245-01-101-07	221.22	0
140		2245-01-101-08	2.00	0
141		2245-01-101-09	1.00	0
142		2245-01-102-01	11.00	0
143		2245-01-102-02	11.00	0
144		2245-01-102-04	10.00	0
145		2245-01-104-01	1.00	0
146		2245-01-282-01	5.00	0
147		2245-02-101-06	5.00	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
148		2245-02-101-07	1.00	0
149		2245-02-282-01	1.02	0
150		2245-80-001-22	1.60	0
151		2245-80-102-12	1.00	0
152	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभा (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-103-01	1.00	0
153		2029-00-104-03	1.48	0
154	41- पथ निर्माण विभाग	2075-00-791-01	10.00	0
155		5054-03-052-06	1.50	0
156		2501-06-101-16	4.90	0
157		2501-06-101-17	24.50	0
158		250106-101-18	2.45	0
159		2501-06-789-16	1.50	0
160		2501-06-789-17	7.50	0
161	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-796-16	3.60	0
162		2501-06-796-17	18.00	0
163		2501-06-796-18	1.80	0
164		2505-02-796-06	1.00	0
165		2515-02-102-60	3.92	0
166		2515-00-789-60	1.20	0
167		2515-00-796-60	2.88	0
168		4515-00-796-42	5.00	0
169		2203-00-003-ए7	7.40	0
170		2203-00-003-ए.बी.	44.40	0
171		2203-00-003-ए.सी.	17.89	0
172		2203-00-004-41	5.55	0
173		2203-00-004-ए5	18.50	0
174		2203-00-004-एई	7.40	0
175	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-789-एसी	3.91	0
176		2203-00-796-41	1.95	0
177		2203-00-796-ए5	6.50	0
178		2203-00-796-ए7	2.60	0
179		2203-00-796-एबी	15.60	0
180		2203-00-796-एसी	1.58	0
181		2203-00-796-एई	2.60	0
182		3452-80-104-14	1.50	0
183		3452-80-104-18	1.00	0
184	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	3452-80-796-14	1.50	0
185		3452-80-796-18	1.00	0
186		5452-80-104-70	45.00	0
187		5452-80-796-70	10.00	0
188	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	3055-00-796-02	3.00	0
189		5055-00-190-23	2.00	0
190		4700-80-789-13	25.00	0
191	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-13	25.00	0
192		4701-80-001-65	1.00	0
193		2702-01-102-02	3.00	0
194	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-101-24	2.00	0
195		4702-00-796-24	3.00	0
196	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक	2225-01-789-09	1.00	0
197		2225-01-789-09	1.00	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिल्यय	पुनरीक्षित व्यय
198	एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-53	1.00	0
199		2225-01-789-67	13.00	0
200		2225-01-789-95	26.00	0
201		2225-02-277-01	10.00	0
202		2225-02-277-71	1.00	0
203		2225-02-277-98	1.50	0
204		2225-02-277-ए1	3.70	0
205		2225-02-277-ए3	10.00	0
206		2225-02-796-39	28.00	0
207		2225-02-796-71	2.00	0
208		4225-01-789-02	2.00	0
209		4225-01-789-02	2.00	0
210		4225-02-277-43	1.00	0
211		4225-03-796-02	2.00	0
212	4225-03-796-02	2.00	0	
213	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-104-57	6.00	0
214		2204-00-796-52	1.50	0
215		2204-00-796-54	1.25	0
216		2204-00-796-57	9.00	0
217		4202-03-102-20	4.00	0
218		4202-03-796-20	4.00	0
219		4202-04-101-13	1.80	0
220	4202-04-101-13	1.80	0	
221	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-796-62	1.06	0
222		2405-00-796-62	1.06	0
223		4405-00-101-74	3.08	0
224		4405-00-101-74	3.08	0
225	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74	2.40	0
226		2404-00-102-74	1.60	0
227		2404-00-102-76	2.00	0
228		2404-00-102-83	8.50	0
229		2404-00-102-86	2.00	0
230		2404-00-796-83	6.50	0
231	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-36	1.20	0
232		2515-00-102-63	170.00	0
233		2515-00-796-36	1.20	0
234		2515-00-796-63	180.00	0
235	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-54	8.00	0
236		2515-00-001-57	5.00	0
237		2515-00-789-57	4.00	0
238		2515-00-796-57	7.50	0
239		2515-00-796-58	1.00	0
240	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-18	5.00	0
241		2202-02-109-24	5.00	0
242		2202-02-109-80	12.50	0
243		2202-02-789-18	1.70	0
244		2202-02-789-24	1.70	0
245		2202-02-789-49	5.10	0
246		2202-02-789-68	14.45	0
247		2202-02-789-81	3.40	0
248		2202-02-796-24	3.30	0
249		2202-02-796-49	9.90	0
250		2202-02-796-81	6.60	0
251	2202-05-200-06	7.51	0	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीक्षित व्यय
252		2202-05-200-06	2.24	0
253		2202-05-789-06	2.54	0
254		2202-05-796-06	4.95	0
255		2202-05-796-06	1.48	0
256	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-60	11.43	0
257		2202-01-789-60	2.94	0
258		2202-01-796-60	5.63	0
259	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-48	5.82	0
260		2235-02-102-48	3.88	0
261		2235-02-102-53	1.54	0
262		2235-02-102-53	1.03	0
263		2235-02-102-ए1	1.26	0
264		2235-02-103-64	1.16	0
265		2235-02-103-एडी	1.62	0
266		2235-02-103-एडी	1.08	0
267		2235-02-103-एएच	2.94	0
268		2235-02-103-ए एल	12.27	0
269		2235-02-103-ए एल	8.54	0
270		2235-02-106-ए4	1.17	0
271		2235-02-796-48	6.18	0
272		2235-02-796-48	4.12	0
273		2235-02-796-53	1.68	0
274		2235-02-796-53	1.12	0
275		2235-02-796-64	1.16	0
276		2235-02-796-ए3	1.00	0
277		2235-02-796-एडी	1.98	0
278		2235-02-796-एडी	1.32	0
279		2235-02-796-एएच	4.06	0
280		2235-02-796-ए1	1.37	0
281		2236-02-101-06	1.64	0
282		2236-02-101-06	1.64	0
283		2236-02-101-07	0.00	156.00
284		2236-02-789-07	0.00	31.00
285		2236-02-796-06	1.90	0
286		2236-02-796-06	1.90	0
287	2236-02-796-07	0.00	125.00	
288	4235-02-101-78	12.00	0	
289	4235-02-103-73	1.35	0	
290	4235-02-103-77	1.50	0	
291	4235-02-103-77	1.00	0	
292	4235-02-796-73	1.65	0	
293	4235-02-796-73	1.10	0	
294	4235-02-796-77	1.50	0	
295	4235-02-796-77	1.00	0	
296	4235-02-796-78	18.00	0	
कुल			4262.08	338.56

परिशिष्ट 3.9
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4थी तिमाही का योग	4थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च में व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	2245	424.69	987.75	100.00	987.75	43.00
2	3075	9.50	335.33	100.00	335.33	2.83
3	4047	3.82	8.76	100.00	8.76	43.61
4	4408	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00
5	4801	626.00	626.00	100.00	626.00	100.00
6	4875	0.76	0.76	100.00	0.76	100.00
7	4885	5.00	7.00	100.00	7.00	71.43
8	5075	0.00	5.00	100.00	5.00	0.00
9	5452	42.91	42.91	98.39	43.62	98.39
10	4225	228.46	260.05	96.57	269.28	84.84
11	3451	805.78	812.24	94.62	858.39	93.87
12	4405	5.51	7.25	94.34	7.68	71.69
13	2852	83.64	104.08	94.24	110.45	75.73
14	4210	516.89	534.20	91.14	586.13	88.19
15	2401	281.27	882.47	88.39	998.40	28.17
16	2225	720.26	792.36	86.90	911.79	78.99
17	2406	317.09	432.48	84.72	510.51	62.11
18	2404	71.70	74.61	83.19	89.69	79.95
19	2204	19.67	32.73	75.68	43.25	45.49
20	4701	394.10	633.78	75.22	842.52	46.78
21	2216	3.69	12.18	74.59	16.34	22.61
22	5055	9.42	11.07	73.87	14.98	62.84
23	4235	3.79	3.79	71.63	5.29	71.63
24	2217	1466.79	2021.08	70.62	2861.72	51.26
25	2205	4.39	6.47	70.09	9.24	47.54
26	3054	216.05	279.75	68.52	408.28	52.92
27	2230	134.76	151.90	68.42	222.01	60.70
28	4515	486.58	867.13	67.56	1283.49	37.91
29	4711	6.22	10.27	65.82	15.60	39.90
30	4403	1.93	1.93	65.82	2.93	65.82
31	4059	77.08	123.70	65.53	188.76	40.84
32	2405	34.56	46.58	64.50	72.22	47.86
33	5054	1250.79	1862.68	60.45	3081.21	40.59
कुल		8268.10	11993.28	77.72	15439.33	53.55

परिशिष्ट 3.10
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में अभ्यर्पण
(कंडिका: संदर्भ 3.5.8)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सचिवालय/कार्यालय	कार्यों/ उप-शीर्षों की संख्या जिनमें राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पित	अभ्यर्पण तिथि
1	अवर सचिव भ.नि.वि. (सरकार पक्ष) राँची	06	32.24	7.72	24.52(76%)	31.03.21
2	का. अभि., भ.नि.प्र. सं.-01, राँची	02	77.52	8.43	69.09(89 %)	31.03.21
3	का. अभि., भ.नि.प्र. सं.-02, राँची	09	171.52	7.22	164.30(96%)	31.03.21
4	का. अभि., भ.नि. विशेष प्रमंडल, राँची	05	611.43	144.60	466.83(76%)	31.03.21
5	का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद	01	0.50	0.20	0.30 (60%)	31.03.21
6	का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	04	1.48	0.02	1.46(99%)	31.03.21
7	का. अभि., भ.नि.प्र., हजारीबाग	01	0.60	0.25	0.35 (58%)	31.03.21
8	का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	04	2.18	0.13	2.05(94%)	31.03.21
9	का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	04	101.23	0.09	101.14 (100%)	31.03.21
10	का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	04	2.05	0.00	2.05(100%)	31.03.21
कुल		40	1000.75	168.66	832.09(83%)	

परिशिष्ट 3.11
व्यय का वेग (भवन निर्माण विभाग)
(संदर्भ: कंडिका 3.5.9)

(₹ करोड़ में)

सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
राज्य (सरकार पक्ष)	4059-01-796-58	42.68	17.19	40
	4059-01-796-59	11.89	4.83	41
	4059-01-051-58	65.10	26.71	41
	2059-80-001-11	2.13	1.48	69
	4059-01-051-39	2.36	2.30	97
	4059-01-796-39	5.59	5.59	100
कुल		129.75	58.10	
अवर सचिव भ.नि.वि. (मु.) का कार्यालय राँची	07	0.10	0.08	42 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., सं. -01, राँची	08	33.35	18.43	43 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., सं.-02, राँची	15	2.46	2.34	57 और 100
का. अभि., भ.नि. विशेष प्रमंडल, राँची	05	5.42	3.82	56 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., बोकारो	03	0.86	0.76	49 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद	03	0.32	0.31	51 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	04	1.14	0.92	71 से से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., हजारीबाग	05	13.53	13.52	46 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	03	0.11	0.11	100
का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	02	4.98	4.97	48 और 100
का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	03	0.25	0.25	100
कुल	58	62.52	45.51	

परिशिष्ट 3.12
विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा
(संदर्भ: कंडिका 3.5.10)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमंडल	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	अवर सचिव भ.नि.वि. (मु.) का कार्यालय राँची	स्थापना व्यय	6.53	0.00	6.53
2	का. अभि., भ.नि.प्र., सं.-01, राँची	स्थापना व्यय	4.49	0.00	4.49
		सामान्य व्यय (कार्य)	33.35	0.00	33.35
3	का. अभि., भ.नि.प्र., सं.-02, राँची	स्थापना व्यय	3.15	0.00	3.15
		सामान्य व्यय (कार्य)	16.02	12.01	4.01
4	का. अभि., भ.नि. विशेष प्रमंडल, राँची	स्थापना व्यय	1.58	0.00	1.58
5	का. अभि., भ.नि.प्र., बोकारो	स्थापना व्यय	1.49	0.00	1.49
6	का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद	स्थापना व्यय	1.89	0.00	1.89
7	का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	स्थापना व्यय	0.99	0.00	0.99
8	का. अभि., भ.नि.प्र., हजारीबाग	स्थापना व्यय	2.13	0.00	2.13
9	का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	स्थापना व्यय	1.54	0.00	1.54
10	का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	स्थापना व्यय	0.99	0.00	0.99
11	का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	स्थापना व्यय	0.86	0.00	0.86
कुल योग			75.01	12.01	63.00

परिशिष्ट 3.13
व्यक्तिगत बही/जमा/बैंक खातों में अवरुद्ध निधि
(संदर्भ: कंडिका 3.6.10)

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	वर्ष	प्राप्त निधि	कुल प्राप्त निधि	व्यय	कुल व्यय	शेष राशि
1.	लोहरदगा जिला के देवनाद दामोदर में स्वागत द्वारा का निर्माण	2017-18	3457200	3457200	938738	2390476	1066724
2.	सलगी ब्लॉक/प्रखण्ड कुड़, लोहरदगा, देवनाद दामोदर में चुल्हा पानी स्वागत द्वार का निर्माण				1054000		
3.	लावा पानी पशरार (बगडू, लोहरदगा) में स्वागत द्वार का निर्माण				937738		
4.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत कोरम्बे मंदिर के समीप शौचालय एवं स्नानगार का निर्माण	2019-20	3171000	3171000	694875	3161463	9537
5.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखलेश्वर धाम मंदिर के समीप विवाह भवन का निर्माण				2466588		
6.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जलप्रपात पर दूसरी एवं अंतिम जल-प्रपात विकास का निर्माण	2019-20	5000000	5000000	0	1893938	3106062
7.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जलप्रपात पर (प्रथम एवं चतुर्थ) सीढ़ी एवं अन्य पर विकास कार्य				1893938		
8.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत सलगी पंचायत के नामोदाग दुबंग में ब्रिज/पुल संख्या 27 के विकास का निर्माण	2020-21	10000000	10000000	2344340	2344340	7655660
9.	जे.टी.डी.सी द्वारा परामर्शदात्री सेवाएँ	2017-18	28987522	75240424	15906862	15906862	59333562
		2018-19	13309176				
		2019-20	12943726				
		2020-21	20000000				
10.	जे.टी.डी.सी द्वारा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	2017-18	20000000	42626000	5974357	5974357	36651643
		2018-19	20000000				
		2019-20	2626000				
11.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यटन में राज्य के गरीब परिवारों को पर्यटन सुविधा प्रदान करना	2017-18	66000000	116000000	33797070	33797070	82202930
		2018-19	25000000				
		2019-20	25000000				
12.	मौजूद परिसम्पत्तियों के प्रबंधन, स्वच्छता निर्माण, उन्नयन, प्रचार-प्रसार रख-रखाव और नवीकरण आदि के लिए जे.टी.डी.सी लिमिटेड को वित्तीय सहायक केन्द्र	2017-18	60000000	370000000	193294218	193294218	176705782
		2018-19	20000000				
		2019-20	150000000				
		2020-21	140000000				
13.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यटन आसूचना केन्द्र के मजबूतीकरण, रख-रखाव, संचालन आदि का आधुनिकीकरण	2017-18	1000000	12000000	2474858	2474858	9525142
		2018-19	5000000				
		2019-20	6000000				
14.	राँची जिला के दशम, जोन्हा और पंचघाघ जलप्रपात में साहसिक गतिविधि	2017-18	9747000	9747000	8356000	8356000	1391000
15.	जे.टी.डी.सी द्वारा कैलास मानसरोवर तीर्थयात्रा	2018-19	6000000	16000000	6000000	6000000	10000000
		2019-20	10000000				
16.	जे.टी.डी.सी द्वारा विभिन्न पर्यटन सर्किट-निर्माण कार्य का समेकित	2018-19	52517646	62517646	6000000	6000000	56517646
		2019-20	10000000				
17.	जे.टी.डी.सी द्वारा निष्पक्ष एवं प्रदर्शनी	2018-19	18101475	25601475	11231728	11231728	14369747
		2019-20	7500000				

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	वर्ष	प्राप्त निधि	कुल प्राप्त निधि	व्यय	कुल व्यय	शेष राशि
18.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यटन स्थलों का रख-रखाव प्रबंधन और स्वच्छता	2018-19	28000000	78000000	53000000	53000000	25000000
		2019-20	25000000				
		2020-21	25000000				
19.	जे.टी.डी.सी द्वारा होटल अशोक विहार के पूंजीगत हिस्सेदारी का क्रय	2020-21	250000000	250000000	0	0	250000000
20.	जे.टी.डी.सी द्वारा प्रोत्साहन	2017-18	10000000	10000000	0	0	10000000
21.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यावरण पर्यटन सर्किट	2018-19	38581944	38581944	38141275	38141275	522199
		2019-20	67566				
		2020-21	13964				
22.	जे.टी.डी.सी द्वारा प्रसाद योजना, देवघर	2018-19	116616517	116616517	190290432	190290432	18720157
		2019-20	482363				
		2020-21	91911709				
23.	रजरप्पा सड़कमार्ग और मन्दिर परिसर में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट	2017-18	79051728	79051728	65483448	65483448	13568280
24.	रामगढ़ जिला अन्तर्गत दर्शन दीर्घा	2017-18	7057200	32057200	32057200	0	32057200
		2018-19	25000000				
25.	रामगढ़ जिला अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास	2017-18	8000000	25500000	12200925	12200925	13299075
		2018-19	5000000				
		2019-20	5000000				
		2020-21	7500000				
26.	विभिन्न प्रबंधनों हेतु रजरप्पा पर्यटन विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान	2017-18	902821	5902821	3218638	3218638	2684183
		2018-19	3000000				
		2020-21	2000000				
27.	लोहरदगा जिला के देवनाद दामोदर में स्वागत द्वार का निर्माण	2017-18	3457200	3457200	938738	2930476	526724
28.	सलगी ब्लॉक/प्रखण्ड कुड़, लोहरदगा, देवनाद दामोदर में चुल्हा पानी स्वागत द्वार का निर्माण				1054000		
29.	लावा पानी पशरार (बगड़, लोहरदगा) में स्वागत द्वार का निर्माण				937738		
30.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत कोरम्बे मंदिर के समीप शौचालय एवं स्नानगार का निर्माण	2019-20	3171000	3171000	694875	3161463	9537
31.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखलेश्वर धाम के समीप विवाह भवन का निर्माण				2466588		
32.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जलप्रपात पर दूसरी एवं अंतिम जल-प्रपात विकास का निर्माण	2019-20	5000000	5000000	0	1893938	3106062
33.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जल-प्रपात (प्रथम एवं चतुर्थ) पर सीढ़ी और अन्य विकास कार्य				1893938		
34.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत सलगी पंचायत के नामोदाग दुबंग में ब्रिज/पुल संख्या 27 के विकास का निर्माण	2020-21	10000000	10000000	2344340	2344340	7655660
35.	जमशेदपुर जिला के अंतर्गत कनैश्वर मन्दिर में यात्रीशेड, बोरिंग, पाईप फिटिंग, टंकी एवं सोलर प्रणाली	2016-17	2498300	2498300	2492884	2492884	5416
36.	जमशेदपुर जिला के अंतर्गत चित्तेश्वर मन्दिर, बहरागोड़ा में यात्रीशेड और बेंच का निर्माण	2016-17	1610900	1610900	1598382	1598382	12518

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	वर्ष	प्राप्त निधि	कुल प्राप्त निधि	व्यय	कुल व्यय	शेष राशि
37.	जमशेदपुर जिला के अंतर्गत पंचा पाण्डव देव (पर्यटन) ग्रिल, चाहरदीवारी, स्थायी बेंच प्लेटफॉर्म मरम्मत और सार्वजनिक शौचालय का विकास	2016-17	1991400	1991400	1963719	1963719	27681
38.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत हरिना मन्दिर, पोटका में शौचालय और पैदल पथ का निर्माण	2016-17	1814700	1814700	1789501	1789501	25199
39.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत हरिना मन्दिर, पोटका में सार्वजनिक हॉल का निर्माण	2017-18	15000000	15000000	2374290	12204577	2795423
40.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी मन्दिर, दालभूमगढ़ में अतिथि घर/गेस्ट हाउस का निर्माण				2483266		
41.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत हरिना मन्दिर, पोटका में चाहरदीवारी और बेंच का निर्माण				1013620		
42.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत रंगकिनी मन्दिर, जादुगोड़ा, मुसावनी में विवाह गृह का निर्माण				194543		
43.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी दालभूम में बाल उद्यान का निर्माण				2431644		
44.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी दालभूम में चाहरदीवारी पेवर्स ब्लॉक और डीप बोरिंग का निर्माण				2088706		
45.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी दालभूम में बाल उद्यान में चाहरदीवारी और पी.सी.सी. सड़क का नवीकरण				1618508		
46.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत डिमना साहसिक पर्यटन मेला	2018-19	1500000	1500000	0	0	1500000
47.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के लिए विकास	2020-21	3000000	3000000	0	0	3000000
48.	बोकारो जिला में पर्यटन स्थलों का विकास	2017-18	10000000	10000000	8974770	8974770	1025230
49.	बोकारो जिला में पर्यटन स्थलों का विकास	2018-19	10000000	10000000	7113230	7113230	2886770
50.	बोकारो जिला में पर्यटन स्थलों का विकास	2019-20	20000000	20000000	15865575	15865575	4134425
कुल			1568590057	1568590057	717492883	717492883	851097174

परिशिष्ट 3.14
कार्य का पूर्ण न होना
(संदर्भ: कंडिका 3.6.11)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना	कोष आवंटित (31.03.21 तक)	वितरण वर्ष	व्यय (31.03.21 तक)	पूर्णता निर्धारित तारीख	कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में
1.	कोडरमा जिला के उनवा में कॉटेज का निर्माण	37.87		0	11.03.10	0
2.	धरती आबा बिरसा मुण्डा से संबंधित उलिहातू और डोम्बारीबुरु में पर्यटन क्षेत्र/स्थल का विकास	440.00	सितम्बर 2015 से जनवरी 2019	156.00	-	-
3.	पिठोरिया, राँची में सुतियाम्बे पहाड़ का विकास	319.19		215.73	19.10.17	58
4.	प्रसाद योजना बैधनाथ धाम, देवघर	1900.00		994.18	-	59
5.	नेतरहाट में सिविल निर्माण कार्य और कोयल भ्यू पॉइंट और बेतला में टेन्ट बेस का सिविल निर्माण कार्य	900.00		519.68	23.02.21	40
6.	दशम जल प्रपात, राँची का निर्माण	299.14		0	14.04.19	2
7.	पंचघाघ जल प्रपात, खूँटी का निर्माण कार्य	210.08	मार्च 2017	11.38	23.08.19	31
8.	उलिहातू और डोम्बारी बुरु का पर्यटन बिरासत स्थल केंद्र, खूँटी का निर्माण कार्य	225.00		155.54	17.04.18	50
9.	पर्यटन सर्किट रजरप्पा कैलश्वरी, इटखोरी रजरप्पा, पारसनाथ का समेकित विकास	1600.00		32.24	07.08.19	5
10.	पतरातू में वी.आई.पी. गेस्ट हाउस का निर्माण	1320.00		640.83	02.04.21	68
11.	सरायकेला खरसवाँ के चांडिल में पर्यटन विकास	400.00		0	09.04.21	0
12.	लुडुग्रू, बोकारो जिला में सामुदायिक केन्द्र निर्माण एवं तीर्थयात्री सुविधा	1000.00		83.41	30.11.20	18
13.	ओपन एयर सिनेमाघर/थियेटर दुमका	1500.00		0.00	-	0
14.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत लावा पानी जल-प्रपात (दूसरे और अंतिम) में पर्यटन स्थलों का विकास एवं सीढ़ियों का निर्माण कार्य	50.00		0.00	-	10
15.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत लावा पानी जल-प्रपात (प्रथम और चतुर्थ) में पर्यटन स्थलों का विकास एवं सीढ़ियों का निर्माण कार्य			18.93	-	80

क्र. सं.	योजना	कोष आवंटित (31.03.21 तक)	वितरण वर्ष	व्यय (31.03.21 तक)	पूर्णता निर्धारित तारीख	कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में
16.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत सलगी पंचायत के नामोदाग दुबंग में अवस्थित ब्रिज संख्या 27 के समीप पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित योजना	100.00		23.44	-	प्रगति में
17.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखिलेश्वर धाम में शिलापट्ट, रूद्राक्ष वृक्ष सुरक्षा और बैठक पैगोडा/शिवालय	50.00		50.00	18.10.2021	प्रगति में
18.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखिलेश्वर धाम, भण्डरा में पी.सी.सी. सड़क				16.09.2021	
19.	अखिलेश्वर धाम तालाब में एस.एस.रेलिंग/कटघरा				11.09.2021	
20.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखिलेश्वर धाम में कियोस्क				11.09.2021	
21.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत तान पहाड़ी में कियोस्क एवं एस.एस.रेलिंग/कटघरा				11.09.2021	
22.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत तान पहाड़ी में टॉयटेल ब्लॉक				14.09.2021	
कुल		10351.28		2901.36		

परिशिष्ट 4.1
बकाया डी. सी. विपत्र
(संदर्भ: कंडिका 4.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	अवधि	विलम्ब से जमा किये गये डी.सी विपत्र		विलम्ब (माह में)
			संख्या	राशि	
1	राँची	2008-09 से 2016-17	155	62.44	01 से 121
2	पूर्वी सिंहभूम	2004-05 से 2017-18	05	1.37	08 से 67
3	बोकारो	2008-09	04	1.87	33 से 51
4	हजारीबाग	2004-05 से 2008-09	08	2.38	11 से 127
5	लोहरदगा	2003-04 से 2011-12	03	0.09	58 से 70
6	रामगढ़	2008-09 से 2010-11	03	2.19	11 से 53
7	चतरा	2005-06 से 2015-16	07	1.87	01 से 106
8	देवघर	2005-06 से 2016-17	22	10.77	01 से 128
9	धनबाद	2004-05 से 2008-09	07	2.53	20 से 71
10	दुमका	2003-04 से 2016-17	38	10.71	02 से 99
11	गिरीडीह	2002-03 से 2011-12	15	15.29	11 से 69
12	गढ़वा	2005-06 से 2015-16	03	0.40	34 से 40
13	जामताड़ा	2008-09 से 2011-12	04	0.25	16 से 61
14	कोडरमा	2008-09	02	3.75	19 से 31
15	लातेहार	2004-05 से 2011-12	11	1.42	01 से 110
16	पाकुड़	2005-06 से 2008-09	02	1.39	36
17	साहिबगंज	2007-08 से 2015-16	07	3.04	03 से 49
18	सिमडेगा	2005-06 से 2015-16	04	1.74	20 से 94
19	चाईबासा	2004-05 से 2007-08	05	0.62	11 से 85
20	सराईकेला	2006-07 से 2015-16	11	2.40	19 से 121
कुल			316	126.52	

परिशिष्ट 4.2

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची (संदर्भ: कंडिका 4.15)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2015-16
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2002-03
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2015-16

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन (जेप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	आई.टी. एवं इ-गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
62	वन	लाख ट्रीटमेंट इकाई, लातेहार	लातेहार	2008-09
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
64	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
65	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाख की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
68	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य धार्मिक ट्रस्ट परिषद	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
69	वन	केम्पा	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
70	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2016-17
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैंड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
76	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 5.1

2020-21 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	सा.क्षे. उपक्रम का नाम	पंजीकरण/निगमन की तारीख	लेखा तैयार किया गया	लेखापरीक्षा पूरी की गई
उर्जा (कार्यात्मक)				
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.बी.वी.एन.एल)	23.10.2013	2019-20	2018-19
2	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जे.यू.एस.एन.एल)	23.10.2013	2018-19	2018-19
3	झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जे.यू.यू.एन.एल)	23.10.2013	2019-20	2018-19
उर्जा (गैर-कार्यात्मक)				
4	झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (गैर-कार्य) (जे.सी.एल.)	18.06.2009	2019-20	2018-19
5	पतरातु उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (पी.ई.एल)	26.10.2012	2019-20	2018-19
6	कर्णपुरा उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (के.ई.एल)	19.09.2008	2019-20	2018-19
गैर - उर्जा (कार्यात्मक)				
1	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.03.2002	2020-21	2019-20
2	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी	10.01.2003	2019-20	2018-19
3	झारखण्ड इंडिस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.12.2004	2019-20	2018-19
4	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	23.08.2006	2018-19	2018-19
5	झारखण्ड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	19.11.2013	2018-19	2018-19
6	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	05.12.2015	2018-19	2018-19
7	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	27.09.2016	2018-19	2018-19
8	झारखण्ड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	06.07.2018	2019-20	2019-20
9	झारखण्ड फिल्म विकास निगम लिमिटेड	07.09.2016	2018-19	2018-19
10	आदित्यपुर इलेक्ट्रानिक मेनुफैक्चरिंग लिमिटेड	17.11.2016	2018-19	2018-19

परिशिष्ट 5.2

तीन वर्ष से अधिक के लेखों/पहले लेखा के अप्राप्त/अदेय के बकाया के साथ कार्यात्मक सा.क्षे. उ.

(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम		नवीनतम पुर्ण लेखा की अवधि
	सरकारी कम्पनी		
	उर्जा		
1	झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड	16.09.2013	2014-15
2	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	26.11.1987	2014-15
	गैर-उर्जा		
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	22.03.2002	2009-10
4	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.03.2012	2015-16
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	07.05.2002	2015-16
6	झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड	26.11.2010	2015-16
7	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना खरीद विकास निगम लिमिटेड	24.05.2013	2016-17
8	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	22.03.2002	2015-16
9	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	27.03.2002	2017-18
10	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड*	18.06.2010	गठन के समय से लम्बित
11	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड*	30.09.2016	
12	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड*	28.01.2017	
13	अटल बिहारी वाजपेयी नवाचार प्रयोगशाला*	26.12.2018	
14	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	20.01.2016	2017-18
15	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	20.09.2016	2017-18

* पी.एस.ई., जिन्होंने अपने पहला लेखा/जमा/अंतिम रूप नहीं दिया है।

परिशिष्ट 5.3
राज्य सरकार निवेश के निवल वर्तमान मूल्य
(संदर्भ : कंडिका 5.15)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त/ऋण चूक एवं पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधि की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय	आर ओ आर.आर (प्रतिशत में)
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii= {vii*(100+vi)/100}	ix= {vii*vi}/100}	x	xi= x*100/viii
अबतक ईक्विटी में निवेश 2016-17		4313.47								
2017-18	5651.40	50	0	50	6.98	5701.40	6099.35	397.96	-571.74	-9.37
2018-19	6099.35	31.33	0	31.33	7.98	6130.68	6619.91	489.23	-945.52	-14.28
2019-20	6619.91	0	0	0	6.34	6619.91	7039.61	419.70	-1336.36	-18.98
2020-21	7039.62	626.00	0	626.00	6.13	7039.61	8135.52	469.90	-1345.89	-16.54
कुल		5020.80		707.33						

स्रोत: 31 अक्टूबर, 2021 तक एस.पी.एस.ई के अद्यतन अंतिम वार्षिक लेखा

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ
- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्रहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मद्दे जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



www.agjh.cag.gov.in